लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

अंक ७, १९५४

(१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

अष्टम सूत्र १९५४

(खण्ड ७ म अंक २१ से अंक २९ तक है)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली।

603 LSD

विषय-सूची

खंड ७—अंक २१–२९ (१४ से २४ दिसम्बर, १९५४)

अंक २१—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११४, १११८, से ११२२, ११२४, ११२५, ११२७, ११२८, ११३०, ११३२ से ११३४, ११३६ ११३८, ११४५, ११४७ से ११५०, ११५२, ११५४, ११५७, ११६१, ११६२, ११६४ और ११६६ . .	१६९९—१७४०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १११५ से १११७, ११२३, ११२६, ११२९, ११३१, ११३५, ११३७, ११४०, ११४२ से ११४४, ११४६, ११५१, ११५३, ११५५, ११५६, ११५८ से ११६०, ११६३, ११६५, ११६८ और ११६९ .	१७४०—५२
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१९ से ७४८ . .	१७५२–१७७६

अंक २२— बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७१, ११७३, ११७६, ११७७ ११७९ से ११८२, ११८७, ११९०, ११९१, ११९३ ११९४, ११९६ से १२०१, १२०३, १२०४, १२०६, से १२०८, १२११, १२१३, १२१४, १२१६, १२१८, १२२१ से १२२३, १२२७ से १२३२ और १२३५ .	१७७७—१८२५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११७०, ११७२, ११७४, ११७५, ११७८, ११८३ से ११८६, ११८८, ११८९, ११९२, ११९५, १२०२, १२०५, १२०९, १२१०, १२१२, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२४ से १२२६, १२३४, और १२३६ से १२४९ .	१८२५—४९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७७० और ७७२ से ८०३	१८४९—८२

603 LSD

अंक २३—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५१ से १२५४, १२५६, १२५८, १२५९, १२६२ से १२६४, १२६९, १२७१, १२७३ से १२७५, १२७७, १२७९, १२८२ से १२८५, १२८७, १२८८, १२९०, १२९१ और १२९३ से १२९७ . १८८३—१९२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, १२५५, १२५७, १२६० १२६१, १२६५ से १२६८, १२७०, १२७२, १२७६, १२७८, १२८०, १२८१, १२८६, १२८९, १२९२, १२९८, और १३०५ से १३०७ . . १९२५—३८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८१४ और ८१६ से ८१९ . १९३८—५०

अंक २४—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०८ से १३१३, १३१५ से १३१८, १३२१ से १३२३, १३२५, १३२६, १३२८, १३२९, १३३२, १३३३, १३३५ से १३३८, १३४१ से १३४५ और १३४७ . १९५१—९६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३१४, १३१९, १३२०, १३२४, १३२७, १३३०, १३३१, १३३४, १३४०, १३४६ और १३४८ से १३६७ . . . . १९९७—२०१७

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२० से ८५०, और ८५२ . . २०१८—२०३८

अंक २५—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३७२, १३७५ से १३७८, १३८०, १३८१, १३८३ से १३८५, १३८७ से १३९०, १३९२, १३९४, १३९५, १३९७ और १३९९ से १४०९ २०३९—८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . २०८५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७३, १३७४, १३७९, १३८२, १३८६, १३९१, १३९३, १३९६, १३९८, १४१० से १४२०, १४२२ और १४२३ . . . २०८७—९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ८५३ से ८८१ . . . २०९९—२११८

अंक २६—मंगलवार, २१ दिसम्बर, १९५४ — स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४३८, १४४०, १४४१, १४४३ से १४४६, १४४८, १४४९, १४५१ से १४५५ — २११९—६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३९, १४४२, १४४७, १४५०, १४५६, १४५९ से १४६९, १४७१ से १४७५ — २१६४—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८२ से ८९१ . . — २१७६—८०

अंक २७—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७६ से १४८३, १४८८ से १४९०, १४९२ से १४९४, १४९६, १४९७, १४९९, १५००, १५०२ और १५०४ से १५०७ . . . — २१८१—२२२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८४ से १४८७, १४९१, १४९५, १४९८, १५०१, १५०३, १५०८ से १५२२, १५२२—क, १५२३ से १५३३ और १५३५ से १५५७ . . — २२२९—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९२५ . . — २२६३—८६

अंक २८—गुरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५५८ से १५६१, १५६३ से १५६६, १५६९से १५७३, १५७५, १५७६, १५७८, १५७९, १५८१, १५८२ और १५८३ . — २२८७–२३२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्नसंख्या १५६२, १५६७, १५६८, १५७४, १५७७, १५८०, १५८२–क, १५८४ से १५९३, १५९३–क, १५९४ से १६०१, १६०३ से १६२१, १६२१-क, १६२२ से १६२४, १६२४–क, १६२५ से १६२९, १६३१ से १६३५ — २३२८–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९७७ . . — २३६४–९६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६, ७, ९, १० और ८ . २३९७—२४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १६७३, १६७३क और १६७४ से १६८६ . . . . २४१९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७८ से ९९४ . . २४५२—६४

———

GIPND—NSH—603 LSD—1-1-55—240

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय विकास परिषदें

*१११३. **श्री एस० एन० दास :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हाल ही में हुई राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में किन किन महत्व-पूर्ण विषयों पर चर्चा की गई; और

(ख) बैठकों में किस प्रकार के निश्चय किये गये ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५]**

श्री एस० एन० दास : विवरण से यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति नियुक्त की जा चुकी है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति के वास्तविक कर्तव्य क्या हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : जैसा कि सर्व-विदित है, यह योजना केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का संयुक्त प्रयास है । इस स्थायी समिति के ठीक कर्तव्य यह होंगे कि यह नीतियों और कार्यक्रमों---मुख्यत: बड़ी नीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्धारण में अधिक सहयोग देगी, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद् एक बड़ा निकाय है, इसलिए यह उतना सहयोग नहीं दे सकती ।

श्री एस० एन० दास : क्या योजना आयोग तथा इस विकास परिषद् जिसकी बैठक हाल ही में पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में या उसे क्रियान्वित करने के बारे में हुई थी, द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में कोई अन्तर था ?

श्री एस० एन० मिश्र : किसी अन्तर होने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । यह एक प्रकार का परामर्श था और ऐसे परामर्शों के परिणामों का योजना आयोग तथा सम्बद्ध सरकार सदैव सहर्ष अनुसरण करते हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस स्थायी समिति के संचालन के बारे में इस राष्ट्रीय परिषद् के नियमों से भिन्न कोई अन्य नियम बनाये गये हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : किन्हीं नियमों की आवश्यकता नहीं है । केवल अन्तर इतना है कि जहां राष्ट्रीय विकास परिषद् साल में केवल दो बार बैठती है, यह समिति साल में कम-से-कम तीन या चार बार बैठा करेगी ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् योजना के लक्ष्य की प्राप्ति में कमी होने के बारे में विचार किया, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : राष्ट्रीय विकास परिषद् में जिन विषयों पर विचार हुआ था, उनमें से विचार का एक मुख्य विषय यह भी था । जहां तक योजना को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में कठिनाइयों का प्रश्न है, वह बहुत सी हैं; उदाहरणतया कर्मचारी-वृन्द सम्बन्धी रुकावट, प्रक्रियात्मक विलम्ब और प्रशासनिक कठिनाइयां आदि आदि, मैं सारी कठिनाईयों को गिनाना भी नहीं चाहता ।

हिन्दुस्तान केबल्स, लिमिटेड

***१११४. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री ७ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १६२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड ने वास्तविक उत्पादन कब से आरम्भ किया; और

(ख) विभिन्न ब्यौरे के तारों की लम्बाई और मूल्य क्या हैं, जिन्हें इस कारखाने ने ३० नवम्बर, १९५४ तक बनाया है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) नियमित उत्पादन १ सितम्बर, १९५४ से आरम्भ हुआ ।

(ख) जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १६**]

सरदार हुक्म सिंह : हमें अप्रैल में बताया गया था कि बिना ढके तारों से प्रयोग आरम्भ किये गये । क्या कारखाने में ढके हुए तार भी बनने लगे हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : पहले यह कहा गया था कि बिना ढके तारों का प्रयोगात्मक उत्पादन मार्च तक आरम्भ हो जायेगा, किन्तु सिक्के के दबाव के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई के कारण उस में विलम्ब हो गया ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सभी प्रकार के तारों को यह कारखाना बना सकने योग्य है अथवा इसमें उत्पादन आरम्भ होने के बाद तक भी हमें किसी विशेष प्रकार के तारें विदेशों से आयात करनें पड़ेंगे ?

श्री आर० जी० दुबे : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, उसका उत्तर मैं हां में दूंगा, क्योंकि तारों के सभी नमूने यहां पर बनाये जायेंगे । किन्तु कई विभिन्न प्रकार के तारें भी हैं जैसे कि वाहक तार तथा विद्युत तार । इस कारखाने में विद्युत तारों के निर्माण का हमारा कोई विचार नहीं है । वाहक तारों के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री पी० सी० बोस : इस समय कारखाने में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, और उन्हें कितनी पारियों में काम करना पड़ता है ?

श्री आर० जी० दुबे : इस समय तो एक ही पारी है; बिना पूछताछ कराये मैं श्रमिकों की संख्या नहीं बता सकता ।

औषधि निर्माण जांच समिति का प्रतिवेदन

***१११८. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृत्रिम, अपमिश्रित और स्तर से नीचे की औषधियों के खतरे से बचने के सम्बन्ध में औषधि निर्माण जांच समिति की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : औषधि निर्माण जांच समिति की सिफ़ारिशें परीक्षणाधीन हैं । राज्य सरकारों

के टिप्पण भी मांगे गये हैं। यह आशा की जाती है कि सरकार उचित समय के अन्दर अन्दर एक संकल्प जारी करेगी ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : कृत्रिम और अपमिश्रित औषधियों का पता लगाने के लिये किस विशेष अभिकरण का प्रयोग किया जाता है और क्या समिति द्वारा की गई सफ़ारिश के अनुसार एक विशेष अभिकरण बनाने का विचार है ?

श्री कानूनगो : वह उस संकल्प में दिखा दिया जायेगा जो कि जारी किया जायेगा ।

श्री एस० एन० दास : क्या विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से आने वाले टिप्पणों के लिए कोई अवधि निर्धारित की गई है ?

श्री कानूनगो : किसी काल-सीमा की आवश्यकता नहीं है। निस्सन्देह राज्य सरकारें यथासंभव शीघ्रता से अपनी सिफ़ारिशें भेजेंगी ।

इस्पात निर्माण प्रशिक्षण

*१११९. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या उत्पादन मंत्री २१ अप्रैल, १९५४ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १९६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय शिल्पिक जर्मन कम्बाइन मेसर्स क्रुप्स तथा देमाग के अधीन इस्पात निर्माण तथा अन्य कार्यों के प्रशिक्षण के लिये जर्मनी भेजे गये हैं या उनके भेजे जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो वे शिल्पिक किन किन संस्थाओं में से चुने गये हैं; और

(ग) कितने आदमी भेजे गये हैं, या भेजे जाने वाले हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग). लोहा तथा इस्पात निर्माण के नमूने तैयार करने के लिये जर्मनी में २५ आदमियों को प्रशिक्षित करने का विचार है। इनमें से दस भारत मे चुने गये हैं और १५ व्यक्ति उन भारतीयों में से जो इस समय यूरोप में प्रशिक्षणाधीन हैं अथवा नौकरी में हैं। भारत से चुने गये दस व्यक्तियों में से आठ व्यक्ति जर्मनी चले गये हैं। इसके अतिरिक्त, एकीकृत लोहा तथा इस्पात कारखाने के विभिन्न विभागों के संधारण तथा संचालन के लिये मुख्य कर्मचारियों को भी इस पहलू के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार जर्मनी में प्रशिक्षित करने का विचार है। इनमें से २३ व्यक्ति अभी तक उन भारतीयों में से चुन लिये गये हैं जो कि इस समय यूरोप में रह रहे हैं। भारत से चुने गये १० व्यक्ति, जो नमूना तैयार करने वाले इंजीनियरों के रूप में प्रशिक्षित किये जायेंगे, निम्नलिखित संगठनों के हैं :—

(१) टाटा लोहा तथा इस्पात समवाय लिमिटेड, जमशेदपुर ।

(२) भारतीय लोहा तथा इस्पात समवाय लिमिटेड, बर्नपुर ।

(३) दामोदर घाटी निगम ।

(४) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता का कार्यालय ।

(५) तुंगभद्रा परियोजना, बेलारी, आन्ध्र ।

(६) एअर कंडीशनिंग निगम, लिमिटेड, बम्बई ।

(७) मुकुन्द लोहा तथा इस्पात कारखाना, लिमिटेड, बम्बई ।

पंडित डी० एन० तिवारी : प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : इन प्रशिक्षार्थियों के पहुंचने के बाद ही जर्मनी में प्रशिक्षण की निश्चित अवधि तय की जायेगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : वहां प्रति विद्यार्थी कितना खर्च होगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : वस्तुओं के नमूने वाले प्रशिक्षार्थियों के सम्बन्ध में परामर्शदाता खर्चा करेंगे और यह उन्हीं का उत्तरदायित्व है । यह मालूम नहीं है कि ठीक ठीक व्यय कितना होगा ।

श्री जयपाल सिंह : इस्पात निर्माण सम्बन्धी प्रशिक्षण के अतिरिक्त भी क्या कोई अन्य प्रशिक्षण योजनायें हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रश्न का सम्बन्ध इस्पात संयंत्र के प्रशिक्षण के बारे में ही है । माननीय सदस्य एक सामान्य प्रश्न रख रहे हैं कि क्या कोई अन्य प्रशिक्षण योजनायें हैं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या मैं इसको स्पष्ट करूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है ।

श्री जयपाल सिंह : इसका सम्बन्ध इस विशिष्ट सार्थ से है । हमने सामाचार पत्रों में देखा है कि यह सार्थ विशिष्ट रूप से पीड़ित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से प्रार्थनापत्र मंगा रहा है ? क्या इन प्रेस की सूचनाओं में कोई सचाई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं, क्योंकि मैं इस प्रश्न का, जोकि आप रख रहे हैं, अभिप्राय ही नहीं समझ पा रहा हूं ।

नैपाल में औद्योगिक प्रदर्शनी

*११२०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परोपकार सामाजिक कल्याण संस्था के तत्वावधान में नेपाल में जो औद्योगिक प्रदर्शनी हुई थी, उसमें कौन कौन सी वस्तुयें, बेची गईं तथा उनकी बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ख) कौन-कौन सी वस्तुयें बहुत अधिक पसन्द की गईं; और

(ग) क्या प्रदर्शन हेतु रखी गई वस्तुओं के बेचने के लिये वहां अच्छा बाजार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग). वह प्रदर्शनी, जिसका १३ नवम्बर, १९५४ को उद्घाटन किया गया था, एक महीने तक चलने वाली थी । अतः पूछी गई सूचना देना अभी समय से बहुत पूर्व की बात है ।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रशिक्षण

*११२१. **श्री गिडवानी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अनेक राज्य सरकारों पर यह ज़ोर डाला है कि वे सामुदायिक विकास योजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम सेवकों के रूप में प्रशिक्षित होने के लिये विस्थापित व्यक्तियों को सुविधायें दें; और

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से राज्य ऐसी सुविधायें देने के लिये सहमत हो गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री डी० के० भोंसले) (क) जी हां ।

(ख) सूचना की प्रतीक्षा है और यथा-समय सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

श्री गिडवानी : क्या मैं सरकार से यह निवेदन कर दूं कि वह इसकी ओर ध्यान दे कि राज्य सरकारों से यथासंभव शीघ्रता से सूचना प्राप्त करे ?

श्री जे० के० भोंसले : निस्सन्देह, श्रीमान् ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार यह भी मालूम करेगी कि कुछ विस्थापितों के प्रार्थना-पत्र केवल इस आधार पर रद्द कर दिये

कि वे प्रादेशिक भाषा से पूरी तरह से भिन्न नहीं हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : मैं वास्तव में नहीं जानता कि ऐसी कोई कठिनाई भी है । यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य सिन्धियों से है, जो बम्बई राज्य में बस गये हैं, तो मैं व्यक्तिगत ज्ञान से कह सकता हूं कि वे यथास्थिति मराठी या गुजराती के अल्प ज्ञान से सुन्दर रूप में काम चला लेते हैं ।

चलचित्र

*११२२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री इस निम्न-लिखित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अक्तूबर १९५४ तक केन्द्रीय सरकार ने किन विदेशी और भारतीय चलचित्रों को अप्रमाणित घोषित किया है; और

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कारण थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय सरकार ने आयात किये गये केवल दो चलचित्रों अर्थात् 'माईसन जान' और 'सीज़ फायर' को अप्रमाणित घोषित किया । इन दो मामलों में अप्रमाणित होने की घोषणा के कारण तो विदेशी सम्बन्ध ही हैं ।

आवास सहकारी संस्थायें

*११२४. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने आवास वित्त निगम बनाये हैं;

(ख) इन निगमों द्वारा मकान बनाने वालों को क्या सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ग) क्या भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को कोई सहायता दी है या उसका कोई सहायता देने का विचार है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) दो ।

(ख) आवास सहकारी संस्थाओं को ब्याज की उचित दरों पर ऋण के रूप में मुख्य वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ग) अभी तक केवल कारखाना अधि-नियम के अधीन औद्योगिक श्रमिकों के आवास के लिए ही केन्द्रीय सहायता दी गई है । हाल ही में घोषित की गई निम्न आय वर्ग आवास योजना के अधीन राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जायेगी जिसे वे सीधे अथवा इन निगमों द्वारा अन्य लोगों को भी दे सकेंगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कुल कितने घर इस योजना के अधीन आ जायेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस प्रकार का कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया, परन्तु इसे पर्याप्त रूप से उदार बनाने का हमारा विचार है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : ऋण देने अथवा इन आवास वित्त निगमों को अनुदान देने के लिए क्या विशेष शर्तें हैं और क्या ये निगम स्वायत्त शासन निकाय होंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह बात विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निश्चित किये गये उनके गठन पर निर्भर करती है । इन निगमों के गठन कृत्य और उत्तरदायित्व की रूपरेखा के बारे में राज्य सरकारों को बहुत छूट दी गई है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : अब तक किन राज्यों ने निगम बना लिये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : बम्बई और मैसूर ने ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : माननीय मंत्री ने कहा है कि ऋण निगमों के कृत्यों के अनुसार दिये जायेंगे । भारत सरकार का इन निगमों को कुल कितना ऋण देने का विचार है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य का ध्यान प्रथम पंच वर्षीय योजना के उपबन्ध की ओर आकर्षित करूंगा । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को लक्ष्य की उस निधि में से कुछ भी दे सकेगी ।

सामाजिक शिक्षा निदेशक सम्मेलन

*११२५. श्री राधा रमण : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक शिक्षा संगठनकर्ता प्रशिक्षण केन्द्रों के निदेशकों और विकास पदाधिकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के आचार्यों के सम्मेलन में, जिसका तीन दिन का सत्र हाल में नई दिल्ली में हुआ, सरकार से कोई सिफारिश की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता हूं । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १७]

श्री राधा रमण : सरकार सामाजिक शिक्षा संगठनकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए किन राज्यों में कितने केन्द्र चला रही है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस प्रश्न का कई बार उत्तर दिया जा चुका है, और मैं समझता हूं कि इसका सम्बन्ध सम्मेलन से नहीं है । अतः मैं इस समय उसको नहीं लूंगा ।

श्री एस० एन० दास : इस सम्मेलन में कितने निदेशक और विकास पदाधिकारी आये थे और वे किन राज्यों के थे ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं समझता हूं कि वे सब महत्वपूर्ण प्रशिक्षण केन्द्रों से आये थे, शायद ही कोई केन्द्र बचा हो ।

तुंगभद्रा परियोजना

*११२७ श्री टी० सुब्रह्मण्यम् : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत परियोजना की सतह को पांच फुट और ऊंचा करने की दृष्टि से मैसूर राज्य में और अधिक भूमि अधिग्रहण करने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि ऐसा है, तो मैसूर राज्य के कितने गांवों पर इसका असर पड़ेगा; और

(ग) प्रतिकर के रूप में कितनी अतिरिक्त लागत व्यय होगी ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). इन विषयों पर जानकारी तभी उपलब्ध होगी जबकि चारों ओर के सीमांकन का कार्य समाप्त हो जायगा और जो इस समय प्रगति से हो रहा है । मांगी गई जानकारी का एक विवरण यथा समय सभा-पटल पर रखा जायेगा ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या यह सच है कि तुंगभद्रा बांध से प्राप्त होने वाले जल का केवल दस प्रतिशत इस समय काम में लाया जा रहा है ?

श्री हाथी : इस समय जितना जल एकत्रित किया जाता है उस सभी का उपयोग नहीं होता । यह सच है कि बहुत कम जल का उपयोग किया जा रहा है ।

श्री तिम्मय्या: इस परियोजना की सतह ऊंची हो जाने से जिन ग्रामवासियों पर प्रभाव पड़ेगा उनको बसाने के लिये क्या प्रबन्ध किया जायेगा ?

श्री हाथी: सामान्यतः प्रबन्ध यही किया जाता है कि या तो उन्हें भूमि के बदले भूमि दी जाती है अथवा प्रतिकर के रूप में नकद पैसा दिया जाता है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: तुंगभद्रा बांध से जो कुल जल उपलब्ध होगा उस सारे का उपयोग करने में कितना समय लगेगा ?

श्री हाथी: श्रीमान्, साधारणतः सिंचाई के पूर्णरूपेण विकास में सात से ले कर दस वर्ष तक का समय लगता है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी: सम्पूर्ण परियोजना का विकास होने से पूर्व ही परियोजना की सतह ऊंची करने का विचार क्यों आ गया ?

श्री हाथी: यह कोई हाल का निर्णय नहीं है । वास्तव में 'स्पिलवे' फाटकों के लगाने के कारण ऐसा करना आवश्यक समझा गया था । यह कोई नया निर्णय भी नहीं है ।

केन्द्रीय विपणन संगठन

*११२८. **श्री केशवैयंगार**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार अथवा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का हथकरघे की अथवा अन्य इसी प्रकार की वस्तुयें बंगलौर में बेचने के लिये कोई शाखा या उपविभागीय विपणन संगठन स्थापित करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो): केन्द्रीय सरकार ने मैसूर सरकार को विक्रय भण्डार खोलने के लिये निधि स्वीकृत की है । इन विक्रय भण्डारों के स्थान का निर्णय मैसूर सरकार करेगी ।

श्री केशवैयंगार: यह संगठन कब तक स्थगित होगा ?

श्री कानूनगो: इसका निर्णय मैसूर सरकार पर निर्भर करता है क्योंकि निधि पहले ही आवंटित की जा चुकी है ।

भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां

*११३०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के वास्तव में हस्तांतरण हो जाने के पश्चात् भारत सरकार उन पर न्यायतः अपना अधिकार प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है; और

(ख) फ्रांसीसी भारतीय राज्य क्षेत्र पर न्यायतः अधिकार प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख). भारत-फ्रांसीसी करार के अनुसार भूतपूर्व फ्रांसीसी संस्थापनों का प्रशासनीय नियंत्रण भारत सरकार को हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में एक संयुक्त वित्तीय आयोग तथा एक शिक्षा-सम्बन्धी संयुक्त आयोग की स्थापना दोनों सरकारों के अधिकारों और दायित्वों का निश्चय करने के लिये की गई है । इन आयोगों का कार्य पूरा हो जाने पर, संस्थापनों के वस्तुतः हस्तांतरण पर वार्ता आरम्भ कर दी जायेगी । इस बीच सरकार यह नहीं बता सकती कि औपचारिकताओं को पूरा करने में कितना समय लगेगा, किन्तु वह यह आशा करती है कि वस्तुतः हस्तांतरण यथाशीघ्र हो जायेगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: क्या वस्तुतः हस्तांतरण के पश्चात् इन भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का विलयन निकटवर्ती क्षेत्रों में हो जायगा अथवा इनके अलग राज्य बनेंगे ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस अवस्था में कुछ कहना समय से बहुत पूर्व की बात होगी ।

पूर्वी महाखण्ड के पुनर्वास मंत्रियों का सम्मेलन

***११३२. श्री एन० बी० चौधरी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी महाखण्ड के पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन में कौन-कौन से निर्णय किये गये तथा कार्यक्रम बनाये गये; और

(ख) बस्तियों के निकट के नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने, विस्थापित व्यक्तियों को बसाने तथा उनकी बेकारी की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) सम्मेलन के मुख्य निर्णयों तथा सिफ़ारिशों के सारांश का विवरण संख्या १ सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) पूर्वी महाखण्ड के विस्थापित व्यक्तियों में फैली हुई बेकारी में कमी करने की दृष्टि से नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये दी जाने वाली सुविधायें विवरण संख्या २ में दी गई हैं, जो सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १८]**

श्री एन० बी० चौधरी : क्या विस्थापित व्यक्तियों को काम दिलाने के लिये उद्योग स्थापित करने की कोई ठोस योजनायें सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : अभी तक कोई ठोस योजना प्राप्त नहीं हुई है, किन्तु हमें लगभग एक दर्जन व्यापारिक संस्थाओं से पूछताछ के रूप में कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं । एक प्रश्नावली भेजी गई है और उनसे आवश्यक जानकारी देने के लिये कहा गया है । इसके पश्चात्, सम्पूर्ण योजना की उचित परीक्षा की जायेगी ।

श्री एन० बी० चौधरी : विवरण में यह भी कहा गया है कि कलकत्ता में तथा उसके आसपास अनधिकृत रूप से बसे हुये लोगों की उन बस्तियों को जो दिसम्बर १९५० तक बसाई जा चुकी थीं मान्यता दी जायगी । ऐसी बस्तियों की तथा उन बस्तियों की संख्या कितनी है जो दिसम्बर, १९५० के पश्चात् बसाई गई थीं ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : जिन बस्तियों को हम नियमित बनाना चाहते हैं उनकी संख्या १३३ है । पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार ४६ अन्य बस्तियां ऐसी हैं जिन पर हमें विचार करना होगा । इस विषय पर पिछले मास में हुये पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी । अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी अनधिकृत रूप से कब्जा जमाने वाले ने ३१ दिसम्बर, १९५० से पूर्व कब्जा कर लिया था तो वह कोई अन्य आवास पाने का अधिकारी होगा । इन छियालीस बस्तियों में अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों को समर्थ प्राधिकारी के सम्मुख यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वे उस तिथि से पूर्व आकर बस गये थे । यदि यह सिद्ध हो जाता है तो इनको भी वे ही सुविधायें दी जायेंगी जो उन एक सौ तैंतीस बस्तियों के रहने वालों को दी गई हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : विवरण के अनुसार पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से उड़ीसा तथा बिहार से वापस लौटने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये एक योजना बनाने के सम्बन्ध में कहा गया था । क्या पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने अब वह योजना बना ली है, और यदि ऐसा है, तो वह योजना क्या है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बिहार तथा उड़ीसा से भागने वाले लोगों की ओर निर्देश कर रहे हैं।

श्री एन० बी० चौधरी : जी हां।

श्री मेहर चन्द खन्ना : वह योजना अभी तक पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री से प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु मैं माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि वह इस मामले की छान-बीन कर रहे हैं, उन्होंने अनधिकृत रूप से बसने वाले उन लोगों तथा इस समस्या में दिलचस्पी लेने वाले कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से स्वयं भेंट की है। कुछ दिन पूर्व जब मैं कलकत्ता से वापस लौटा तो हमारा विचार था कि ये महानुभाव सम्भवतः बिहार तथा उड़ीसा को वापस लौट जायेंगे यदि उन पर बाहर से कोई ज़ोर डाला गया।

मोटरगाड़ी निर्माण कार्यक्रम

*११३३. **श्री मुरारका :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तदर्थ समिति ने देश में मोटरगाड़ी निर्माण कार्यक्रम की प्रगति के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : समिति से ऐसा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आशा नहीं की जाती।

श्री मुरारका : क्या इस समिति ने भारत में कारों के बनाने या कारों के मूल्य के सम्बन्ध में अब तक सरकार को कोई सलाह दी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय समय समय पर इन सब बातों को समिति के समक्ष रखता रहता है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जर्मन मोटरगाड़ी विशेषज्ञ डा० फोर्विग की, जिसे भारत सरकार ने आमंत्रित किया था, विशिष्ट सिफ़ारिशें क्या हैं और सरकार उस की कितनी सिफ़ारिशें क्रियान्वित करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : डा० फोर्विग ने अपनी सिफ़ारिशें प्रशुल्क आयोग को प्रस्तुत की थीं। यदि माननीय सदस्या इन सिफ़ारिशों को देखना चाहती हैं, मैं समझता हूं कि प्रतिवेदन की एक प्रति सभा के पुस्तकालय में रख दी गई है। क्योंकि ये सिफ़ारिशें प्रशुल्क आयोग से की गई थीं, अतः इन्हें क्रियान्वित करने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

श्री जी० पी० सिन्हा : भारत में बनी मोटरगाड़ियों का मूल्य क्या होगा ? क्योंकि इन पर आयात शुल्क नहीं लिया जाता, अतः क्या ये विदेशों से आयात की जाने वाली कारों की अपेक्षा सस्ती होंगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सम्भव है ये आयात की गई मोटरगाड़ियों से महंगी हों।

चन्द्रनगर

*११३४. **श्री तुषार चटर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रनगर के पश्चिमी बंगाल में विलय के पश्चात् भारत संघ तक पश्चिमी बंगाल की कुछ विधियों के लागू होने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में सरकार को चन्द्रनगर के लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन विधियों और कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये चन्द्रनगर, विलय अधिनियम, १९५४ की धारा १९ के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) कुछ महत्वपूर्ण अभ्यावेदन पश्चिमी बंगाल सरकार की उत्पादन-कर सम्बन्धी नीति और पश्चिमी बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, १९४१ को लागू करने के सम्बन्ध में थे। यह अभ्यावेदन किया गया था कि इन विधियों के लागू होने से चन्द्रनगर के व्यापारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वहां के लोग भारतीय नियमों तथा विनियमों के अभ्यस्त नहीं हैं।

(ग) सरकार ने इस प्रकार के अभ्यावेदनों को पश्चिमी बंगाल सरकार के पास विचार के लिये भेज दिया है। आशा है पश्चिमी बंगाल सरकार उचित कार्यवाही करेगी। अतः चन्द्रनगर विलय अधिनियम, १९५४ की धारा १९ का आश्रय लेना आवश्यक नहीं समझा जाता।

श्री तुषार चटर्जी : माननीय मंत्री ने कतिपय विधियों का उल्लेख किया जिन में भारतीय विद्युत अधिनियम और विद्युत् शुल्क अधिनियम का नाम नहीं है। क्या इन प्रश्नों पर भी विचार किया गया है?

श्री अनिल के० चन्दा : हम ने पश्चिमी बंगाल सरकार को यह प्रश्न निर्दिष्ट किया है।

एकीकृत प्रचार कार्यक्रम योजना

*११३६. **डा० सत्यवादी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत प्रचार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत ३२ लैंड रोवर डिब्बों के लिये एक आर्डर दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि ये डिब्बे अब तक नहीं आये हैं और इस कारण योजना का कार्यान्वित होना रुक गया है; और

(ग) अब तक योजना के अन्तर्गत लगाये गये कर्मचारियों पर कितनी राशि व्यय की गयी है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) इनमें से ६ लैंड रोवर जो भण्डार में उपलब्ध थे, अप्रैल, १९५४ में प्राप्त हो गये थे। शेष लैंड रोवरों के लिए आदेश दिया गया था पर सम्बन्धित सार्थ से सामान नहीं मिल सका क्योंकि सीमा-शुल्क भुगतान की रसीद उसके पास नहीं थी। अतः लैंड रोवरों का आदेश रद्द कर दिया गया और उसके स्थान पर तुरन्त जीप गाड़ियों के लिए आदेश दिया गया। ५ जीप गाड़ियां जुलाई, १९५४ में प्राप्त की गई थीं और शेष २६ गाड़ियां नवम्बर, १९५४ में। उपलब्ध लैंड रोवरों का पूर्ण उपयोग किया गया। पूरा अभ्यंश न मिलने के कारण, केवल ५ प्रादेशिक पदाधिकारियों और १९ क्षेत्र प्रचार पदाधिकारियों प्रचार संगठनकर्त्ताओं को नियुक्त किया गया था जबकि पहले ६ प्रादेशिक पदाधिकारियों और ३२ क्षेत्र प्रचार पदाधिकारियों प्रचार संगठनकर्त्ताओं की स्वीकृति दी गयी थी। इस प्रकार नियुक्त क्षेत्र कर्मचारियों ने फिल्म प्रदर्शन, सभाओं, चर्चा गोष्ठी और साहित्य वितरण के लिए अपने निजी प्रयत्न किये और राज्य सरकारों और स्थानीय सगठनों के साधनों का भी उपयोग किया। सितम्बर में, १४ और क्षेत्र प्रचार पदाधिकारियों प्रचार सगठनकर्ताओं को नियुक्त किया गया। पिछले १२ महीने में इन क्षेत्र पदाधिकारियों ने १,२११ स्थानों का दौरा किया जहां ९०० फिल्मों का प्रदर्शन किया गया जिसे १७,७२,००० व्यक्तियों ने देखा। उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्रों में काफी सम्पर्क बढ़ा लिया है और वहां की जनता से खूब घनिष्ठता बढ़ा ली है। इसके बाद वह मुख्य मुख्य मेलों में जिन में कुम्भ मेला भी सम्मिलित है, गये और वहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सात प्रचार केन्द्र खोले और लगभग ३ लाख जनता में १,४२२ फिल्म रीलों के २०१ प्रदर्शन किये। अतः इस

योजना के अधीन योजना की कार्यान्विति रुक नहीं गई है ।

(ग) उक्त कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों में १३ अक्तूबर, १९५४ तक १,१८,०७२ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हुं कि आप ने जो स्टाफ इस स्कीम में लगाया था वह यू० पी० एस० सी० के जरिये भर्ती नहीं किया गया, और बाद में जब कमीशन ने एक सीनिअर अफसर को रिजेक्ट कर दिया तो उस को दोबारा रख लिया गया ?

श्री करमरकर : मेरी इन्फार्मेशन के मुताबिक तो दोबारा नहीं लिया गया चूंकि हमें जरुरत होती है इसलिए ऐडहाक ऐप्वाइंटमेन्ट्स कर देते हैं, लेकिन हर एक आदमी को यू० पी० एस० सी० के सामने तो जाना ही होता है । वह जाते हैं तो कभी कभी उनका रिजेक्शन भी हो जाता है ।

चाय

*११३८. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४–५५ में अनुमानत: चाय की फसल कितनी होगी; और

(ख) इस अनुमान में उच्चकोटि और मध्यमकोटि की चाय की कितनी मात्रा सम्मिलित है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ६,३९० लाख पौंड ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री एन० एम० लिंगम : इसमें से कितनी मात्रा का निर्यात किया जायेगा और कितनी (ख) देश में उपयोग के लिए रखी जायेगी ?

श्री करमरकर : देश में उपयोग करने के लिए उपलब्ध मात्रा १,८०० लाख पौंड से कुछ अधिक है । १९५३–५४ में निर्यात की मात्रा ४३७,४८,९४२ पौंड बताई गयी थी । इसके अतिरिक्त १९५२–५३ के निर्यात अभ्यंश में से ११ करोड़ २८ लाख पौंड चाय अप्रैल-मई १९५३ में दी गयी विशेष अनुज्ञप्तियों के अनुसार ३१–३–१९५३ के बाद उपयोग के लिए रख छोड़ी गयी थी ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या यह सच है कि उच्च कोटि की सम्पूर्ण चाय का निर्यात कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप देश में चाय का मूल्य बढ़ गया है ?

श्री करमरकर : निर्यात की गयी या देश में उपयोग करने के लिए रखी गयी चाय के प्रकार का मूल्य की वृद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

शंघाई म्युनिसिपल पुलिस में काम करने वाले भारतीय

*११४५. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या प्रधान मंत्री मार्च १६, १९५३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व शंघाई म्युनिसिपल कौंसिल में काम करने वाले भारतीयों द्वारा की गयी सेवाओं के वेतन, भत्ते, निधियां और पुरस्कारों की बकाया राशियों की वसूली के निमित उपयुक्त प्राधिकारियों से आगे कोई बातचीत हुई है; और

(ख) क्या किसी भारतीय को सेवा या अन्य किसी नौकरी में रखा गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) पेकिंग स्थित भारतीय राजदूतावास से चीन की जनवादी गणराज्य सरकार के पास कई सुधि पत्र भेजे जा चुके हैं । उस सरकार के अन्तिम उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) सरकार को पता नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : पिछला उत्तर भी यही था कि उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है और मैं समझता हूं कि उसके बाद कोई उत्तर नहीं आया होगा ।

श्री अनिल के० चन्दा: चीन की सरकार को अन्तिम सुधिपत्र जुलाई, १९५४ को भेजा गया था और अन्तिम उत्तर अभी नहीं आया है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या १९५३ में भेजे गये सुधिपत्रों का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां, वह उस पर विचार कर रही है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं बताता हूं कि यह मामला चीन की पहले की सरकार से सम्बन्धित है अतः इस उत्तराधिकारी सरकार पर हम उसी प्रकार दबाव नहीं डाल सकते जिस प्रकार हम पहले की सरकार पर डाल चुके हैं । पिछले कुछ वर्षों में चीन की दशा बदल गयी है ।

सरदार हुक्म सिंह : यदि वह भारत में लौट आये तो क्या भारत सरकार इन व्यक्तियों के मामलों पर विचार करने को तैयार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह प्रश्न नहीं उठता । वास्तव में अभी दो मास पूर्व जब मैं शंघाई गया था, मैं वहां प्रत्येक भारतीय से मिला और उनमें से कोई भारत आने को राजी नहीं था । यदि कोई आना चाहता है तो हम निःसन्देह उसे सहायता देने की बात पर विचार करेंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं उन लोगों के बारे में कह रहा था जो भारत में आ गये हैं, और बेरोज़गार घूम रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं केवल यह कह सकता हूं कि प्रत्येक मामले पर विचार किया जायेगा । मैं प्रत्येक व्यक्ति के मामले के सम्बन्ध में कोई आश्वासन या वचन नहीं दे सकता पर हम प्रत्येक मामले पर विचार करेंगे ।

दामोदर घाटी परियोजना प्राक्कलन

*११४७. **पंडित डो० एन० तिवारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी परियोजना के प्राक्कलन में समय-समय पर वृद्धि की गयी है और इस समय वह मूल आंकड़ों का द्विगुणित है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मुख्य कारण निम्न हैं : —

(१) १९४५ में, जब मोटे तौर पर प्राक्कलन तैयार किये गये थे, उस समय के बाद मूल्यों में वृद्धि हो जाना ।

(२) बाद में योजना की व्याप्ति में वृद्धि होना ।

(३) मुद्रा का अवमूल्यन ।

(४) मूल प्राक्कलन में मूल्य की वृद्धि के उपबन्ध का अभाव ।

(५) भू-अधिग्रहण और पुनर्वास के व्यय में वृद्धि ।

पंडित डो० एन० तिवारी : प्राक्कलन का कितनी बार पुनरीक्षण किया गया ? उसकी मूल स्थिति क्या थी और वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री हाथी : १९४५ में एक प्राक्कलन मोटे तौर पर तैयार किया गया था । तब १९५१ में प्रथम प्राक्कलन तैयार किया गया,

उसके बाद १९५२ में और अन्तिम प्राक्कलन १९५३ में तैयार किया गया ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मूल प्राक्कलन क्या था और अब इसमें क्या अनुमान लगाया गया है ?

श्री हाथी : १९५१ का प्राक्कलन ७४.९ करोड़ रुपये का था ।

पंडित डी० एन० तिवारी : और वर्तमान प्राक्कलन ?

श्री हाथी : वर्तमान प्राक्कलन ९२ करोड़ रुपये होगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या उसका अग्रेतर संशोधन होने वाला है या प्राक्कलन के आंकड़ों में वृद्धि की जाने वाली है ?

श्री हाथी : ऐसा संभव नहीं है, जब तक कि हम कार्य की व्याप्ति को न बढ़ायें ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या व्यय में जो वृद्धि हो गयी है उसका कारण दर की वर्तमान सूचियों में परिवर्तन या परियोजना में ही परिवर्तन हो जाना है ?

श्री हाथी : मैं ने बताया है कि कई कारण हैं । मूल प्राक्कलन जो १९४५ में बनाया गया था, मोटे तौर पर तैयार किया गया था । बाद में, मूल्यों में वृद्धि, मजूरी में वृद्धि तथा परियोजना की व्याप्ति में विस्तार हो जाने के कारण प्राक्कलन बढ़ गया ।

खादी का क्रय

*११४८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार केवल मद्रास राज्य से ही खादी क्रय कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अन्य राज्यों से खादी खरीदना ठीक समझेगी ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि खादी के लिए दूर के अभिकरणों को आदेश दिया गया है और स्थानीय निर्माताओं से खादी नहीं खरीदी जाती ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं नहीं जानता कि स्थानीय निर्माताओं और दूर के संभरणकर्ताओं का क्या अर्थ है । देश भर में सरकार को खरीददारी करनी पड़ती है अतः सामान्य रूप से उसे निकटतम उपलब्ध साधन से प्राप्त कर लिया जाता है । यदि माननीय सदस्य के दिमाग में कोई खास मामला हो तो वह मुझे बताये और मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं । अधिकतर क्रय अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड से किया जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार अपने खर्चे के लिए जो खादी खरीदती है, चर्खा संघ की दुकानों से ही खरीदती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं बता चुका हूं कि अधिकतर क्रय अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड से किया जाता है । मेरा ख्याल है कि सरकार अपनी अधिकतर चीजों को इन्हीं साधनों से खरीदती है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या कभी अशुद्ध खादी भण्डारों से भी खादी खरीद कर ली जाती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी, नहीं ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५४ में सरकार ने कितने की खादी खरीदी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं माननीय सदस्य की सहायता के लिए कुछ आंकड़े दूंगा ।

१९५३-५४ में कुल ३,७५,२३४ रुपये की खादी खरीदी गयी जबकि चालू वर्ष में १ अप्रैल, १९५४ से ६ नवम्बर, १९५४ तक २४,५४,९५१ रुपये की खादी खरीदी जा चुकी है और केन्द्रीय सरकार अभी ६,७३,००० रुपये की खादी खरीदने का विचार कर रही है ।

पंडित डी० एन० तिवारी उठे—

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

सिंधी विस्थापित जमींदार

*११४९ **श्री गिडवानी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, राजस्थान के सिंधी विस्थापित जमींदारों की अवस्था तथा कृष्यभूमि आवंटन के प्रभारी अधिकारियों के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में प्रकाशित एक संवाद की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के यथासम्भव प्रयत्न किये गये हैं । सरकार उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अत्याचार के आरोपों को निराधार समझती है ।

श्री गिडवानी : यह पूछताछ किसने की तथा किससे की गई ?

श्री जे० के० भोंसले : यह पूछताछ सरकारी पदाधिकारियों द्वारा उन विस्थापित व्यक्तियों से की गई जिन्होंने वास्तव में ये आरोप लगाये थे ।

श्री गिडवानी : क्या मैं सरकार से यह प्रार्थना कर सकता हूं कि वह इसकी स्वतंत्र पूछताछ करे तथा प्रार्थियों को अपनी शिकायतें प्रमाणित करने का अवसर प्रदान करे ?

श्री जे० के० भोंसले : सभी तरह के लोग निराधार आरोप लगाते हैं, यदि माननीय सदस्य इसका दायित्व अपने ऊपर लें तो हम अवश्य पूछताछ करेंगे ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को यह मालूम है कि कुछ विस्थापित भूमिधारियों को यद्यपि भूमि वितरित की जा चुकी हैं तथापि उन्हें भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : यह एक क्रमिक प्रक्रिया है । सारी जमीन एक साथ नहीं दी जा सकती है । जिनको भूमि दी जा चुकी है उन्हें यथा-समय उसका कब्जा भी दिया जायेगा ।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का पुनर्गठन

*११५०. **श्री एस० एन० दास :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्रीय महासभा की प्रशासनिक एवं बजट समिति में संयुक्त राष्ट्रीय सचिवालय के पुनर्गठन की चर्चा के दौरान, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के कुछ प्रभावशाली पदों में कुछ वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्ति की आलोचना की; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में दूसरे देशों के प्रतिनिधियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने भारतीय प्रतिनिधि के वक्तव्य पर आपत्ति की तथा यह कहा कि इसका अभिप्राय श्री ए० एस० बुखारी, जो कि संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि हैं तथा

जिनकी संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के लोक सूचना विभाग में अवर सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है, पर छींटा कसी करना था। उसने यह भी कहा कि चूंकि श्री ए० एस० बुखारी संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं इसलिये उनके विरुद्ध आरोप न लगाया जाना चाहिये, क्योंकि उस स्थिति में वह अपनी सरकार का दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे थे न कि अपना। नार्वे तथा इराक़ के प्रतिनिधियों ने यह कहा कि वे पाकिस्तान के प्रतिनिधि से इस बात पर सहमत हैं कि जो व्यक्ति अपने देशों की ओर से विवादों में फंसे हुए हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र की सेवा से वंचित करने का सिद्धान्त अनिवार्य मानना कितना भयावह है।

श्री एस० एन० दास : क्या कोई ऐसा विशेष उदाहरण है जिस पर यह आपत्ति आधारित की गई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हमारे द्वारा की गई आपत्ति का पहिला कारण यह था कि जिस व्यक्ति ने संयुक्त राष्ट्र में दूसरे देश के विरुद्ध सक्रिय एवं आक्रमणात्मक भाग लिया हो उसके लिये बाद में निष्पक्ष रूप से कार्य करना बहुत कठिन होगा, विशेष रूप से ऐसे पद पर जो संयुक्त राष्ट्र के प्रचार एवं प्रकाशन से सम्बन्ध रखता हो। यदि वह संयुक्त राष्ट्र का कोई दूसरा भाग हो तो कोई हानि नहीं किन्तु एक ऐसे व्यक्ति का जो कि सार्वजनिक रूप में तथा अन्य प्रकार से भी आक्रमणात्मक पक्ष में रहा हो, संयुक्त राष्ट्र के वास्तविक प्रचार विभाग से सम्बन्धित होना बुरी पूर्ववादिता होगी। यह हमारी प्रमुख आपत्ति थीं।

श्री एस० एन० दास : क्या संयुक्त राष्ट्रीय सभा के भरती के नियमों में कोई ऐसा उपबन्ध है जो ऐसी नियुक्तियों को रोकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई नियम नहीं हैं न ऐसे नियम हो सकते हैं किन्तु ऐसी चीज़ों के सम्बन्ध में कुछ प्रथायें हैं और होनी चाहियें। प्रगट रूप से, इस समय कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि स्वयं महासचिव ने यह नियुक्ति की है।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या हमारे प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आपत्तियों के अलावा भारत सरकार ने भी श्री अहमद बुखारी की नियुक्ति पर असहमति प्रगट की थी; और क्या यह सच नहीं है कि हमारी आपत्तियां महासचिव के पास विचार करने के लिए देर से पहुंचीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारा न्यूयार्क स्थित प्रतिनिधि भारत सरकार की ओर से बातचीत करता है। वह किसी पृथक अस्तित्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हम ही उसे बताते हैं कि उसे क्या कहना चाहिये। भारत सरकार इस औपचारिक आपत्ति के पूर्व अपने मत को अनौपचारिक रूप में कई बार पहिले ही व्यक्त कर चुकी थी।

सरदार हुक्म सिंह उठे--

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्रीलंका में भारतीय

*११५२. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान लगाने वालों तथा श्रीलंका के पदाधिकारियों के बीच हाल ही में भारतीय राष्ट्रीयता के अभिलाषी, भारतीय उद्गम के लोगों को उपदान देने की योजना को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में हाल में ही कोई सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) इस योजना में रखे गये प्रस्तावों पर भारत सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया हुई ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) सरकार को इसकी कोई सरकारी जानकारी नहीं है । उन्होंने समाचार-पत्रों में एक ऐसा संवाद अवश्य देखा है कि अक्तूबर १९५४ के प्रारम्भ में ऐसा सम्मेलन हुआ था ।

(ख) जहां तक सरकार जानती है, योजना अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार ने इस योजना के सम्बन्ध में लंका के कार्यवाहक उच्चायुक्त से पूछताछ की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमें इस सम्बन्ध में कोई सरकारी जानकारी नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार को मालूम है कि इस निर्णय के उपरान्त भी कि भारतीयों का शोषण नहीं किया जायेगा श्रीलंका की सरकार कुछ सरकारी उपक्रमों में भारतीयों का शोषण कर रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमें यह सूचना मिली है कि ऐसे चार व्यक्तियों को पद-त्याग की पूर्व सूचना दी जा चुकी है तथा हमारे कार्यवाहक उच्चायुक्त इस सम्बन्ध में श्रीलंका के कार्यवाहक विदेश-सचिव से भेंट कर चुके हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जब कार्य-वाहक उच्चायुक्त लंका के सरकारी पदाधि-कारियों से मिले तो उन्हें क्या उत्तर प्राप्त हुआ ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह मामला श्रीलंका सरकार के विचाराधीन है ।

कॉफ़ी उगाने वाले

*११५४. **श्री केशवैयंगार** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कॉफ़ी उगाने वाले कॉफ़ी बोर्ड के ऐसे सदस्य हैं जिनके पास (१) ५ एकड़ तथा उससे कम, (२) ५ से १० एकड़ तक, (३) १० से ५० एकड़ तक, तथा (४) १०० एकड़ और उससे अधिक भूमि है ;

(ख) भारत के कितने कॉफ़ी उगाने वाले कॉफ़ी बोर्ड के सदस्य नहीं हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क)

(१) ५ एकड़ तथा उससे कम कोई भी नहीं

(२) ५ से १० एकड़ के बीच कोई भी नहीं

(३) १० से ५० एकड़ के बीच कोई भी नहीं

(४) १०० एकड़ तथा उससे अधिक ८ उगाने वाले

(ख) ३०-६-५४ को पंजीयित बगीचों की कुल संख्या ३२,८४८ थी । जो कॉफ़ी उगाने वाले कॉफ़ी बोर्ड के सदस्य नहीं हैं उनकी यथार्थ संख्या देना संभव नहीं है, क्योंकि एक उगाने वाले के एक से अधिक बगीचे हो सकते हैं ।

श्री केशवैयंगार : क्या सरकार ने कॉफ़ी बोर्ड के सदस्यों के चुनाव के लिये नियम बनाये हैं, तथा क्या उनमें छोटे बगीचों के मालिकों का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये विशेष उपबन्ध किये हैं; यदि हां, तो सरकार उन नियमों की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

श्री करमरकर : हमने अभी अन्तिम रूप से नियम नहीं बनाये हैं । जहां तक छोटे कॉफ़ी उगाने वालों के प्रतिनिधित्व का सम्बन्ध है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र ने विधेयक पर हाल ही में हुई चर्चा को पढ़ा होगा ।

श्री तिम्मय्या : उन कॉफ़ी उगाने वालों की क्या संख्या है जो भारतीय नहीं हैं; और क्या उनमें से कोई कॉफ़ी बोर्ड में कार्य कर रहा है ?

श्री करमरकर : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । मैं यह सूचना अभी अभी नहीं दे सकता, किन्तु पूर्व सूचना प्राप्त होने पर मैं सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा ।

पंच वर्षीय योजना

***११५७. श्री मुरारका** : **क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंच वर्षीय योजना के व्यय को शीघ्रता से तथा दृढ़तापूर्वक बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): इस योजना के अधीन व्यय को बढ़ाने के लिये जो कार्यवाही की जाने वाली है, अथवा की गई है, उसमें प्रक्रिया का सुधार, कर्मचारियों की कमी को दूर करना, प्रशासन को दृढ़ करना वित्तीय उपबन्धों को ऐसे शीर्ष से, जहां कि बाकी रहने की संभावना हो, अधिक व्यय वाले शीर्ष में स्थानान्तरित करना तथा सामान्यत: योजना की प्रगति को निरन्तर रूप से देखना शामिल है ।

श्री मुरारका : पंच वर्षीय योजना के अधीन अक्तूबर १९५४ तक कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री एस० एन० मिश्र : यद्यपि मैं यह आंकड़े अभी दे सकता हूं, तथापि मैं माननीय सदस्य से प्रगति की रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई है देखने को कहूंगा क्योंकि उसमें सब सूचना दी गई है । मैं पहिले तीन वर्षों के दौरान हुआ कुल व्यय बता सकता हूं । यह ८७८.९९ करोड़ रुपये है । मैं आपको राज्य तथा केन्द्र का पृथक् व्यय भी दे सकता हूं ।

श्री मुरारका : मैं अक्तूबर १९५४ तक के आंकड़े चाहता हूं । प्रगति की रिपोर्ट में यह आंकड़े नहीं दिये गये हैं ।

श्री एस० एन० मिश्र : इसके लिये हमें अधिक समय की आवश्यकता है तथा माननीय सदस्य को प्रगति की अगली रिपोर्ट तक प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री मुरारका : क्या सरकार शेष १,२०० करोड़ की धनराशि को अगले दो वर्षों में व्यय करना चाहती है ?

श्री एस० एन० मिश्र : यद्यपि हम यही आशा कर रहे हैं, तथापि व्यय में १५ प्रतिशत की कमी हो सकती है ।

श्री एस० एन० दास : क्या उन राज्यों ने जो पिछले तीन वर्षों में व्यय का लक्ष्य पूरा नहीं कर सके हैं विभिन्न शीर्षों में व्यय करने के लिये उचित कार्यवाही की है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मेरा ऐसा ही विचार है । राष्ट्रीय विकास परिषद् की पिछली बैठक में जब योजना की प्रगति पर विचार-विमर्ष हुआ तो वहां योजना की गति को बढ़ाने का दृढ़ निश्चय ज्ञात होता था । १९५३–५४ में उससे पहले के वर्ष के पुनरीक्षित प्राक्कलनों से १०० करोड़ रुपये अधिक व्यय होगा ।

भारतीय मानक संस्था

***११६१. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत छ: मासों में भारतीय मानक संस्था ने किसी कृषि वस्तु या उद्योग वस्तु का कोई विशिष्ट मानक निर्धारित किया है; और

(ख) क्या इस संस्था को मत देने या विवादग्रस्त मामलों में निर्णय करने के लिए कोई नमूने प्राप्त हुये थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्, १ जून, १९५४ से ३० नवम्बर, १९५४ तक के छः मासों में इस संस्था के औद्योगिक वस्तुओं के लिए ११४ मानक और कृषि वस्तुओं के लिए १३ मानक निर्धारित किये हैं ।

(ख) आजकल संस्था को वस्तुओं की जांच या निरीक्षण करने की सुविधायें प्राप्त नहीं हैं, परन्तु जांच के लिए नमूने प्राप्त होने पर संस्था विभिन्न राष्ट्रीय तथा राज्यिक प्रयोगशालाओं में ऐसे नमूनों की जांच कराती है । विवादग्रस्त मामलों में संस्था मध्यस्थ-निर्णय या मध्यस्थ का काम नहीं करती है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या केन्द्रीय सरकार को विदित है कि अभी बनाये गये मानकों में से राज्य सरकारों ने कितनों को अपना लिया है ?

श्री करमरकर : मेरा ख़याल है कि सम्बन्धित उद्योग ने मानकों को अपना लिया है । मैं इसके लिये पूर्व सूचना चाहता हूं ।

सरदार हुक्म सिंह : राज्य सरकारों ने ?

श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मत देने या मध्यस्थता करने का कोई शुल्क लिया जाता है ?

श्री करमरकर : हम मध्यस्थता नहीं करते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : तब, विगत बारह मासों में कितना धन एकत्र किया गया था ?

श्री करमरकर : क्या माननीय सदस्य विवादों तथा ऐसे विवादों के परिणामस्वरूप मध्यस्थता का उल्लेख करते हैं ? हम उस झमेले में नहीं पड़ते ।

श्री एन० बी० चौधरी : कृषकों या सम्बन्धित उत्पादकों को मानकों का ज्ञान कराने के लिए क्या कार्यवाही की जाती है ?

श्री करमरकर : हम उन्हें प्रकाशित करते हैं और आशा करते हैं कि राज्य सम्बन्धित व्यक्तियों को इन प्रकाशनों का बोध करायेंगे ।

चावल का चोकर

*११६२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल के चोकर को निर्यात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या मिल के चोकर और हाथ से कूटे गये चावल के चोकर की अलग मात्रा निश्चित की गयी है;

(ग) अब तक चावल का कितना चोकर निर्यात हो चुका है; और

(घ) क्या चोकर के निर्यात से भारत में चारे की स्थिति पर असर नहीं पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) लगभग २,००० टन ।

(घ) चोकर, जो ढोरों का बहुत ही आवश्यक चारा है, के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार को पता है कि जो अंश उसका यहां से निर्यात किया जाता है, वह गांवों में गरीबों के जलाने के काम में आता है ?

श्री करमरकर : जलाने के लिए इस्तैमाल नहीं करना चाहिये ।

श्री विभूति मिश्र : गांवों में लकड़ी का अभाव है और सारी चीज़ों का अभाव है । धान को कूटने के बाद जो छिलका रह जाता है उससे गरीब आदमी अपना खाना बनाते हैं ।

श्री करमरकर : खाने के लिए तो हमारे यहां अभी ठीक इन्तिजाम है और जलाने के

लिए भी है। अगर आनरेबिल मेम्बर के पास किसी दिक्कत की कोई इनफारमेशन आयी हो तो हम उस पर सोच सकते हैं। अभी तक तो कोई दिक्कत की इनफारमेशन हमारे पास नहीं आयी है।

श्री विभूति मिश्र : एक टन निर्यात करने में कितना पैसा मिलता है ?

श्री करमरकर : उसके बारे में पूर्व सूचना चाहिये।

श्री आल्तेकर : चोकर का निर्यात किन किन देशों को होता है ?

श्री करमरकर : फिलिप्पाइन, इंगलैंड, और श्रीलंका। यह १९५२–५३ और १९५३–५५ के सम्बन्ध में है।

श्री आल्तेकर : निर्यात किये गये चोकर का मूल्य क्या है ?

श्री सारंगधर दास : इस दृष्टि से कि प्रायः सारे देश में ढोरों के लिए चारे का अभाव होता है, क्या सरकार चारा सामग्री को कभी निर्यात न करने और उसे देश में रखने के औचित्य पर विचार करेगी ?

श्री करमरकर : मैं यह सुझाव खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को भेज दूंगा। इस मामले में वही हमारा परामर्शदाता है।

मजूरी का क्रम

*११६४. **श्री एस० एन० दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में मजूरी के क्रम पर शोधन कार्य करने के लिए उद्योग तथा श्रम के संयुक्त परामर्शदाता बोर्ड को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या देश में और कोई संस्था भी यह कार्य कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें अब तक कैसी और कितनी सहायता दी गई है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) तथा (ख). मजूरी के क्रम का अध्ययन, संयुक्त परामर्शदाता बोर्ड की ओर से मालिकों तथा मज़दूरों के संघ कार्य सम्बन्धी अपने कार्यक्रम के एक अंग के रूप में करेंगे। सम्भव है कि गवेषणा की उचित योजनायें गवेषणा कार्यक्रम समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायें। अब तक संयुक्त परामर्शदाता बोर्ड की किसी गवेषणा योजना के लिए न तो सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है और न ही सरकार ने दी है।

(ग) तथा (घ). श्रम के क्षेत्र में साधारण अध्ययन विभिन्न विश्वविद्यालय-शिक्षालयों द्वारा किया जाता है। सरकार ने उन्हें कोई विशेष सहायता नहीं दी है। श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम सूचनालय भी ऐसा अध्ययन करता है।

श्री एस० एन० दास : क्या इस विषय के महत्व की दृष्टि से, सरकार स्वयं यह विचार कर रही है कि किसी संस्था से ऐसी गवेषणायें कराई जायें ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं ने उत्तर में बताया था कि श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम सूचनालय भी अध्ययन करता है।

श्री एस० एन० दास : क्या इस संयुक्त परामर्शदाता बोर्ड ने सरकार को सूचित किया है कि वह स्वयं ऐसी गवेषणायें करना चाहता है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी हां। पिछली बार, जबकि बोर्ड की बैठक ३ नवम्बर को हुई, उन्होंने गवेषणा कार्यक्रम समिति का प्रस्ताव स्वीकार किया और परामर्शदाता बोर्ड के सभापति को ऐसे ढंगों के खोजने का

अधिकार दिया गया है जिनसे इस प्रस्ताव का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या विशिष्ट उद्योगों के लिए, जिनमें वे मजूरी के क्रम की जांच करेंगे, कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : संयुक्त परामर्शदाता बोर्ड ने यह कार्यक्रम अभी पिछले दिनों स्वीकार किया था । कदाचित् एक-आध मास में बोर्ड की बैठक होगी और तब विवरणात्मक बातों पर विचार किया जायेगा ।

पंच वर्षीय योजना

*११६६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोज़गार बढाने के लिए पंच वर्षीय योजना का कितना और विस्तार किया गया है;

(ख) इस विस्तार के अधीन कौन कौन सी योजनायें या कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे; और

(ग) क्या श्रम वृद्धि योजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १९]**.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : विवरण से यह प्रकट होता है कि इस कार्य के लिए योजना के अधीन २१६ करोड़ रुपये स्वीकार किये गये हैं । मैं जानना चाहती हूं कि क्या २१६ करोड़ रुपयों की ये योजनायें प्रथम पंच वर्षीय योजना काल में कार्यान्वित की जायेंगी या उनमें से कुछ द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिए रखी जायेंगी ?

श्री एस० एन० मिश्र : क्योंकि ये योजनायें रोज़गार के साधनों में वृद्धि करने के लिए बनाई जाती हैं, अतः हमें आशा है कि वे कार्यान्वित की जायेंगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इन योजनाओं के अधीन लगभग कितने लोगों को काम मिलेगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : हमारी कठिनाई यही है कि हम अभी तक रोज़गार सुविधाओं का सांख्यिक निर्धारण नहीं कर सके हैं । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि योजना आयोग इस समस्या पर निरन्तर ध्यान दे रहा है और हम यथासम्भव निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं । परन्तु अभी तक हम कोई ठीक निर्धारण नहीं कर सके हैं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : देश में रोज़गार की सम्भावनाओं तथा वास्तविक बेकारी के बीच अनुपात का पता लगाने के लिए अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री एस० एन० मिश्र : कुछ अध्ययन होने के पश्चात् ही पूर्ण स्थिति का ज्ञान हो सकेगा । योजना आयोग ऐसा एक अध्ययन कर रहा है । परन्तु अधिक महत्वपूर्ण बात जो अब होने जा रही है यह है कि भारतीय सांख्यकीय संस्था योजना आयोग के सहयोग से देश में रोज़गार की परिस्थिति का व्यापक कार्यवेक्षण करेगी, और इन सारी बातों से पूर्ण स्थिति ज्ञात होगी ।

योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा): उस प्रश्न के उत्तर में मैं यह भी बता दूं कि नदी घाटी योजनाओं के सम्बन्ध में भी रोज़गार की क्षमता का एक वैज्ञानिक अध्ययन हो चुका है । मेरा विचार है कि विगत कुछ मासों में तीन महान परियोजनाओं के बारे में जांच पड़ताल पूरी की जा चुकी है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय उप-मंत्री ने कहा था कि कोई संस्था सूचना एकत्र कर रही है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह संस्था केवल नगरों में बेकारी के प्रश्न को ले रही है या गांवों में बेकारी के आंकड़े एकत्र करने की भी इसकी योजनायें हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : जहां तक भारतीय सांख्यिक संस्था के इस प्रस्तावित रोज़गार पर्यवेक्षण का सम्बन्ध है, वह सम्पूर्ण देश का होगा। कदाचित् माननीय महिला सदस्य के ध्यान में वह पर्यवेक्षण है जो हाल में ही भारत के २३ नगरों का किया गया था; परन्तु अब का यह पर्यवेक्षण सम्पूर्ण देश का होगा ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि यह धनराशि, जिसका अभी उल्लेख किया गया है और जो रोज़गार बढ़ाने के हेतु पंच वर्षीय योजना में रखी गयी है, क्या उस दश-वर्षीय योजना का ही एक अंग होगी, जोकि सम्पूर्ण देश से बेकारी दूर करने के लिए बनाई गयी बताई जाती है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य कौन सी दश-वर्षीय योजना का उल्लेख कर रहे हैं, परन्तु जनता को पूर्ण रोज़गार दिलाने की समस्या, वास्तव में, एक दीर्घ-कालीन समस्या है; इसमें दस वर्ष भी लग सकते हैं, और उससे कम या अधिक समय भी लग सकता है; यह तो विकास की गति पर निर्भर करता है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अभी तक, या इस अतिरिक्त धन में से कुछ राशि, इस कार्य के लिए, अभी तक व्यय की जा चुकी है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जी, हां। मेरा विचार है कि एक बहुत बड़ी राशि खर्च की जा चुकी है, और एक पर्याप्त राशि खर्च करने की योजना बनाई गयी है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह व्यय तथा रोज़गार दिलाने के अवसर उत्पन्न करने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना का विस्तार देश में फैली हुई बेकारी के परिमाण के निर्धारण पर आधारित है, अथवा यह बिना सोचे समझे अंधेरे में छलांग लगाने के समान है ?

श्री एस० एन० मिश्र : जब तक, हमारे पास रोज़गार सम्बन्धी नीति बनाने के लिए एक ठीक सांख्यकीय आधार न हो, तब तक सम्भवतः, माननीय सदस्य, सदैव यही कहते रहेंगे कि हम अंधेरे में छलांग लगा रहे हैं। परन्तु जहां तक हम ने विभिन्न राज्यों से जानकारी एकत्रित की है, उससे यही मानना होगा कि, क्योंकि राज्य ही ऐसे वास्तविक प्राधिकारी हैं जो इस बारे में जानकारी दे सकते हैं, और हमारा विचार है कि हम उन्हीं के अनुभवों और जानकारी के आधार पर ही ये कार्यक्रम बना सके हैं, और उनका प्रभाव अवश्य पड़ेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

ऊनी माल

***१११५. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ऊनी माल के आयात के कोटे की वृद्धि का बाज़ार पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि आयात किये गये माल के तटागत मूल्य और भारतीय माल के मूल्य में बड़ा भारी अन्तर है, और-

इसलिये आयात शुल्क बढ़ाने का कोई विशेष लाभ न होगा; तथा

(ग) भारतीय निर्माताओं के संरक्षण के लिए, यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). आयातित माल का तटागत मूल्य, भारत में बनाये गये बिल्कुल वैसे ही माल के मूल्य की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, और शुल्क का ऊंचा दर, तथा उपभोक्ताओं द्वारा इस महंगे आयातित माल को कम काम लेना ही भारतीय उद्योगों के हितों का पर्याप्त संरक्षण है । तथापि, सरकार स्थिति का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर रही है, और आवश्यकतानुसार उचित कार्यवाही करेगी ।

औषधि निर्माण जांच समिति का प्रतिवेदन

***१११६. श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधि निर्माण जांच समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ ६९ में दिये गये सुझाव पर विचार किया है जिसमें कहा गया है कि रसायनों और औषधियों के भारतीय निर्माताओं के, विदेशी सार्थों से किये हुए करारों का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). औषधि निर्माण जांच समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है और सरकार आशा करती है कि वह यथा-समय, इस विषय पर एक प्रस्ताव जारी करेगी ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा

***१११७. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ के वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के विकास के लिए राज्यों को कुल कितना अनुदान दिया गया है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): १०३.४९ लाख रुपया ।

आसामी भाषा की शिक्षा

***११२३. श्री आर० के० चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५३–५४ से उत्तर-पूर्वी-सीमान्त अभिकरण में आसामी भाषा का, एक अनिवार्य विषय के रूप में अथवा शिक्षा के माध्यम के रूप में, पढ़ाया जाना बन्द कर दिया गया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो किस प्रकार की पाठशालाओं में ऐसा किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हथकरघों की गणना

***११२६. श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की प्रार्थनानुसार सभी राज्यों ने, हथकरघों की गणना का कार्य, अपने हाथ में ले लिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कितना हो चुका है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) तथा (ख). इस प्रकार

की गणना करने के लिए राज्य सरकारों को कहा गया है और इस कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार ने धन भी मंजूर कर दिया है। यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में रोके गए भारतीय

*११२९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने भारतीय पर्यटक तथा विद्यार्थी हैं जिन्हें १५ अगस्त, १९४७ से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अमरीकी आप्रवास अधिनियम के अधीन रोका गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : इसके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं।

चाय-बागान के मजदूर

*११३१. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४ के वर्ष में केन्द्रीय चाय बोर्ड से, चाय-बाग़ान के मज़दूरों के कल्याण के हेतु, कितनी राशि प्राप्त हुई है; तथा

(ख) यह राशि किस प्रकार के कल्याण कार्यों पर व्यय की गयी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). भूतपूर्व केन्द्रीय चाय बोर्ड ने मजदूरों के कल्याण के लिए बनाई गयी योजनाओं के हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए १९५३–५४ के अपने आयव्ययक में एक लाख रुपया रखा था। परन्तु बोर्ड को, किसी भी राज्य से, उचित समय पर, कोई भी योजना प्राप्त नहीं हुई।

कोसी परियोजना के लिए सीमेन्ट का कोटा

*११३५. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी परियोजना के प्राधिकारियों ने उक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, सीमेन्ट के अतिरिक्त-कोटे की बांट की मांग की है;

(ख) यदि ऐसा है, तो उन्होंने कितना अतिरिक्त सीमेन्ट मांगा है, और उसके बारे में सरकार ने क्या विनिश्चय किया है;

(ग) क्या उन्होंने कोई अनुमान दिया है कि प्रति वर्ष उन्हें कुल कितनी सीमेन्ट की आवश्यकता होगी; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो वे कितने वर्षों के लिए अतिरिक्त तथा विशेष बांट चाहते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हां, श्रीमान्।

(घ) नवम्बर, १९५५ से लगभग तीन या चार वर्षों के लिए।

फ़रीदाबाद में नगरपालिका निगम

*११३७. **श्री इब्राहीम** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़रीदाबाद में एक नगरपालिका निगम स्थापित करने के विषय में कोई प्रस्थापना है;

(ख) यदि हां, तो निगम पर आवर्तक वार्षिक व्यय कितना आयेगा; तथा

(ग) क्या इस निगम का प्रशासन दिल्ली राज्य संभालेगा अथवा केन्द्रीय सरकार ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

हरिजनों का प्रव्रजन

*११४०. **श्री राम दास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान सरकार ने लाहौर के संक्रमण कैम्प से, अब कितने हरिजनों को छोड़ा है; तथा

(ख) उन्हें भारत में पुनः बसाने के लिए सरकार के विचार में किस प्रकार की योजनाएं हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) ७ मई, १९५४ के पश्चात् कोई भी नहीं छोड़ा गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लंका में भारतीय

*११४२. **श्री वीरस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** पहली दिसम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका सरकार की सेवाओं में नियुक्त कुछेक भारतीयों को उनकी सेवाओं से अलग कर देने के लिए, उन्हें नोटिस दे दिये गये हैं;

(ख) यदि ऐसा है, तो उनकी संख्या कितनी है; तथा

(ग) क्या लंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने लंका सरकार के इस कार्य का विरोध किया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी, हां । ऐसे बहुत से व्यक्तियों को, जो मूल रूप में तो भारतीय हैं, परन्तु अभी तक लंका के अथवा भारत के राष्ट्रजन नहीं बन सके हैं, नौकरी से अलग कर देने के लिए, नोटिस दे दिये गये हैं ।

(ख) उनकी ठीक संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ग) लंका स्थित कार्यकारी उच्चायुक्त, लंका सरकार के साथ इस मामले पर बातचीत कर रहे हैं ।

सीमावर्ती घटना

*११४३. **श्री एम० ईस्लामुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** १३ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, जैसे पाकिस्तान सरकार ने सुझाव दिया था, भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा एक संयुक्त जांच की गयी थी, तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच की उत्पत्ति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). संयुक्त जांच २२ और २३ दिसम्बर, १९५४ को होगी ।

चाय

*११४४. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस वर्ष अब तक (निर्यात तथा आन्तरिक उपयोग के सम्बन्ध में) चाय का औसत मूल्य क्या है;

(ख) इस वर्ष की उत्पादन लागत की तुलना में यह कैसा है; और

(ग) १९५१ तथा १९५२ की उत्पादन लागत की तुलना में यह कैसा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) दो विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २०]**

(ख) तथा (ग). ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सूचना केन्द्र

*११४६. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये कितने सूचना केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) ये किस अभिकरण के अधीन काम करते हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). भारत सेवक समाज द्वारा दिल्ली राज्य में शीघ्र ही दो सूचना केन्द्र खोले जायेंगे ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण

*११५१. **श्री आर० के० चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण के न्यायालय और कार्यालयों की कार्यवाहियां वहां की बोली न जानने वाले अधिकारियों को किस भाषा में समझाई जाती हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में अब जो क्षेत्र सम्मिलित हैं, वहां पहले आसामी में भाषान्तर किया जाता था ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) तथा (ख). न्यायालयों और कार्यालयों की कार्यवाहियों का भाषान्तर करने के लिये कोई निश्चित भाषा नहीं है । साधारणतया आसामी और हिन्दी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था और बहुत कम मामलों में अंग्रेजी का प्रयोग होता था । अधिकारियों को संबद्ध क्षेत्र की आदिमजातीय भाषाओं को सीखने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है ।

एशिया तथा सुदूर पूर्व का आर्थिक आयोग

*११५३. **श्री संगण्णा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया तथा सुदूर-पूर्व के आर्थिक आयोग ने बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं के प्रशासन तथा अनुसन्धान के विषय में एक पुस्तिका तैयार की है;

(ख) क्या इस मामले में भारत सरकार से परामर्श किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में भारत सरकार ने कैसे सुझाव दिये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जहां तक सरकार को विदित है, ऐसी कोई पुस्तिका प्रकाशित नहीं हुई है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सुपारी

*११५५. **पण्डित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयात-शुल्क बढ़ाने से पहले और इस समय सुपारी का क्या मूल्य है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २१]**

बेकारी

*११५६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधीन विभिन्न विकास परियोजनाओं की कार्यान्विति से देश में बेकारी किसी प्रकार कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). इस समय इसकी मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है। कुछ राज्यों से प्राप्त उत्तरों से यह पता चलता है कि इन योजनाओं से कुछ हद तक बेकारी दूर हुई है।

बेकारी

*११५८. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में सड़क विकास तथा एक अध्यापक वाली पाठशालाओं के विस्तार की नीति के द्वारा समाज की बेकारी की समस्या को हल करने के परिणामों का कुछ अनुमान लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) तथा (ख). शिक्षित व्यक्तियों की बेकारी को कम करने के लिए शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम की योजना के अधीन अभी तक ५९,३३७ अध्यापकों की नियुक्ति का अनुमोदन किया जा चुका है। सड़क विकास के लिये २२.५ करोड़ रुपये की लागत वाली अतिरिक्त योजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है। इन योजनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाले रोज़गार का अध्ययन किया जा रहा है।

विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर

*११५९. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश, बम्बई और हैदराबाद राज्यों में पृथक् पृथक् जिन विस्थापित व्यक्तियों को अभी तक प्रतिकर दिया जा चुका है, उनकी संख्या कितनी है; और

(ख) उनको कुल कितनी राशि दी गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) १ दिसम्बर, १९५४ तक जिन विस्थापित व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जा चुका है, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

मध्य प्रदेश	८२१
बम्बई	२३२४
हैदराबाद	३
कुल	३१४८

(ख) ९३,५६,५६० रुपये।

हैफलांग बस्ती (धर्मनगर)

*११६०. **श्री दशरथ देव** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि हैफलांग बस्ती (धर्मनगर) में दवाई न मिलने के कारण दो बच्चे मर गये, हालांकि सरकारी अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी से कहा गया था, किन्तु उसने यह कह कर कि भण्डार में दवाई नहीं है, अपनी असहायावस्था प्रकट की;

(ख) क्या यह तथ्य है कि अगले ही दिन जब सम्बद्ध अधिकारियों ने इसकी पड़ताल की, तो यह देखा गया कि वह दवाई उस अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चलचित्रों का निर्यात तथा आयात

*११६३. **श्री गिडवानी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब तक पाकिस्तान अपनी नीति में ऐसा परिवर्तन नहीं करता, जिससे कि

भारत के चलचित्र निर्माता सन्तुष्ट हो सकें, तब तक भारतीय चलचित्रों का पाकिस्तान में निर्यात करने तथा पाकिस्तानी चलचित्रों का भारत में आयात करने की अनुमति न देने की जिस संकल्प में प्रार्थना की गई है जो बंगाल चलचित्र संघ द्वारा पारित किया गया है, क्या उस संकल्प की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी प्रार्थना पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् ।

(ग) यह समझा जाता है कि निर्यात तथा आयात के मामले में, चलचित्र निर्माता और चलचित्र वितरण करने वाले लोग स्वेच्छा से इस आकस्मिक स्थिति का सामना कर सकते हैं ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण

*११६५. **श्री संगण्णा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के सब डिवीज़नों के नाम बदलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हज़ारिका) : (क) तथा (ख). इस वर्ष जनवरी में उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण के डिवीज़नों के वही नाम रखे गये हैं, जो उनमें बहने वाली पांच मुख्य नदियों के नाम हैं और एक का नाम ब्रूनसांग रखा गया है । डिवीज़नों के नाम पुनः बदलने का कोई नया विचार नहीं है ।

मध्यप्रदेश में हथकरघा उद्योग

*११६८. **मुल्ला अब्दुल्लाभाई** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५४–५५ के दौरान में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये मध्य प्रदेश सरकार को अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई है; और

(ख) यह राशि किन कार्यों पर खर्च की जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ४,२५,३९५ रुपये ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २२]**

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

*११६९. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में कैलाशहर की मछली मारा बस्ती में बसाये गये बहुत से विस्थापित व्यक्ति बस्ती को छोड़ कर भाग गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) वहां विस्थापित व्यक्तियों के कितने परिवार बसाये गये थे; और

(घ) कितने परिवार इस बस्ती को छोड़ कर चले गये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

संरक्षित उद्योग

७१९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर

एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो :

(क) प्रशुल्क बोर्ड की स्थापना के पश्चात् अब तक सरकार ने किन किन उद्योगों को संरक्षण दिया है;

(ख) जिन उद्योगों को संरक्षण मिल रहा है उनके नाम क्या हैं;

(ग) जिन उद्योगों को सरकार संरक्षण दे रही है उनमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(घ) उन उद्योगों में जिन्हें सरकार इस समय संरक्षण दे रही है, लगी हुई पूंजी में विदेशी पूंजी कितनी है; और

(ङ) संरक्षित उद्योगों में लगी हुई विदेशी पूंजी को १९४७–४८ से १९५३–५४ तक वर्षानुसार अनुमानतः क्या लाभ अथवा हानि हुई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण संलग्न हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २३]**

(ग) से (ङ). जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

ढलवां लोहे के पाइप बनाने का उद्योग

७२०. **श्री बी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो :

(क) भारत के ढलवां लोहे के पाइप बनाने के उद्योग में अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है और उद्योग की स्थापित क्षमता क्या है;

(ख) १९४७–४८ और १९५३–५४ के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं;

(ग) उद्योग में संगठित एकक कौन कौन से हैं और १९४७–४८ से लेकर, वर्षानुसार प्रत्येक एकक के उत्पादन के आंकड़े क्या हैं;

(घ) १९४७–४८ और १९५३–५४ में इस उद्योग में कितने श्रमिक काम कर रहे थे; और

(ङ) १९४७–४८ और १९५३–५४ में प्रत्येक श्रमिक द्वारा किये गये उत्पादन की औसत क्या है और उपरोक्त वर्षों में मजूरी प्रति टन उत्पादन व्यय का कितने प्रतिशत थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ढलवां लोहे के पाइप बनाने के उद्योग में लगी हुई पूंजी के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि सब एकक लोहे की दूसरी वस्तुयें भी बनाते हैं। संगठित एककों की एक ही पारी में कुल वार्षिक स्थापित क्षमता विशेष वस्तुओं और जोड़ने के पुर्जों (स्पैशल्ज़ ऐंड फिटिंगज़) समेत लगभग ८१,५०० टन है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २४]**

(ग) एक विवरण, जिसमें संगठित एककों के नाम दिये गये हैं, संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २५]** औद्योगिक सांख्यकी अधिनियम, १९४२ की धारा ७ के अन्तर्गत व्यक्तिगत एककों के उत्पादन के बारे में जानकारी बिना उनके मालिकों की पूर्व-सम्मति के नहीं दी जा सकती ।

(घ) और (ङ). जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

तार और तार के कीलों का उद्योग

७२१. **श्री बी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो :

(क) तार और तार के कील बनाने के उद्योग (संगठित विभाग) में अब तक कुल

कितनी पूंजी लगाई गई है और उसमें यदि विदेशी पूंजी है तो वह कितने प्रतिशत है;

(ख) १९४७–४८ और १९५३–५४ में इस उद्योग में कितना उत्पादन किया गया था;

(ग) उत्पादन के संगठित एककों की संख्या और नाम क्या हैं;

(घ) १९४७–४८ और १९५३–५४ में कितने श्रमिक काम कर रहे थे; और

(ङ) उपरोक्त दो वर्षों में किन मुख्य वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २६]**

टीन की चादरें निर्माण करने का उद्योग

७२२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न-लिखित जानकारी हो :

(क) टीन की चादरें बनाने के उद्योग में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) प्रथम जुलाई, १९५४ को लगी हुई पूंजी में भारतीय और विदेशी पूंजी के कितने कितने भाग थे;

(ग) १९४७–४८ और १९५३–५४ में कितना उत्पादन (टनों में) हुआ और उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में उत्पादन का अनुमानित मूल्य क्या था;

(घ) उपरोक्त दो वर्ष में कितने श्रमिक रख गये थे और प्रति श्रमिक उत्पादन की औसत क्या थी; और

(ङ) दो वर्ष में इस उद्योग में खपत किये गये टीन, इस्पात, गंधक के तेज़ाब, पिक मील, ताड़ के तेल के मूल्य की क्या औसत है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २७]**

चाय के बागान

७२३. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक हज़ार एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के उन चाय के बागान की पृथक् पृथक् संख्या क्या है जिनके मालिक भारतीय और विदेशी हैं; और

(ख) ५०० एकड़ से अधिक परन्तु एक हज़ार एकड़ से कम क्षेत्रफल के चाय के उन बागान की पृथक् पृथक् संख्या क्या है, जिनके मालिक भारतीय और विदेशी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

चाय समवाय

७२४. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में स्टर्लिंग पूंजी वाले ऐसे चाय समवायों की संख्या क्या है जो ब्रिटेन में पंजीबद्ध हैं;

(ख) उनमें से ऐसे समवायों की संख्या क्या है जो एक हज़ार एकड़ से अधिक क्षेत्रफल के चाय बागानों के मालिक हैं; और

(ग) उनमें से ऐसे समवायों की संख्या क्या है जो ५०० एकड़ से अधिक और १००० एकड़ से कम क्षेत्रफल के चाय बागानों के मालिक हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १२८ ।

(ख) १०० ।

(ग) १०६ ।

अवैध आप्रवासी

७२५. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या प्रधान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अब तक अवैध आप्रवास अधिनियम के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को श्रीलंका से निकाल कर भारत भेजा जा चुका है;

(ख) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) २६ अक्तूबर तक : ८४०

(ख) एक आयोजित आन्दोलन चल रहा है। (१) बेसमझ लोगों को अवैध रूप से उत्प्रवास करने से (१) इश्तहारों (२) पत्रिकाओं (३) रेडियो द्वारा प्रसारणों की सहायता से रोका जा रहा है; और

(२) अवैध उत्प्रवासि का प्रयास करने वालों, उनके सहयकों और उन्हें उकसाने वालों को, एक विशेष पदाधिकारी और विशेष पुलिस बल जो इसी प्रयोजन के लिये नियुक्त किया गया है, अक्सर छापे मार कर पकड़ते रहते हैं ।

जानकारी देने वालों कोपारितोषक दिये जाते हैं। निकाले गये लोगों से अवैध उत्प्रवास इत्यादि के संगठन के बारे में जानकारी नियमित रूप से एकत्रित की जाती है। उत्प्रवास, पुलिस और सीमा शुल्क प्राधिकारियों के बीच घनिष्ट सम्पर्क रखा जाता है; तटीय क्षेत्र पर गश्त लगाई जाती है; और ऐसे यातायात के मुख्य स्थानों पर कड़ी नज़र रखी जाती है।

बेरोज़गारी

७२६. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने अपने राज्यों में बेरोज़गारी का अन्त करने के लिये सुझाव दिये हैं; और

(ख) अक्तूबर १९५४ की समाप्ति तक देश में राज्यवार बेरोज़गार लोगों की संख्या क्या थी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें उन राज्यों के नाम दिये गये हैं जिन्हों ने बेरोज़गारी का अन्त करने के लिये योजनायें बनाई हैं। [देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या २८]

(ख) राज्यवार, बेरोज़गार लोगों की संख्या के बारे में जानकारी केवल काम दिलाऊ दफ्तरों की चालू पंजियों से ही मिल सकती है। अक्तूबर, १९५४ के बारे में विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २९]

आंध्र राज्य को अनुदान

७२७. श्री सी० आर० चौधरी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष १९५४–५५ के लिये आंध्र राज्य को सामुदायिक परियोजना विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार खंडों के लिये कितनी राशि दी गई है;

(ख) विभिन्न परियोजनाओं पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है; और

(ग) यदि वस्तु अथवा नकदी के रूप में स्वेच्छा से कोई अंशदान दिये गय हैं तो वे कितने हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) निधि का आवंटन ३ वर्ष के काल के लिये किया जाता है । प्रत्येक वर्ष के लिये व्यय की जाने वाली राशि निश्चित करने का काम स्वयं राज्य सरकारें करती हैं । १९५४–५५ के लिये राज्य के आयव्ययक में की गई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।

(ख)

२ सामुदायिक परियोजनाओं (१९५२–५३) के लिये	१३.५१ लाख रु०	जून १९५४ तक
२ सामुदायिक विकास खंडों (१९५३–५४) के लिये	०.०६ लाख रु०	
और		
२२ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों (१९५३–५४) के लिये	१.७७ लाख रु०	
कुल	१५.३४ लाख रु०	

(ग) ५.२० लाख रुपये ।

उपभाषायें

७२८. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो की दिल्ली स्टेशन से सितम्बर, १९५४ तक ऐसी उपभाषाओं में कितनी वार्तायें और लोक गीत प्रसारित किये गये हैं, जिन में बहुत थोड़ा साहित्य है या बिलकुल साहित्य नहीं है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३०]** यह भी बता दिया जाये कि दिल्ली के देहाती कार्यक्रम में हरयाना और बृज भाषा प्रत्येक को १५ मिनट प्रति दिन दिये जाते हैं ।

अहमदाबाद में कपड़े की मिलें

७२९. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ और १९५३ के दौरान में अहमदाबाद की कपड़े की मिलों को कुल कितना लाभ हुआ था;

(ख) क्या अहमदाबाद में कोई ऐसी कपड़े की मिलें हैं जिन्हें उपरोक्त काल में हानि पहुंची; और

(ग) यदि हां, तो इनकी संख्या और हानि पहुंचने के कारण क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). निम्न विवरण में जानकारी दी गई है ।

	१९५२	१९५३
मिलों की कुल संख्या	६७	६७
उन मिलों की संख्या जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध है ।	४६	५२
उन मिलों की संख्या जिन्हें लाभ हुआ	३६	३३
लाभ की कुल राशि	लगभग २,८५,३२,३००रु०	लगभग ४,२२,६२,९०० रु०
उन मिलों की संख्या जिन्हें हानि पहुंची	१०	१९
हानि की कुल राशि	लगभग ४९,२४,२०० रु०	लगभग १,९०,३०,००० रु०

मिलों को जो हानि पहुंची उसके कारण, जैसा कि उन्होंने अपने वार्षिक लेखों में बताया है यह है । (१) उनके द्वारा खरीदी गई अमरीकन रुई का अधिक मूल्य, (२) बाजार में बाद की मंदी, (३) भविष्य निधि योजना और श्रम सम्बन्धी अन्य सुविधाओं को चालू करना; और (४) इन वर्षों में श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाना ।

दियासलाई के कारखाने

७३०. **श्री केशवैयंगार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में भारत में दियासलाई के कुल कितने कारखाने थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

१९५१–५२	१४७
१९५२–५३	१४७
१९५३–५४	१३८
१९५४–५५ (नवम्बर १९५४ तक)	१३८

आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकार

७३१. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कर्मचारी कलाकार सामान्य भविष्य निधि योजना में सिम्मलित हो सकते हैं;

(ख) क्या उन्हें महंगाई भत्ता मिलता है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितना प्रतिशत ?'

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उनके पारिश्रमिक में महंगाई भत्ते का अंश होता है किन्तु इसे भत्ता नहीं कहा जाता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्यप्रदेश को अनुदान

७३२. **श्री एन० ए० बोरकर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के पहले तीन वर्षों में स्थानीय विकास कार्यक्रमों के लिए मध्य प्रदेश को कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी;

(ख) ये राशियां किन चीज़ों पर खर्च की गई थीं;

(ग) क्या मंजूर की गई राशियों का पूरा उपयोग किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो कितनी राशि अप्रयुक्त पड़ी है;

(ङ) ये योजनाएं किस प्राधिकार की सिफारिश पर प्रस्तुत और अनुमोदित की गई थी; और

(च) अनुमोदित योजनाओं के कार्यकरण के निरीक्षण की क्या व्यवस्था थी ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) कार्यक्रम १९५३–५४ में शुरू किया गया था । उस वर्ष के लिए १४.९० लाख रुपये का आवंटन किया गया था ।

(ख) जल संभरण, कृषि तथा सफाई व्यवस्था में सुधार, सड़कें, पुल, सड़कों के नीचे की नालियां, स्कूल और अस्पताल आदि की इमारतें बनाना ।

(ग) तथा (घ). पूरे किये गये निर्माण कार्य पर १.२० लाख रुपये के केन्द्रीय अनुदान का उपयोग किया गया है । जारी निर्माण-कार्य पर खर्च किये गये केन्द्रीय अनुदान के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) जिला मंत्रणा समितियों द्वारा पड़ताल के बाद राज्य सरकार द्वारा ।

(च) अतिरिक्त उपायुक्त और अन्य राजस्व अधिकारियों के द्वारा ।

आतिश बाज़ी और पटाखे

७३३. **श्री सी० आर० अय्युण्णि**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२, १९५३ और १९५४ में भारत में पटाखे, फुलझड़ियां और अन्य आतिशबाजियां बनाने वाली कितनी फर्में थीं;

(ख) उनमें से कितनी बिजली द्वारा चलने वाली मशीनें प्रयोग कर रही हैं;

(ग) उनमें से कितनी फर्मों में श्रमिकों से काम लिया जाता है; और

(घ) उनमें कितनी छोटी फर्में हैं, जिनमें थोड़े से श्रमिक काम करते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उन विस्फोटक बनाने वाले कारखानों की संख्या जिनके लिए विस्फोटक विभाग द्वारा लाइसेंस दिये गये हैं यह हैं :

वर्ष	कारखानों की संख्या
१९५१–५२	९७९
१९५२–५३	१०६१
१९५३–५४	९८२

इनमें से लगभग ७५ प्रतिशत कारखाने केवल पटाखे, फुलझड़ियां और अन्य आतिशबाजियां बनाते हैं । इनके अतिरिक्त, विस्फोटक नियम १९४० के अधीन जिला प्राधिकारियों द्वारा लगभग १,००० छोटे छोटे आतिशबाजी और/या गोला-बारूद के कारखानों के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ।

(ख) तथा (ग). अधिकतर कारखानों में श्रमिकों से काम लिया जाता है ।

(घ) ९९ प्रतिशत छोटे समवाय हैं ।

पैट्रोलियम उत्पादन

७३४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष आन्तरिक खपत के लिए कितने पैट्रोलियम की आवश्यकता होती है;

(ख) यह किन किन देशों से आयात किया जाता है; और

(ग) १९५३–५४ में देशवार कितना पैट्रोलियम आयात किया गया ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी निम्न दो प्रकाशनों में, जो कि सदन के पुस्तकालय में हैं, प्राप्त हो सकती है :—

(१) "मार्च १९५४ के लिए भारत के विदशी (समुद्र, वायु तथा भूमि) व्यापार तथा नौवहन के सम्बन्ध में लेखे" ।

(२) मार्च, १९५४ के लिए भारत संघ के प्रशुल्क तथा उत्पादन कर द्वारा प्राप्त राजस्व का विवरण" ।

बड़े पैमाने के उद्योग

७३५. { **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : **श्री एल० एन० मिश्र** :

क्या **योजना** मंत्री २९ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह निर्णय किया है कि सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास राज्य सरकारों द्वारा नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाये;

(ख) क्या आसाम राज्य को इस मामले में कोई छूट दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) नहीं, किन्तु योजना आयोग ने बताया है कि यदि राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के प्रस्तावों को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने की अनुमति दी जानी है, तो उनके लिए विशेष कारण देने होंगे ।

(ख) चूंकि ऐसा कोई सुरक्षण नहीं है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक गृह-निर्माण योजना—बिहार

७३६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२ की साहाय्य प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अधीन बिहार में कोयला, लोहा, सीमेंट और चीनी उद्योगों के श्रमिकों के लिए मकान बनाने के लिए साहाय्य और ऋणों के रूप में कोई वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मकानों को बनाने के लिए (१) बिहार की सरकार, (२) मालिकों और (३) सहकारी संस्थाओं को साहाय्य और ऋणों के रूप में अब तक कितनी राशि दी गयी है; और

(ग) अब तक कितने मकान बनाये गये हैं और उन पर कितनी लागत आई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) साहाय्य प्राप्त औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अधीन उद्योगवार सहायता नहीं दी जाती । तथापि बिहार में लोहा, सीमेंट और चीनी उद्योग

चलाने वाले नियोजकों को वित्तीय सहायता दी गई है ।

(ख) (१) बिहार राज्य औद्योगिक गृह निर्माण योजना के अनुसारण में (१९५२–५४ में) बिहार सरकार को तदर्थ आधार पर कुल ४५ लाख रुपये का ऋण दिया गया है ।

(२) नियोजकों को यह सहायता दी गई है ।

	मकानों की संख्या	अनुमानित व्यय	ऋण	साहाय्य,
		रुपये	रुपये	रुपये
(१) टाटा आयरन एंड स्टील, कम्पनी जमशेदपुर	५००	२३,५८,५००	शून्य	३,३७,५००
(२) रोहतास इन्डस्ट्रीज लि० दालमियानगर	२००	४,५२,०००	१,६९,५००	१,१३,०००
(३) न्यू सावन शूगर एंड गुड़ रीफाइनिंग कम्पनी लि० (सिवान)	३२	८०,०००	२७,१२०	१८,०८०

(३) सहकारी संस्थाएं, इस योजना के अधीन, बिहार में किसी सहकारी संस्था से वित्तीय सहायता के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(ग) अब तक ५०० मकान बनाये जा चुके हैं । ३२ मकान बन रहे हैं । २०० पर निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया । वास्तविक निर्माण व्यय तब मालूम होगा जब परियोजनाएं पूरी हो जायेंगी और सम्बन्धित फर्में लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत कर देंगी ।

अपहृत स्त्रियां

७३७. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी नागरिकता की कितनी स्त्रियां और बच्चे अभी भारत से बरामद किये जाने हैं और कितने अब तक बरामद हो चुके हैं;

(ख) अब तक जितनी स्त्रियां और बच्चे बरामद हो चुके हैं वे पाकिस्तान को पुनः प्राप्त हो चुके हैं; और

(ग) क्या किन्हीं पाकिस्तानी अपहृत स्त्रियों ने पाकिस्तान वापस जाने से इन्कार किया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). माननीय सदस्य संभवतः मुस्लिम अपहृत स्त्रियों और बच्चों के बारे में जानकारी चाहते हैं। ६–१२–१९४७ से ३०–९–१९५४ तक २२,६४८ अपहृत व्यक्ति बरामद किये जा चुके हैं । इनमें से २०,००६ पाकिस्तान भेजे जा चुके हैं और शेष २,६४२ भारत में अपने सम्बन्धियों को सौंप दिये गये हैं । खेद है कि जिन अपहृत व्यक्तियों को अभी भारत से बरामद किया जाना है उनके आंकड़े बताना संभव नहीं है, क्योंकि बरामदगी का काम विभिन्न दिशाओं से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जाता है और इस कारण वही नाम बार बार आ जाते हैं और अपहरण की घटनाओं की कुल संख्या का हिसाब लगाना कठिन हो जाता है ।

(ग) जी हां।

चाणक्यपुरी में होटल

७३८. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चाणक्यपुरी में एक उच्च-कोटि का होटल खोलने का विचार है;

(ख) क्या इस मामले में किसी पदाधिकारी को अमेरिकन होटल वालों से बातचीत करने के लिए अमेरिका भेजा गया था;

(ग) इसे चलाने का अनुमानित व्यय क्या होगा; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए अमेरिकन होटल वालों की सहायता लेने की क्या आवश्यकता थी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) विदेशों से आने वाले प्रख्यात पर्यटकों और प्रतिनिधि-मण्डलों के लिए उपयुक्त स्थान की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, चाणक्यपुरी में एक होटल स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । यह होटल उन पर्यटकों की आवश्यकता को भी पूरा करेगा जिन्हें भीड़ के दिनों उचित दरों पर उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अभी ब्यौरा तैयार नहीं किया गया ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

डीज़ल ट्रक

७३९. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मर्सिडीज़-बेन्ज़ ट्रकों का भारत में निर्माण करन के लिए टेलको और दैमलर-बेन्ज़ के बीच हुई बातचीत सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो ये दोनों पार्टियां अनुमानत: कितनी पूंजी लगायेंगी;

(ग) डीज़ल ट्रकों के पूरे निर्माण में कितना समय लगेगा; और

(घ) टाटा-मर्सिडीज़-बेन्ज़ कम्बाइन का वार्षिक अनुमित उत्पादन कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हां, श्रीमान् ।

(ख) जर्मन सार्थ कुल अनुमित पूंजी व्यय में लगभग ३० प्रतिशत लगाना चाहता है।

(ग) मेसर्ज़ टेलको द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यक्रम में यह बताया गया है कि वे चार वर्ष की अवधि में ही पूरे निर्माण का काम कर लेंगे ।

(घ) सांख्यकी संग्रह अधिनियम के अधीन सरकार को व्यक्तिगत सार्थों के सम्बन्ध में इस प्रकार की जानकारी देना वर्जित है ।

दुग्ध चूर्ण

७४०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री जी० एल० चौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** २४ सितम्बर, १९५४ के तारांकित प्रश्न संख्या १३०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दुग्ध-चूर्ण कारखाने स्थापित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि है, तो वह योजना किस प्रकार की है;

(ग) सरकार प्रथम पंच वर्षीय योजना के दौरान कितने कारखाने स्थापित करना चाहती है;

(घ) क्या सरकार ने इस सिलसिले में गैर सरकारी उद्यमियों के साथ अब तक कोई बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ङ). सरकार ने दुग्ध चूर्ण उद्योग स्थापित करने के प्रश्न की जांच की है । अभी तक कोई भी सविस्तार योजनाएं तैयार नहीं की गई हैं ।

आल इंडिया रेडियो में शिल्पी कर्मचारीवर्ग

७४१. श्री टी० के० चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इंडिया रेडियो में कितने शिल्पिक सहायक (टेकनीकल असिस्टेंट और सहायक इंजीनियर काम कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने की स्थायी नियुक्ति की जा चुकी है; और

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से उनकी नियुक्ति की गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):

(क)	शिल्पिक सहायक	२५१
	सहायक इंजीनियर	१६८
(ख)	शिल्पिक सहायक	२३
	सहायक इंजीनियर	८७

(ग) जी हां, दो शिल्पिक सहायकों को छोड़ कर । संघ लोक सेवा आयोग उन दो निलम्बित नियमित भर्तियों में से एक को जारी रखने पर राजी हो गया है । दूसरे का मामला संघ लोक सेवा आयोग के पास उसके नियमित बनाने के सम्बन्ध में अभी निलम्बित पड़ा है ।

लोक निर्माण विभाग का कर्मचारीवर्ग

७४२. श्री एस० सी० सामन्त : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग का वर्तमान कर्मचारी वर्ग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के समस्त निर्माण कार्य को करने के लिए पर्याप्त है; और

(ख) किन किन मंत्रालयों से यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि आयव्ययक में मंजूर किये गये भवन अनुदान इसलिए कालातीत हो गये क्योंकि लोक निर्माण विभाग समय पर काम प्रारम्भ न कर सका था ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग का कर्मचारी वर्ग सरकार के विभिन्न विभागों का समस्त निर्माण कार्य करने के लिए पूर्णतः पर्याप्त है ।

(ख) किसी भी मंत्रालय से ऐसी कोई खास शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । भवन-अनुदानों के कालातीत हो जाने के कारणों के परीक्षण करने से यह ज्ञात होता है कि कालातीत होने के मुख्य कारण अन्य आवश्यक औपचारिक बातों के पूरा किये जाने से पहले आयव्ययक में उपबन्ध कर देना, निर्माण-स्थान का उपलब्ध न होना; प्रशासनिक अनुमोदन, के जारी किये जाने में देरी, आवश्यकताओं का विस्तार देने और मंत्रालय द्वारा खर्च की मंजूरी दिये जाने में विलम्ब होता है, लोक निर्माण विभाग में कर्मचारीवर्ग की कमी इसका कारण नहीं है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

७४३. श्री एन० राचय्या : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली मैसूर राज्य की सिंचाई तथा

विद्युत योजनाओं पर संभवतः कितना व्यय किये जाने की संभावना है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत मैसूर राज्य की सिंचाई तथा विद्युत योजनाओं पर किया जाने वाला संभावित व्यय तभी ज्ञात होगा जबकि यह योजना अंतिम रूप से तैयार हो जायगी । इस समय राज्य सरकार द्वारा प्रस्थापित नयी योजनाएं सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी प्रविधिक समिति के परीक्षणाधीन हैं ।

कुटीर उद्योग

७४४. मुल्ला अब्दुल्लाभाई : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश और हैदराबाद राज्य को दिये गये ऋण और राजकीय सहायता की राशि को दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३१]**

मध्यप्रदेश और बम्बई में हथकरघे

७४५. मुल्ला अब्दुल्लाभाई : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश और बम्बई राज्यों में कितने हथ करघे चालू अवस्था में हैं; और

(ख) उनमें से कितने हाथ से काता हुआ सूत काम में लाते हैं और कितने मिल में बना सूत काम में लाते ह ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों द्वारा १९५१ में दिये गये आंकड़ों के अनुसार, बम्बई और मध्य प्रदेश में हथकरघों की संख्या क्रमशः १,९७,७५० और १,०५,००० थी । यह बताना संभव नहीं है कि कितने चालू अवस्था में हैं, कितने हाथ से काता हुआ और कितने मिल में बना सूत काम में लाते हैं ।

पंच वर्षीय योजन

७४६. मुल्ला अब्दुल्लाभाई : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि प्रथम पंच-वर्षीय योजना में कार्यान्विति की जाने वाली नवीन सिंचाई योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कुछ अतिरिक्त धन दिया गया है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो वास्तव में कितना धन दिया गया है और नयी योजनाओं के नाम क्या हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): (क) तथा (ख). मध्य प्रदेश के लिए १४६ लाख रुपये के ऋण विशेष छोटे सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूर किये गये हैं । अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३२]**

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का चाणक्यपुरी डिवीजन

७४७. श्री सूर्य्य प्रसाद : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी० पी० डब्ल्यू० डी०) के चाणक्यपुरी डिवीज़न का सरकारी सामान प्रायः चोरी हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो १९५२, १९५३ और १९५४ में कुल कितने मूल्य का सामान चोरी गया; और

(ग) क्या चोरों को पकड़ कर सज़ा दी गयी है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) चाणक्यपुरी डिवीज़न में कुछ सामान अधिकतर जी० आई० पाइप चोरी गया था ।

(ख) १९५२ १०१ रुपये ३ आने
१९५३ ५७१ रुपये ७ आने
१९५४ १३७८ रुपये १५ आने

(ग) १९५४ में एक चोर गिरफ्तार किया गया, उस पर अभियोग चलाया गया और उसे दंडित किया गया ।

उत्तर प्रदेश को अनुदान

७४८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये लगभग बारह करोड़ रुपये का अनुदान दिया है; और

(ख) यदि सच है, तो ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिये क्या राशियां रखी गयी हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र:) (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है ।

लोक-सभा

वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/72

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५४

(६ दिसम्बर से २४ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 2.7.13
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खंड ९ में अंक १६ से अंक ३२ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय-सूची

खंड ९—अंक १६–३२ ६ से २४ दिसम्बर, १९५४.

अंक १६—सोमवार, ६ दिसम्बर, १९५४.

	स्तम्भ
श्री गिरजा शंकर बाजपेयी की मृत्यु	१२०५–०६
स्थगन प्रस्ताव —	
बैंक कर्मचारियों की हड़ताल	१२०७–१२
राज्य-सभा से सन्देश	—
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	१२१३–१४
याचिका प्राप्त	१२१४
शंकित प्रश्न संख्या १४६८ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि .	१२१४–१५
भा की बैठकों से सदस्यों के अनुपस्थित रहने से सम्बन्धित समिति—	
छठा प्रतिवेदन—स्वीकृत	१२१५–१६
ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	१२१६–८६
खंड ६६ से ८०	१२१८–२७
खंड ८१ से ८८	१२२७–५७
खंड ८९ से ९६ और ९८ से १०२ . . .	१२५७–८६

अंक १७—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४.

भा का कार्य—	
सत्र के शेष भाग के लिये सरकारी कार्य का क्रम . . .	१२८७–८८
ण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . . .	१२८४–१३८७
खण्ड २२	१२८८–१२९६
खण्ड ८९ से १०२ (खण्ड ९७ को छोड़ कर) और नया खण्ड ९३ क खण्ड १०३ से ११३ और ११५, ११६ और अनुसूची, नया खण्ड ११५क, खंड १ और २ . . .	१२९६–१३७६
संशोधित रूप में पारित होने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	१३७६–७८

अंक १८—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
पटल पर रखे गये पत्र—	
निवारक निरोध अधिनियम सम्बन्धी सांख्यकीय विवरण . .	१३७९–८
विदेशी-जन पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति घोषणायें .	१३८०–८
पुनर्वास वित्त प्रशासन का प्रतिवेदन	१३८
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
याचिका उपस्थापित	१३८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	१३८१
तुर्की की महान राष्ट्र-सभा के प्रधान से प्राप्त सन्देश . . .	१३८२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संशोधितरूप में पारित	१३८२–१४३१
श्री एम० ए० अय्यंगार	१३८३–८९
श्री ए० एम० थामस	१३८९–९२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१३९२–९७
श्री एस० एस० मोरे	१३९७–९९
श्री दातार	१३९९–१४०७
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४०७–१३
श्री एन० सी० चटर्जी	१४१३–१५
श्री आर० डी० मिश्र	१४१५–२१
डा० काटजू	१४२३–३१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति में सदस्यों के नामनिर्देशित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	१४३१–८८
श्री पाटस्कर	१४३१–४०
श्री वी० जी० देशपांडे	१४४०–४८
श्री टेक चन्द	१४४८–५२
श्री बी० सी० दास	१४५२–५६
श्रीमती जयश्री	१४५६–५७
श्री डी० सी० शर्मा	१४५७–५८

अंक १९—बृहस्पतिवार, ९ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र का अतिक्रमण और एक भारतीय ग्रामीण का अपहरण . . .	१४५९–६०
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक	१४६०–६१
हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—	
संयुक्त समिति के लिये सदस्य नाम-निर्देशित करने का प्रस्ताव .	१४६१–१५१
श्री डी० सी० शर्मा	१४६१–६

	स्तम्भ
श्रीमती सुचेता कृपलानी	१४६३–६६
श्री एन० सी० चटर्जी	१४६६–७२
श्री बोगावत	१४७२–७६
पंडित ठाकुर दास भार्गव	१४७६–६८
श्री पी० सुब्बा राव	१४६२–६७
श्रीमती उमा नेहरू	१४६७–१५००
सरदार इकबाल सिंह	१५००–०२
श्री पाटस्कर	१५०२–१४
निवारक निरोध (संशोधन विधेयक)—	
विचार प्रस्ताव—असमाप्त	१५१६–४६
डा० काटजू	१५१६–४२
श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी	१५४२–४६

अंक २०—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखा गया पत्र—	
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . .	१५४७
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१५४७–८६
श्री ए० के० गोपालन	१५४८–५७
श्री जी० एच० देशपांडे	१५५७–६१
श्री वीरस्वामी	१५६१–६३
श्री अशोक मेहता	१५६३–६६
श्री एम० पी० मिश्र	१५६६–७६
श्री वी० जी० देशपांडे	१५७६–८५
श्री टेक चन्द	१५८५–८७
श्री एन० एम० लिंगम	१५८७–८६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५८६
सत्रहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	१५६०
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा १०६क का रखा जाना)—	
पुरःस्थापित	१५६१
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा १४२क का रखा जाना)—पुरःस्थापित	१५६१
वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत	१५६१–१६०४
श्री डाभी	१५६१–६२
डा० पी० एस० देशमुख	१५६२–१६०४

	स्तम्भ
भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक (धारा १ और २६, आदि का संशोधन)—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित	१६०४–१७
श्री यू० सी० पटनायक	१६०४–११
डा० काटजू	१६११–१
श्रीमती इला पालचौधरी	१६१२–१
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१६१३–१
श्री कानावाड़े पाटिल	१६१५–१७
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१६१७–३४
श्रीमती उमा नेहरू	१६१७–१९
श्री पाटस्कर	१६१९–२२
श्रीमती सुषमा सेन	१६२२
श्रीमती जयश्री	१६२२–२३
श्रीमती ए० काले	१६२३
श्रीमती मायदेव	१६२३–२५
श्री केशवैयंगार	१६२५
श्रीमती इला पालचौधरी	१६२५–२६
श्री डी० सी० शर्मा	१६२६–२८
श्री टी० एस० ए० चेट्टियार	१६२८–३०
श्री धुलेकर	१६३१–३३
विद्युत सम्भरण (संशोधन) विधेयक (धारा ७७ आदि का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	१६३१

अंक २१—शनिवार, ११ दिसम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१६३५–३८
सभा का कार्य—	
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प के बारे में समय-नियतन	१८३८–३९
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	१८३९–१७३
श्री एन० एम० लिंगम	१६३९–४१
श्री एन० सी० चटर्जी	१६४१–४९
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१६४९–५०
श्री केशवैयंगार	१६५०–५२
श्रीमती ए० काले	१६५२–५४

	स्तम्भ
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	१६५४–६०
श्री कासलीवाल	१६६०–६२
श्री भागवत झा आज़ाद	१६६२–६६
डा० एन० बी० खरे	१६६६–७६
श्री दातार	१६७७–६०
डा० कृष्णस्वामी	१६६०–६४
श्री चट्टोपाध्याय	१६६४–६७
श्री सी० आर० नरसिंहन	१६६७–६८
श्री मूलचन्द दुबे	१६६८–१७००
पण्डित के० सी० शर्मा	१७००–०२
श्री राघवाचारी	१७०३–०५
कुमारी एनी मैस्करीन	१७०५–०७
श्री आर० सी० शर्मा	१७०७–१४
श्री सारंगधर दास	१७१४–१७
पण्डित ठाकुर दास भार्गव	१७१७–३२
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७३२

अंक २२—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
सैन्य सामान निकाय के सिपाही क्लर्कों की छंटनी	१७३३–३४
न्यूटन चिखली खान में दुर्घटना	१७३५–३८
आंध्र में निर्वाचन सम्बन्धी जलूस पर कथित गोली-कांड	१७३८–३९
पटल पर रखे गये पत्र—	
विमान निगम नियम	१७३९–४०
औद्योगिक वित्त निगम सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (आंध्र राज्य)—१९५४-५५—पटल पर रखी गई	१७४०
मंत्री का एक बैंक से कथित सम्बन्ध	१७४०–४५
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७४५–१८०८
श्री एच० एन० मुकर्जी	१७४५–५०
डा० एस० एन० सिंह	१७५०–५२
ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क	१७५२–५५
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	१७५५–५९
आचार्य कृपालानी	१७५९–६१
डा० काटजू	१७६१–७४
खंड १ तथा २	१७७४–९९

	स्तम्भ
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१७९९–१८०८
डा० काटजू	१७९९–१८०८
श्री नन्द लाल शर्मा	१८००–०५
श्री लक्ष्मय्या	१८०५–०६
श्री पुन्नूस	१८०६–१८०८

अंक २३—मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—	
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ . . .	१८०९–१०
रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे, १९५२-५३ का वाणिज्यिक परिशिष्ट .	१८०९–१०
लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, रक्षा सेवायें १९५४ . . .	१८०९–१०
तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के उत्तर में शुद्धि	१८१०
सभा का कार्य—	
सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य . . .	१८१०–११
चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८११–३०
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . १८११–१३,	१८२७–३०
श्री तुषार चटर्जी	१८१४–१७
श्री एन० एम० लिंगम्	१८१७–१९
श्री बर्मन	१८१९–२०
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८२०–२३
श्री ए० एम० थामस	१८२३–२४
श्री रामचन्द्र रेड्डी	१८२४–२५
श्री दामोदर मेनन	१८२५–२६
श्री के० सी० सोधिया	१८२६–२७
श्री पुन्नूस	१८२७
खण्ड १ और २	१८३०–३२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . .	१८३२
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी . . .	१८३२
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८३२–५५
श्री कानूनगो १८३२–३६,	१८४८–५५
श्री वी० पी० नायर	१८३७–४०
श्री तुलसीदास	१८४०–४१
डा० लंकासुन्दरम्	१८४१–४२
श्री झुनझुनवाला	१८४३–४४

	स्तम्भ
श्री ए० एम० थामस	१८४४–४६
श्री कासलीवाल	१८४६–४७
श्री वी० बी० गांधी	१८४७–४८
खण्ड १ और २	१८५५
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८५५–६२
श्री कानूनगो	१८५५–५६
डा० लंका सुन्दरम्	१८५६–५७
श्री टी० टी० कृष्णमाचारी	१८५७–६२
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८६३–७७
श्री के० के० देसाई	१८६३–६४, १८७४–७७
श्री अमजद अली	१८६४–६५
श्री बिमला प्रसाद चालिहा	१८६५–६६
श्री पुन्नूस	१८६६–६८
श्री बी० एस० मूर्ति	
श्री वेलायुधन	१८६९–७०
श्री केशवैयंगार	१८६८–६९
श्री पी० सी० बोस	१८७०–७१
श्री के० पी० त्रिपाठी	१८७१
श्री एस० वी० रामस्वामी	१८७१–७३
ठाकुर युगल किशोर सिंह	१८७३–७४
खण्ड १ से ३	१८७८
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	१८७८
श्री के० के० देसाई	१८७८

अंक २४, बुधवार, १५ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—	
आन्ध्र में निर्वाचन जलूस पर कथित गोलीकांड	१८७९–८३
पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों की भूख हड़ताल तथा सेना का बुलाया जाना	१८८३–८५
पटल पर रखे गये पत्र—	
आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति के अधिनियम	१८८५–८७
आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही सम्बन्धी विवरण	१८८७–८८
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना	१८८७
दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी के सन्तुलन-पत्र तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	१८८८–८९

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८८९
सभा का कार्य—
सरकारी कार्य का क्रम १८८९-९१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
टेपियोका मांड और आटे के निर्यात पर प्रतिबन्ध . . . १८९१-९२
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प—असमाप्त . १८९२-१९७३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय
संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित १९७४

अंक २५—गुरुवार, १६ दिसम्बर, १९५४.

श्री ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव का निधन १९७५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
इम्फाल, मनीपुर में सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज . . . १९७६-७७
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . . १९७७
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प—स्वीकृत . १९७७-२००८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—असमाप्त . . २००८-६२

अंक २६—शुक्रवार, १७ दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव—
पश्चिमी बंगाल में पुलिस के सिपाहियों की भूख हड़ताल और सेना का
बुलाया जाना २०६३-६८
पटल पर रखे गये पत्र—
खनिज कन्सेशन नियमों में संशोधन २०६८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . २०६८-९६, २१०८-१०
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आंध्र . . २०९६-२१०८
विनियोग (संख्या ४) विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . २१११-१२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
अठारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत २११२
सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की देखभाल और नियंत्रण करने वाली संविहित
निकाय सम्बन्धी संकल्प—अस्वीकृत २११२-५०
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण विभाग
के बारे में संकल्प—असमाप्त २१५०-५६

स्तम्भ]

श्रीमती विजय लक्ष्मी का त्याग पत्र २१५७
अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत . २१५७–७४, २२४२–७८
१९५४-५५ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें—आन्ध्र . . २१७४–९०, २२२७–२८
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपा गया २१९०–२२२७
श्री पाटस्कर २१९०–२२००
श्री बर्मन २२०१–०६, २२२३–२५
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय २२०८–१३
श्री आर० डी० मिश्र . . . २२०७–०८, २२१३–२३
आन्ध्र विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित और पारित . . . २२२७–२९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मंडल) द्वितीय संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२२९–३६
श्री पाटस्कर २२२९–३१, २२३२, २२३६
श्री धुलेकर २२३२–३३
श्री आर० के० चौधरी . . . २२३३–३४
पंडित ठाकुर दास भार्गव २२३४–३६
पंडित सी० एन० मालवीय . . . २२३६
खण्ड १ और २ . . . . . २२३७
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत २२३८

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . २२३८
श्री करमरकर २२३८–३९
श्री ए० एम० थामस २२३८–३९
श्री एन० एम० लिंगम् २२३९
खण्ड १ और २ . . . . . २२३९–४०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . २२४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—अपूर्ण . . २२४०–४२
डा० एम० एम० दास २२४०–४२

अंक २८—सोमवार, २० दिसम्बर, १९५४.

स्थगन प्रस्ताव— स्तम्भ

सशस्त्र पुर्तगाली सैनिकों द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्र का अतिक्रमण . २२७९–८२

पश्चिमी बंगाल में पुलिस वालों द्वारा भूख हड़ताल के बारे में वक्तव्य . २२८२–८४

पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखा (डाक तथा तार) १९५२-५३ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन १९५४ . . . . . २२८४

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित . . . २२८४–८५

महिलाओं तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विधेयक—पुर:स्थापित . २२८५–८६

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—अपूर्ण . . . २२८६–२३६४

अंक २९—मंगलवार, २१ दिसम्बर, ११५४.

विदेशों को जीपों तथा सेना के कुछ अन्य सामान के लिये दिये गये आर्डरों के बारे में वक्तव्य २३६५–६६

सभा का कार्य २३६६–६८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चाय निर्यात के अधिकारों में सट्टेबाज़ी . . . २३६८–७१

आर्थिक स्थिति के बारे में प्रस्ताव—संशोधित रूप में पारित . . २३७१–२४५७

राज्य सभा से सन्देश २४५७–५८

अंक ३०—बुधवार, २२ दिसम्बर, १९५४.

पटल पर रखे गये पत्र—

प्रेस आयोग की सिफारिशों के बारे में विवरण . . २४५९

समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . २४५९

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक सम्बन्धी साक्ष्य . . . २४६०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —उपस्थापित २४६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित २४६०

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का विवरण, खण्ड ३—उपस्थापित . . . २४६१

पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव— २४६१

अपूर्ण २५२२, २५२२-५२

परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . २५२२

राज्य सभा से सन्देश २५५२

अंक ३१—गरुवार, २३ दिसम्बर, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव—	
इम्फाल में एक संसद् सदस्य की गिरफ्तारी और प्रजा समाजवादी दल के कार्यालय पर पुलिस का छापा	२५५३–५७
यूगोस्लाविया के संघीय जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री का संयुक्त वक्तव्य . .	२५५७–६१
पटल पर रखे गये पत्र—	
विभिन्न आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण	२५६१–६२
जून, १९५३ में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ३६वें अधिवेशन की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के विवरण . . .	२५६२–६३
न्यूनतम मजूरी निवारण व्यवस्था के सम्बन्धी अभिसमय संख्या २६ के अनुसमर्थन के बारे में विवरण . . .	२५६३
रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम—नियम, १९५३ में संशोधन .	२५६३
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पी० टी० आई० और यू० पी० आई० द्वारा निजी उद्यम को समाचारों का दिया जाना	२५६३–६८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—सातवां प्रतिवेदन —स्वीकृत	२५६८–७१
समवाय विधेयक की संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति . .	२५७२
परिसीमन आयोग (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत .	२५७२–२६१६
श्री पाटस्कर २५७२–७८,	२६०७–२६१६
श्री एन० एम० लिंगम् .	२५७९–८
श्री बी० एस० मूर्ति . . .	२५८१–८३
श्री राघवाचारी .	२५८३–८४
श्री साधन गुप्त	२५८४–८६
श्री टी० एन० सिंह	२५८६–८९
श्री भागवत झा आज़ाद	२५८९–९०
श्री जांगड़े	२५९०–९३
श्री एम० एल० अग्रवाल . . .	२५९३–९५
श्री कासलीवाल	२५९५–९६
पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय . . .	२५९६–२६००
श्री कजरोल्कर	२६००–०१
श्री नवल प्रभाकर	२६०१–०४
श्री कक्कन	२६०४–०५
श्री पी० एल० बारुपाल	२६०५–०६

	स्तम्भ
श्री गणपति राम	२६०६–०७
खण्ड १ और २—	
पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	२६१६–२६२५
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
असमाप्त	२६२५–७२
श्री रिशांग किशिंग की गिरफ्तारी	२६७२
राज्य-सभा से सन्देश	२६७२–७४

अंक ३२—शुक्रवार, २४ दिसम्बर, १९५४ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
मध्य भारत और राजस्थान में अफीम की खेती .	२६७५–७७
पटल पर रखे गये पत्र—	
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन	२६७७
भारत की रेलों के १९५२-५३ के विनियोग लेखे, भाग २—ब्योरेवार विनियोग लेखे	२६७७
भारत सरकार की रेलों के १९५२-५३ के ब्लाक लेखे (ऋण लेखों वाले पूंजी के विवरणों सहित), सन्तुलन पत्र और लाभ-हानि के लेखे .	२६७७
१९५२-५३ के लिये रेलवे की कोयला खानों के कार्य का पुनर्विलोकन और सन्तुलन पत्र और कोयले, आदि की पूरी लागत के विवरण	२६७७–७८
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, रेलवे, १९५४	२६७८
केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की दूसरी बैठक में किये गये विनिश्चय के बारे में विवरण	२६७८
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६ और १२६५ के उत्तरों में शुद्धि	२६७८–७९
प्रतिभूति ठेके (विनियमन) विधेयक—पुरःस्थापित . .	२६८०
पंच वर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति-प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	२६८०–२७०३
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	२७०३–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उन्नीसवां प्रतिवेदन—वाद-विवाद स्थगित	२७४३–४८
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—	
पुरःस्थापित	२७४८
भारतीय धर्म परिवर्तन (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक—पुरःस्थापित	२७४९–५२
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक— . . .	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . .	२७५३–६३
श्री धुलेकर	२७५३–५७

	स्तम्भ
श्री पाटस्कर . .	२७५७–६३
श्रीमती उमा नेहरू .	२७६३
श्री टेक चन्द . .	२७६३
वाद-विवाद स्थगित	२७६३
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक—(नई धारा २९४ख का रखा जाना)—	
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . .	२७६४–६७
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा . . .	२७६४–६५, २७६४
डा० काटजू	२७६५–६६
वाद-विवाद स्थगित	२७६७
मजूरी भुगतान (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	२७६७–६९
डा० एन० बी० खरे	२७६७–६८, २७६९
श्री के० के० देसाई	२७६८–६९
वाद-विवाद स्थगित	२७६९
भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) विधेयक— . . .	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—प्रसमाप्त . .	२७६९–८०
सरदार ए० एस० सहगल . . .	२७६९–७६, २७७७–७८
राजकुमारी अमृत कौर	२७७६–७७, २७७८–७९
वाद-विवाद स्थगित	२७८०
निःशुल्क, बलात् अथवा अनिवार्य श्रम निवारण विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . .	२७८०
श्री डी० सी० शर्मा	२७८०–८२, २७८३–८६
श्री के० के० देसाई	२७८२–८३
श्री आर० के० चौधरी	२७८७
राज्य-सभा से सन्देश	२७८८
हिन्दू विवाह विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . .	२७८८

लोक-सभा

मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-५६ म० पू०

पटल पर रखे गये पत्र

रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।१९५२-५३ और उन का वाणिज्यिक परिशिष्ट और रक्षा सेवाओं का लेखा-परीक्षी प्रतिवेदन, १९५४

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अधीन मैं प्रत्येक निम्नलिखित पत्र की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) वर्ष १९५२-५३ के लिये रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस० ४८३/५४]**

(२) वर्ष १९५२-५३ के लिये रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखों का वाणिज्यिक परिशिष्ट। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस०-४८४/५४]**

(३) रक्षा सेवाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५४ (वर्ष १९५२-५३ के रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखों के तिवेदन और उस के वाणिज्यिक परिशिष्ट सहित) **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस०-४८५/५४]**

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): १३ सितम्बर, १९५४ को श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८६२ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री का यह बयान कि "मेरे साथी मुझे बताते हैं कि नियुक्तियां हमारे परामर्श से की गई थीं।" अशुद्ध था, क्योंकि तत्पश्चात् की गई पूछताछ से यह विदित हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने प्रेक्षकों की नियुक्तियां भारत सरकार के परामर्श से नहीं करता है। फिर भी, संयुक्त राष्ट्र के सैन्य प्रेक्षकों तथा कर्मचारियों की मासिक नामावलियां हमें प्राप्त होती हैं। अतः मैं पहिले उस बयान को ठीक करने के लिये सदन की अनुमति चाहता हूं, जिस के बदले में निम्न वाक्यांश रखा जा सकता है:—

> "मेरे साथी बताते हैं कि नियुक्तियां हमारे परामर्श से नहीं की गई थीं।"

सभा का कार्य

सरकारी कार्य के क्रम के बारे में वक्तव्य

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४,

[श्री सत्य नारायण सिंह]

को मैंने सभा में, सत्र के अवशेष भाग के लिये सरकारी कार्य के क्रम की घोषणा की थी। अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान-मण्डल) विधेयक, १९५४ को पुरःस्थापित करने में कुछ अटल विलम्ब हो जाने के कारण यह विधेयक आन्ध्र की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर मतदान होने के पश्चात् विचार तथा पारित करने के लिये रखा जायेगा।

इस सत्र में यह सम्भव न हो सकने के कारण कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक एक संयुक्त समिति को सौंपने के लिये उपबन्ध किया जाय, यह प्रस्ताव किया जाता है कि यदि समय हो तो चाय (संशोधन) विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये जिस राज्य-सभा ने ३० नवम्बर को पारित किया था और जो २ दिसम्बर, १९५४ को इस सभा-पटल पर रखा गया था, उपबन्ध किया जाय। मैं देखता हूं कि विद्यमान समय विभाजन के अनुसार, शनिवार, १८ दिसम्बर, १९५४ को इस छोटे तथा मतविषमताहीन विधेयक को पर्याप्त समय प्राप्त हो सकेगा।

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "चाय अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जिन माननीय सदस्यों ने विधेयक को पढ़ा है उन्हें महसूस होगा कि इस विशिष्ट विधेयक का क्षेत्र चाय अधिनियम के शासन तथा केन्द्रीय चाय बोर्ड के कार्य-संचालन के लिये आजकल निर्यात पर लगाया जाने वाला उपकर १०० पौण्ड पर २ पये से बढ़ा कर १०० पौंड पर ४ पये करने का है। २ रुपये प्रति १०० पौंड की विद्यमान दर से लगभग ८५ लाख रुपये प्रति वर्ष आय होती है, जो लगभग चाय बोर्ड के व्यय तथा विदेशी बाज़ारों में हमारी चाय के थोड़े से प्रचार के लिये पर्याप्त है।

श्रीमान्, सभा को स्मरण होगा कि जब कुछ समय पूर्व, गत वर्ष, इस ने चाय अधिनियम पारित किया था, इस ने धारा १० (२) (ख) के अधीन यह उल्लेख किया था कि यह बोर्ड का कर्त्तव्य होगा कि वह अपने विचारानुसार उचित विधियों से मज़दूरों के काम करने की उत्तम परि-स्थितियों तथा उन की सुविधाओं में सुधार की व्यवस्था करे और उन में उत्साह उत्पन्न करे। प्राप्त धनराशि की न्यूनता के कारण यह कार्य अधिक मात्रा में नहीं हो सका है। विगत समय में चाय बोर्ड ने कुछ प्रयास किया था। वास्तव में, मेरा विचार है कि १९५१-५२ से उन्होंने कुल लगभग ४ लाख रुपये दिये हैं। वे इस कार्य के लिये या मज़दूरों की परिस्थितियों की जांच पड़ताल के लिये कोई संस्था स्थापित नहीं कर सके। उन्हें अधिकतर राज्य सरकारों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ा। वास्तविक परिणाम यह है कि स धन की एक बहुत बड़ी मात्रा व्यय नहीं की जा रही है। धारा १०(२) (ख) के अधीन केन्द्रीय चाय बोर्ड को दिये गये इस कर्त्तव्य पर गम्भीरतापूर्ण विचार करने तथा मज़दूरों को यथासम्भव सहायता व सुविधा पहुंचाने की सरकार की इच्छा है।

मूल रूप से इस उद्देश्य की दृष्टि से ही हम उपकर को २ रुपये से बढ़ा कर ४

रुपये करने के लिये प्रस्तुत हो रहे हैं। मैं तुरन्त ही यह कहना चाहता हूं कि हमारा विचार है कि बढ़ाये गये उपकर से एकत्र किये गये लगभग ८५ लाख रुपये केवल मज़दूरों के हित सुविधाओं आदि की व्यवस्था करने के लिये ही न हीं हैं। यह राशि छोटे छोटे उद्यानों को पुनः लगाने तथा समूच रूप में चाय उद्योग के विकास के लिये भी, जिस के लिये विद्यमान प्राप्त धन में कोई गुंजाइश नहीं है, व्यय हो सकती है।

माननीय सदस्य भली प्रकार पूछ सकते हैं: "हम यह विधेयक पारित कर रहे हैं। यह किस प्रकार व्यय होगा?" इस उद्देश्य के लिये एक कार्यक्रम बनाया जायेगा, जो आय-व्ययक में सम्मिलित होगा और (क) मज़दूरों के लिये सुविधाओं आदि की व्यवस्था के लिये; और (ख) छोटे छोटे चाय उद्यानों को सुविधायें देने के लिये विशिष्ट राशियां देने के लिये सभा की अनुमति प्राप्त की जायेगी इस बात का मैं विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि मेरे माननीय मित्र श्री एन० एम० लिंगम् ने, जबकि हम पिछले दिन एक भिन्न सम्बन्ध में इस प्रश्न पर विचार कर रहे थे, मेरा ध्यान छोटे छोटे उद्यानों को पुनः लगाने के लिये सरकार तथा केन्द्रीय चाय बोर्ड की ओर से कुछ प्रयास किये जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया था।

श्रीमान्, सभा के समक्ष जो विधेयक है वह अपेक्षाकृत साधारण है। उद्देश्य सुविदित हैं और प्राप्य धन के किसी भी नियतन के लिये हमें फिर सभा में आना होगा और हम जो आय-व्ययक सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे उस के लिये सभा की अनुमति लेनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

> "कि चाय अधिनियम, १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) : इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण को पढ़ने के पश्चात्, मेरा विचार है कि जहां तक कर वृद्धि का प्रश्न है, इस का स्वागत किया जाना चाहिये क्योंकि इस से श्रमिकों की अवस्था में सुधार होगा। चाय बागानों के श्रमिकों की कितनी भयानक अवस्था थी यह हम सब को विदित है। इस सम्बन्ध में मैं अपने एक माननीय मित्र का उद्धरण देता हूं। वे कहते हैं कि :

> "श्रमिकों की दशा को हम अर्ध-मानव दशा कह सकते हैं। वे एक समय का खाना भी पूर्णतया नहीं जुटा पाते हैं। मकानों की इतनी कमी है कि वह कई परिवारों को एक मकान में रहना पड़ता है जिस से बहुत सी बुराइयां फैलती हैं। बुरे मौसम से कोई रुकावट नहीं होती है। ८० प्रतिशत चाय श्रमिकों को हुकवर्म का रोग हो जाता है। स्कूलों में चाय श्रमिकों के बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं। अस्पतालों से कोई समुचित सहायता नहीं मिलती है।"

परन्तु मेरा विचार है चार रुपये की दर से लगाया गया कर पर्याप्त नहीं है तथा ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे कि और भी अधिक कर लगाये जा सके। उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में यह भी दिया हुआ है इस कर निधि से श्रमिकों को सुविधायें दी जायेंगी। केवल सुविधायें दी जायेंगी कहना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि हमें यह बताया भी जाना चाहिये कि, किसी प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी, अन्यथा हमें सन्देह होगा कि श्रमिकों को सुविधायें दिये जाने के स्थान पर यह सुविधायें चाय उद्योग को दी जायेंगी।

[श्री तुषार चटर्जी]

हमें कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि का कुछ अनुभव है। यद्यपि यह निधि कोयला खानों के श्रमिकों के कल्याण के लिये स्थापित की गई थी परन्तु उसका केवल ३५ प्रतिशत भाग मकान बनाने में लगाया गया है तथा जो मकान बनाये भी गये हैं उन में श्रमिक रह भी नहीं रहे हैं। इसलिये मैं सोचता हूं कि कहीं यहां भी ऐसा ही न हो इसलिये मैं माननीय मंत्री से चाहता हूं कि निधि को व्यय करने की ओर विशेष ध्यान रखें।

इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे बताना चाहता हूं। वह यह है कि श्रमिकों के लिये श्रमिक विधियां लागू करने के स्थान पर यह उल्टा मार्ग क्यों अपनाया गया है ? मैं बागान श्रम अधिनियम का निर्देश कर रहा हूं। यदि उसी को पूर्णतया लागू किया जाय तो इसी अधिनियम के द्वारा हम श्रमिकों को समुचित सुविधायें दे सकते हैं। परन्तु हम जानते हैं कि बागान मालिक इस अधिनियम के विरुद्ध हैं और इसीलिये इस को बहुत दिनों से लम्बित रखा गया है तथा जब लागू भी किया तो कुछ नियंत्रण लगा कर।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जोकि माननीय मंत्री के विचार के लिये प्रस्तुत की जाती हैं, इसलिये मैं आशा करता हूं कि यदि इन को सुनने के लिये माननीय मंत्री उपस्थित रहें तभी वह इन के सम्बन्ध में कोई आश्वासन दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के तीनों वाचनों के लिये एक घंटे का समय दिया गया था। दस मिनट समाप्त हो चुके हैं। कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। दलों के प्रतिनिधियों को यह निश्चित करना है कि उन के सदस्य कितना समय लेना चाहते हैं। सलाहकार समिति आदि में माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि विधेयक के तीनों वाचनों के समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगेगा परन्तु सभा में मुझे सभी सदस्यों को सन्तुष्ट करना होता है। कम समय होने के कारण मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने नेताओं के साथ दल वार बैठें तथा विचार कर के थोड़े समय में बोलें। यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है तथा माननीय सदस्य भी प्रश्न को बड़े सुन्दर रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं परन्तु समय की कमी के कारण मुझे उन से बैठने के लिये कहना पड़ रहा है। इसलिये दलों के प्रतिनिधि इस पर पूर्ण रूप से विचार कर के, निर्धारित समय में बोलें तथा बैठने को कहने के लिये मुझे बाध्य न करें !

श्री तुषार चटर्जी : मेरा यह मत है कि जब बागान श्रम अधिनियम में बहुत सी सुविधाओं का उपबन्ध है तब इसी अधिनियम को पूर्णतया लागू क्यों नहीं किया जाता है और इस निधि को स्थापित क्यों किया जा रहा है। यदि यह प्रक्रिया लागू की जायेगी तो बागानों के स्वामी वर्तमान श्रम अधिनियम की अवहेलना करेंगे। सरकार इस अधिनियम को कड़ाई के साथ लागू क्यों नहीं करती है ? अगर ऐसा किया गया तो श्रमिकों की दशा में निश्चय ही सुधार होगा।

मैं जानता हूं कि चाय बागानों में छोटे से छोटा प्रसूति लाभ जिस का उपबन्ध प्रसूतिलाभ अधिनियम के अधीन दिया गया है, नहीं दिया जाता है। इस को पूर्णतया लागू किया जाना चाहिये।

चाय बागानों के श्रमिक बार बार यह मांग करते हैं कि वेतन की वर्तमान

दरें बहुत कम हैं । अतः सरकार को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही करनी चाहिये । हम सभी जानते हैं कि बागानों के स्वामी चाय श्रमिकों के साथ अमानुषिक बर्ताव करते हैं । अभी टुन्डू चाय बागानों में २०० परिवारों को वहां के प्रबन्धक ने पानी से भरे मकानों में रहने के लिये विवश किया जिस से कि वह बाढ़ में बह गये । इस सम्बन्ध में मैं ने एक प्रश्न भी प्रस्तुत किया था और मांग की थी कि इस की जांच की जाये । इसलिये जब तक श्रम अधिनियमों को पूर्णतया लागू कर के सरकार इन बागानों के मालिकों को ठीक नहीं करेगी तब तक इन अन्य सुविधाओं को देने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि नये मालिक भी इसी प्रकार श्रमि विधियों की अवहेलना करते रहेंगे ।

श्री एन० एम० लिंगम् (कोयम्बटूर) : अभी माननीय मंत्री ने इसे एक बड़ा सीधा तथा स्वागत योग्य विधेयक बताया था, तो क्या इस अवसर पर हम चाय बोर्ड के कार्यों पर विचार कर सकते हैं ? क्योंकि इस अतिरिक्त कर के द्वारा ही चाय बोर्ड की निधि में वृद्धि होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह श्रमिकों को सुविधायें देने के लिये है । क्या माननीय सदस्य को यह भय है कि इस का ठीक परिपालन नहीं किया जायेगा ?

श्री एन० एम० लिंगम् : जी हां । चाय बोर्ड केवल चाय का प्रचार मात्र करता है । बोर्ड के अन्तिम प्रतिवेदन से उस के कार्यों के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है । भारतीय चाय अनुज्ञापन समिति तथा रबर बोर्ड और कॉफ़ी बोर्ड ने अपने कार्यों का विस्तृत वर्णन किया है । परन्तु चाय बोर्ड ने संक्षेप में इसे दिया है और इस से पता चलता है कि चाय बोर्ड ने इस निधि का प्रयोग चाय के प्रचार के लिये किया है । २५,४८,००० रुपये भारत में तथा ५३,५०,००० रुपये विदेशों में प्रचार कार्य पर व्यय किया गया है । चाय बोर्ड केवल प्रचार कार्य कर रहा है तथा अनुज्ञापन समिति चाय उत्पादन के विस्तार को नियंत्रित करने का कार्य करती है । एक ओर चाय की खपत बढ़ाई जा रही है दूसरी ओर उस के उत्पादन पर नियंत्रण लगाया जा रहा है, जिस से स्थिति बड़ी अजीब हो गई है । नवीन चाय अधिनियम के अनुसार ये दोनों अधिकार एक ही संस्था को सौंप दिये गये हैं ।

प्रचार कार्य बड़े ज़ोर से हो रहा है तथा इस पर पर्याप्त धन व्यय हो रहा है । मैं इस प्रचार कार्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । चाय बोर्ड ने प्रचार कार्य के लिये जिस चाय को लिया वह बहुत ही घटिया क़िस्म की थी तथा चाय बोर्ड द्वारा दी जाने वाली यह चाय उस के प्रचार के स्थान पर उद्योग को बदनाम ही करती है । चाय बोर्ड ने अपने मूल कार्य को ही भुला दिया है । अन्य मुख्य कार्यों पर जैसे चाय उत्पादन, विक्रय, विक्रय प्रणाली, दलाली गवेषणा आदि के सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किया है । यहां तक कि भारतीय दलालों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों को भी यह बोर्ड नहीं सुलझा सका है ।

माननीय मंत्री ने भी कहा था कि चाय बोर्ड को एक निगम स्थापित करना चाहिये था अथवा छोटे उत्पादकों को कुछ सुविधायें देनी चाहिये थीं । हम वर्ष के अन्त में हैं । इसलिये यदि हम चाय उत्पादन पर १ अप्रैल, १९५५ के पश्चात् नियंत्रण लगाना चाहते हैं तो हमें अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का नवीकरण करना होगा । अभी तक क़रार द्वारा स्वीकृत ४०,००० एकड़ भूमि

[श्री एन० एम० लिंगम्]

पर भी चाय नहीं बोई गई है । यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर पुनः हस्ताक्षर करते हैं तो क्षेत्रफल ४०,००० एकड़ और बढ़ जायेगा । इस प्रकार ८०,००० एकड़ भूमि हो जायेगी । इस नियंत्रण के न होने पर भी हम इतनी भूमि को चाय उत्पादन के काम में नहीं ला सकते थे इसलिये मेरे विचार से हमें अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौते में सम्मिलित होने से कोई लाभ नहीं है । इस समझौते का सदस्य होने से केवल बड़े उत्पादकों को ही यह सुविधायें मिल सकेंगी और छोटे उत्पादकों को अतीव हानि होगी । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर है तथा वह चाहते हैं कि इस निधि के द्वारा छोटे चाय बागानों के मालिकों को सहायता दे सकेंगे ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सरकार ने इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में दो बातें दी हैं । पहली यह है कि इस से चाय उद्योग का चतुर्मुखी विकास होगा, तथा दूसरे श्रमिकों की दशा सुधर जायेगी । मैं श्री तुषार चटर्जी के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि श्रमिकों की दशा का सुधार करने का उत्तरदायित्व चाय बागानों के मालिकों का कर्तव्य है, सरकार अपने ऊपर ले रही है । मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि यह उत्तरदायित्व कितना सरकार का है तथा कितना बागान श्रम अधिनियम के अन्तर्गत बागान मालिकों का है । जनता यह सोच सकती है कि चाय बाग़ानों के मालिक २ रुपये अधिक कर दे कर श्रमिकों की दशा सुधारने का दायित्व सरकार पर डाल देते हैं । यही अवसर बागान श्रम अधिनियम को लागू करने का है । इस समय वह श्रमिकों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सकते है । चाय बागानों के मालिक अपने उत्तरदायित्व को यह कह कर कि सरकार को अब १ करोड़ रुपये से अधिक मिल रहा है इसलिये उसे ही श्रमिकों की दशा सुधारनी चाहिये, अपना छुटकारा करा सकते हैं । यही समय है जबकि सरकार मालिकों को उन के कर्तव्य का बोध करा सकती है ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् केन्द्रीय चाय बोर्ड का विचार एक गोदाम बना कर कलकत्ते में चाय बेचने का था जिस से कि भारत चाय का केन्द्र बन जाये । इस प्रकार के कार्य के लिये ८० तथा ९० लाख रुपया व्यय होता था तथा यदि सरकार ऋण के रूप में इस रक़म को दे देती तो यह इस कर के द्वारा इकट्ठा किया जा सकता है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार इस योजना के लिये इस कर में से कुछ धन देने के प्रश्न पर विचार करेगी जिस से कि भारत की आर्थिक स्थिति सुधर सके और मध्यस्थ अंग्रेजों को जो लाभ मिलता है वह भारत में ही रह जाये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : मुझे आश्चर्य है कि यह विधेयक इतनी देर में प्रस्तुत किया गया जबकि ब्रिटेन में चाय के मूल्यों के बढ़ जाने से वहां के मंत्रिमंडल पर उस का प्रभाव पड़ने की आशा की जा रही है । पिछले अगस्त सत्र में बागान मालिक संस्था के सभापति ने कलकत्ते में एक वक्तव्य दिया था कि उद्योग मूल्यों में स्फीति हो जाने से संकट का सामना कर रहा था । यह उद्योग निर्यात पर निर्भर है ।

यदि चाय का मूल्य बढ़ जायेगा तो संभव है कि निर्यात कम हो जाये इसलिये इस के मूल्य में समानता रहना नितान्त आवश्यक है । जब मूल्यों में वृद्धि होती

है तो उस के पश्चात् यह निश्चित है कि कमी ही होगी तथा इस कमी का परिणाम श्रमिकों पर बहुत ही बुरा पड़ता है । जब लाभ अधिक होता है तो यह लाभ बागान मालिकों को लाभ होता है परन्तु कमी का प्रभाव केवल श्रमिकों पर ही पड़ता है इसलिये देश में एक ऐसे अभिकरण की आवश्यकता है जो एक समान मूल्य रखने का उत्तरदायित्व ले सके जिस से कि वृद्धि या कमी अत्यधिक न हो सके । परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है और मेरा यह विचार था कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस सम्बन्ध में कुछ करना नहीं चाहता है । परन्तु सौभाग्य से यह विधेयक प्रस्तुत हुआ । इस में दो चीजें हैं । पहली यह कि सरकार छोटे उत्पादकों की सहायता करने को प्रस्तुत हुई है । पिछले संकट काल में अनेक छोटे बागान बन्द हो गये थे जिस से कि लगभग ६०,००० श्रमिक बेकार हो गये थे । इस की चाय बोर्ड ने जांच की थी तथा इस जांच का भी यह परिणाम निकला कि छोटे बागानों को उन्नत करने के लिये इस प्रकार की कोई निधि होनी चाहिये । पिछले संकट के अवसर पर हम ने वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री से इस के लिये प्रार्थना की थी परन्तु हम को केवल आश्वासन ही दिये गये । हमें आशा थी कि इस मूल्य वृद्धि से लाभ उठा कर सरकार बागान मालिकों से कुछ धन प्राप्त कर के छोटे बागानों को सहायता देने के लिये एक निधि स्थापित करेगी । परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है ।

आजकल चाय के मूल्य अधिकतम हैं फिर भी में सभा को बता देना चाहता हूं कि कचार के बागानों में श्रमिकों की मजूरी में कमी की गई है । उस दिन राज्य सभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताया गया था कि प्रतिस्थापन की बात पर विचार किया जा रहा था । कैसी विचित्र बात है कि जब आज चाय का मूल्य अधिकतम हो गया है मज़दूरों को कम मजूरी दी जा रही है और जो कमी कर दी गई थी वह भी पूरी नहीं की जा रही है । सन् १९५२ में वाणिज्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि श्रमिकों के हितों को हानि नहीं पहुंचाई जायेगी, परन्तु सब से पहला वार उसी पर हुआ है । मैं सोच रहा था कि शायद हमारा वाणिज्य मंत्रालय ऐसी कोई योजना बनाये कि आगे कभी ऐसा संकट न आने पाये । परन्तु मुझे खेद है कि मंत्रालय इस के साथ खिलवाड़ कर रहा है । निश्चय ही यह एक ऐसा अवसर था जबकि वह इस उद्योग से कुछ रुपया ले सकते थे जिसे कि फिर किसी संकट के समय काम में लाया जा सकता था । यदि ऐसा किया जाता तो सारा देश उन को साधुवाद देता । परन्तु उन्हों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है ।

सन् १९४९ से १९५२ तक लाभ लगातार बढ़ते ही चले गये हैं । सन् १९५२ में भी जबकि यह कथित संकट आया था ८० प्रतिशत बागानों ने लाभ कमाया था । अन्य देशों में इस स्थिति को संकट नहीं समझा जाता है । सन् १९५२ के बाद से मूल्य लगातार बढ़ते चले गये और आज तो मूल्य आकाश को छू रहे हैं । परन्तु संसार में इस का कोई स्थायी मार्केट बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है । यदि फिर संकट पड़ा तो क्या होगा ? अतः मेरा निवेदन है कि कोई ऐसी योजना बनाई जाये कि बागान उद्योग में जो मुख्यतः निर्यात पर ही जीवित है श्रमिकों की मजूरियों में कोई स्थायित्व लाया जा सके ।

बागान अधिनियम पारित किया गया है परन्तु उसे कार्यान्वित करने के लिये कुछ नहीं किया गया है । संभव है कि उस के कार्यान्वित किये जाने से पहले ही कोई नया संकट आ जाये और सरकार को इस

[श्री के० पी० त्रिपाठी]

फिर स्थगित करना पड़े । जब उद्योग में समृद्धि हो तभी अधिनियम को लागू किया जाना चाहिये । पर ऐसा नहीं किया गया है । मेरी सारी प्रार्थना व्यर्थ गई है ।

सन् १९४८ में डा० लॉयड जार्ज द्वारा एक जांच की गई थी और उस के पश्चात् बागान अधिनियम बनाया गया था । वह सभी हितों से परामर्श कर के पारित किया गया था । उस अधिनियम को तो कार्यान्वित कर ही दिया जाना चाहिये था । मैं आशा करता हूं कि अब सरकार अपने इस उत्तर-दायित्व को समझेगी कि अधिनियम के पारित होने पर वह उसे कार्यान्वित करने के लिये बाध्य है । कार्यान्विति तभी की जानी चाहिये जबकि उद्योग में समृद्धि हो । आज वैसा ही समय है । वाणिज्य मंत्रालय की अक्षमता से हम सुनहरे अवसर के हाथ से निकल जाने की संभावना है । अतः मैं श्रम तथा वाणिज्य मंत्रालयों से प्रार्थना करूंगा कि वह दोनों मिल कर कोई ऐसी नीति बनायें जिस से कि बागान अधिनियम को कार्यान्वित किया जाये और वेतनों तथा मंजूरियों को स्थायित्व दिया जाये ।

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : जिस उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह निस्सन्देह ठीक है । श्री तुषार चटर्जी ने यह आलोचना की है कि उपकर में से श्रम कल्याण के लिये उपबन्ध किया गया है । और यही आलोचना पूंजीपति उत्पादकों द्वारा भी की गई है । मुझे खेद है कि श्री तुषार चटर्जी इन पूंजीपतियों द्वारा फैलाये गये जाल में फंस गये हैं ।

इस विधयक का उद्देश्य बागान श्रम अधिनियम द्वारा किये गये कार्य को बढ़ाने के लिये एक निधि का उपबन्ध करना है । चाय बोर्ड की अपनी श्रम कल्याण निधि है । हम नहीं जानते कि उसे कैसे काम में लाया गया है । मेरा यही निवेदन है कि बागान श्रम अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित किया जाये । जिस निधि का हम उपबन्ध कर रहे हैं वह उक्त अधिनियम द्वारा उप-बन्धित सुविधाओं का स्थानापन्न नहीं हो सकती है ।

श्री लिंगम ने यह सुझाव दिया है कि हमें उतना प्रचार काय नहीं करना चाहिये जितना कि हम अब कर रहे हैं । मेरा मत उन से भिन्न है । इस समय इस कार्य पर २३ लाख रुपया खर्च किया जा रहा है । यह व्यय न्यायोचित है । देश में किये जा रहे प्रचार कार्य को हमें समाप्त नहीं कर देना चाहिये । हमें भारतीय चाय का प्रचार करना चाहिये । हमारी प्रचार संस्थायें यह नहीं कर रही हैं ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसलिये और भी करता हूं क्योंकि अब यह उद्योग अधिक उपकर का भार उठा सकता है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से और अधिक स्पष्टीकरण की मांग करता हूं । क्योंकि उन्होंने निर्यात शुल्क में वृद्धि किये जाने के आदेश दे दिये हैं इसलिये उन्हें उस बढ़ी हुई आय को व्यय करने के लिये कोई योजना बना लेने की आवश्यकता थी । परन्तु माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया है चाय उद्योग को अग्रेतर सहायता देने के लिये कितनी रक़म खर्च की जायेगी ।

उपभोक्ता मूल्य प्रत्येक मास में घटते बढ़ते रहे हैं । सन् १९५३ में १९५२ की अपेक्षा मूल्य २२-२३ प्रतिशत बढ़ गये थे, प्रश्न केवल यह है कि यह निर्यात शुल्क किस

सीमा तक भारत में उपभोक्ता के हितों में सहायक होगा ।

जहां तक चाय के लिये भारत में किये जाने वाले प्रचार का सम्बन्ध है मैं श्री लिंगम् से सहमत हूं कि भारत में किसी अग्रेतर प्रचार कार्य की आवश्यकता नहीं है और जो २३ लाख रुपया इस पर खर्च किया जा रहा है उस का कुछ भाग किसी अन्य कार्य पर लगाया जा सकता है ।

मैंने आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा है कि इंगलैण्ड में चाय बाज़ार में मन्दी आ गई है । मैं माननीय मंत्री से ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या हमारे बढ़ाये हुए निर्यात शुल्क का हमारे विदेशी बाज़ारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

मैं माननीय मंत्री से यह भी ज्ञात करना चाहता हूं कि वह इस देश में तथा विदेश में प्रचार कार्य के लिये कितनी धनराशि आवंटित करना चाहते हैं ।

अन्त में मैं उन से यह पूछना चाहूंगा कि इस आय का कितना प्रतिशत भाग वह श्रम सुविधाओं के लिये पृथक् रक्षित करना चाहते हैं । यदि हम उपकर का कोई प्रतिशत भाग एक व्यपगत न होने वाली निधि के लिये पृथक् रक्षित कर दिया जाये जिस से कि आवश्यकता पड़ने पर श्रम सुविधाओं के लिये उस में से धन लिया जा सके । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इन निधियों के काम में लाये जाने के सम्बन्धित अपने कार्यक्रम का स्पष्टीकरण करने की कृपा करें ।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोड) : मैं एक दो प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : पूछिये ।

श्री दामोदर मेनन : चाय बोर्ड अभी हाल में पुनर्गठित किया गया था । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उपकर बढ़ाने की सिफ़ारिश नये चाय बोर्ड के अनुमोदन या परामर्श के साथ की गई है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे लिये विदेशों में भारतीय चाय के लिये प्रचार करना क्यों संभव नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय चाय बाज़ार विस्तार बोर्ड का सदस्य न रहने के बाद भी हम विदेशों में सामान्यतया चाय का प्रचार करने के लिये ५० लाख रुपया खर्च कर रहे हैं और भविष्य में संभवत: और भी करेंगे । परन्तु क्या हम दूसरे देशों की चाय के लिये यह रुपया खर्च करते रहेंगे ? मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस विषय में भी कुछ स्पष्टीकरण देंगे ।

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि वह श्रम कल्याण सम्बन्धी कृत्य को चाय बोड के कृत्यों में से ले लेंगे । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह अधिनियम को संशोधित कर के ऐसा करेंगे या किसी और तरीके से ?

दूसरी बात यह है कि प्राप्त होने वाली राशि अब बढ़ गई है और मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस अतिरिक्त राशि को कैसे प्रयोग करेगी, क्योंकि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत यह चाय बोर्ड को मिलना चाहिये ।

तीसरी बात यह है कि बोर्ड के लिये जो १५ या १६ कृत्य निर्धारित किये गये हैं, उन में से बहुत से कृत्यों की बिल्कुल ही उपेक्षा की गई है । अत: मैं केन्द्रीय चाय बोर्ड को कोई धन देने के पक्ष में नहीं हूं । इस ने अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित कृत्यों को पूरा करने से इनकार कर दिया है । मैं ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह भी बोर्ड की वर्तमान कार्यवाहियों की निन्दा करने के लिये है । मैं पूछना चाहता हूं कि बोर्ड ने श्रमिकों की कठिनाइयां दूर करने

[श्री के० सी० सोधिया]

के लिये क्या किया है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात की व्यवस्था करें कि बोर्ड के हाथों चाय बागान के भारतीय हितों को हानि न पहुंचे।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री या बोर्ड के ध्यान में श्रमिकों की सुविधाओं के लिये कोई योजनायें हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो प्रश्न पूछे गये हैं, मैं अपनी योग्यता के अनुसार उन का उत्तर देने की कोशिश करूंगा।

चाय अधिनियम की धारा २६ को देखने से मालूम होगा कि सरकार के लिये सारी आय चाय बोर्ड को देना अनिवार्य नहीं है। इस में कहा गया है कि अधिकतम राशि जोकि दी जा सकती है, संग्रह से प्राप्त की हुई राशि है। इस का अर्थ यह नहीं है कि सारी राशि दे दी जाये, जब तक कि इसे सरकार इस की मंजूरी न दे।

हो सकता है कि धारा १०(२)(ख) कुछ हद तक अनावश्यक है। श्री तुषार चटर्जी अवश्य यह अनुभव करेंगे कि श्रमिकों के प्रति चाय बागानों का जो उत्तरदायित्व है सरकार उसे अवश्य पूरा करवायेगी। जो कुछ वे नहीं कर सकते, वह चाय बोर्ड द्वारा किया जायगा। यदि चाय बोर्ड ही सारा उत्तरदायित्व संभाल ले, तो ८५ लाख रुपये की सारी राशि भी पर्याप्त नहीं होगी। मैं अब इस राशि के विनियोग के लिये नहीं कह रहा। पहले यह राशि इकट्ठी की जायेगी। आय-व्ययक के समय मैं आप को बता सकूंगा कि श्रम सम्बन्धी सुविधाओं पर कितना खर्च किया जाता है। इस समय हमारी १० लाख रुपये तक की योजनायें हैं। आय-व्ययक को अन्तिम रूप देते समय संभवतः यह राशि बढ़ा दी जायेगी।

श्री दामोदरन ने कहा है कि चाय बोर्ड से परामर्श नहीं किया गया। यदि इस मामले में हम किसी और से परामर्श करने लगें, तो संभवतः कर इकट्ठा करने के काम को शुरू करते समय ही सब निर्यात समाप्त हो चुका होगा। अतः कर संग्रह के मामले में परामर्श बहुत अनुचित है।

श्री लिंगम ने कहा है कि आन्तरिक खपत के लिये किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं। यह बिल्कुल गलत बात है। हम ६५०० या ६४०० लाख पौंड चाय पैदा करते हैं और हम यह आशा नहीं कर सकते कि इस की खपत विदेशों में ही हो। हमारी आन्तरिक खपत भी बढ़नी चाहिये। कम से कम आधी चाय की खपत तो यहीं होनी चाहिये, शेष हम विदेशों में भेज सकते हैं। किन्तु जिस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है, वह संतोषजनक नहीं है और मैं इस के लिये क्षमा चाहता हूं। हमें अधिक प्रचार करना चाहिये, ताकि चाय को अधिक लोक-प्रिय बनाया जा सके और जितनी चाय हम पैदा करते हैं, उस की आधी की खपत देश में हो सके।

श्री त्रिपाठी ने कुछ प्रश्न उठाये हैं। मैं उन में से एक को लेता हूं अर्थात् चूंकि हम मुख्यतया चाय के विदेशी क्रेता पर निर्भर करते हैं क्या अधिक मूल्यों के कारण ह्रासमान उत्पत्ति नियम लागू होगा ? सम्भवतः यह लागू होगा। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि खरीदार कोई चाय से सस्ती चीज़ पीने लगेगा। मैं जानता हूं कि विदेशों में धनवान लोग चाय नहीं पीते, जनसाधारण ही पीते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ग्राहक बने रहें। मैं ने अन्य देशों के लोगों से कहा है कि यदि मूल्यों पर नियंत्रण किया जाना है, तो मैं सहयोग देने के लिये

तैयार हूं किन्तु उन देशों में यह राजनैतिक दृष्टि से कठिन समझा गया है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमारा उद्देश्य स्पष्ट है । संभव है कि हमारी निर्यात की आय कुछ कम हो जाये, किन्तु हम विदेशी उपभोक्ताओं को, जो सब के सब धनवान नहीं होते लूटना नहीं चाहते । यदि कोई सरकार चाय के मूल्य पर नियंत्रण करने के लिये कहे, तो मैं उस के साथ सहयोग करने के लिये बिल्कुल तैयार हूं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय चाय बोर्ड काम क्यों नहीं करता ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में यह उस के क्षेत्राधिकार में नहीं है । वास्तव में प्रत्येक सरकार को अपनी कार्यवाही करनी पड़ती है । अन्तर्राष्ट्रीय चाय बोर्ड का इस से सम्बन्ध नहीं है ।

जहां तक विस्तार का सम्बन्ध है, मैं श्री लिंगम् को आश्वासन दे सकता हूं कि यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय चाय समझौता में सम्मिलित रहें, तो विस्तार को सीमित नहीं किया जायेगा । इस समय हमारे पास लगभग ४०,००० एकड़ भूमि अप्रयुक्त है । यदि हम अधिक भूमि में चाय की कृषि करना चाहते हैं, तो इस समझौते के संशोधन से, जोकि १९५५ में समाप्त होगा, हमारे लिये विस्तार की बहुत गुंजाइश रहेगी और हम जितना चाहेंगे चाय का उत्पादन बढ़ा सकेंगे ।

जहां तक भारतीय चाय के प्रचार का सम्बन्ध है, मेरे विचार में माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण बहुत संकुचित है । यदि हम किसी अन्य देश के साथ सहयोग करते हैं, तो हम केवल चाय का प्रचार कर सकते हैं । यदि आप भारतीय चाय का प्रचार करना चाहते हैं, तो आप को अपने खर्च पर करना पड़ेगा । ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि हमें अन्य चाय हितों से कुछ सहयोग प्राप्त होता है । किसी विशिष्ट देश की चाय के लिये अन्य देशों में बहुत कम प्रचार किया जाता है ।

हम भारतीय चाय के प्रचार पर अधिक रुपया खर्च कर सकते हैं और अलग विज्ञापन दे सकते हैं किन्तु अन्य देशों के चाय व्यापार के साथ मिल कर इसलिये प्रयत्न किया जाता है, ताकि चाय की खपत बढ़े और सब को लाभ पहुंचे । चूंकि हम चाय के बड़े बड़े उत्पादकों में से हैं, इसलिये लाभ में हमारा भाग अधिक होगा । हम चाहें तो दार्जिलिंग या नीलगिरि की चाय का अपने खर्च पर प्रचार कर सकते हैं । हमें कोई रोक नहीं सकता । किन्तु अन्य देशों के चाय के व्यापारी इस में हमारा साथ नहीं देंगे ।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को फिर याद दिलाना चाहूंगा कि यह कोई विनियोग विधेयक नहीं है, बल्कि केवल कर लगाने का मामला है । जब मेरे मंत्रालय की मांगें प्रस्तुत करने का समय आयेगा, तो संग्रह की गई राशि को खर्च करने के सम्बन्ध में मैं अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय अधिनियम १९५३ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधनों के लिये मेरे पास समय नहीं है । इन पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है । किन्तु सरकारी संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है ।

खंड १—(संक्षिप्त नाम)

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हुं कि :

पृष्ठ १, पंक्ति ३ और ४ में,

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

"Second Amendment" ["द्वितीय संशोधन"] शब्दों के स्थान पर "Amendment" ["संशोधन"] शब्द रखा जाये ।

पूरा नाम

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १ में, "Further" ["अग्रेतर"] शब्द हटा दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ १, पंक्ति ३ और ४ में, "Second Amendment" ["द्वितीय संशोधन"] शब्दों के स्थान पर "Amendment" ["संशोधन"] शब्द रखा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पृष्ठ १ में "Further" ["अग्रेतर"] शब्द हटा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २—[धारा २५ का संशोधन]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तुषार चटर्जी का संशोधन अनियमित है क्योंकि वह कर को बढ़ाना चाहते हैं जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाना चाहिये ।

दूसरे संशोधन में भी कोई ठोस बात नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २, संशोधित रूप में, खंड १ संशोधित रूप में, विधेयक का नाम, तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ संशोधित रूप में, खंड १, संशोधित रूप में विधेयक का नाम और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा-समिति को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे विषयों के लिये अधिक समय दिया जाये, समय की कमी के कारण ही मैं कई लोगों को बोलने का अवसर नहीं दे सका हूं ।

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री कानूनगो) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस विधेयक का आशय प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के हेतु भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ को, अधिनियम की प्रथम अनुसूची में कुछ परिवर्तन करते हुए, संशोधित करना है । विधेयक से संलग्न उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में सभा ने देखा होगा कि आयोग की सिफा-

रिशों में मोटर गाड़ी लीफ स्प्रिंग को प्रथम बार संरक्षण देने, सिलाई की मशीनों पिकर्ज़ और जीप उद्योग को दिया जाने वाला संरक्षण वापस लेने और आयोग के विचार करने तक दस उद्योगों के संरक्षण को अस्थायी रूप से एक वर्ष तक बढ़ा देने का सुझाव दिया गया है ।

पहले मैं उन उद्योगों, अर्थात् सिलाई की मशीनें, पिकर्ज़ और जीप उद्योग, के बारे में कहूंगा जिन्हें प्रथम जनवरी, १९५५ के पश्चात् संरक्षण नहीं मिलेगा । इन उद्योगों पर प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उन पर सरकार के संकल्पों की प्रतियां पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी हैं। अतः इन उद्योगों के बारे में मुझे विस्तारपूर्वक कुछ कहना आवश्यक नहीं और मैं सरसरी तौर से उन पहलुओं के बारे में कहूंगा जिन के कारण सरकार को यह कार्यवाही करनी पड़ी है ।

मुझे इस बात से बड़ा सन्तोष होता है कि सिलाई की मशीन के उद्योग ने उस संरक्षण को उचित प्रमाणित कर दिया है जो उन्हें साढ़े सात वर्ष पूर्व अप्रैल, १९४७ में दिया गया था । संरक्षण काल में इस उद्योग ने निरन्तर प्रगति की है । उत्पादन बढ़ गया है, उन में सुधार भी हुआ है और आयात भी घट गया है । निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलेगा कि उद्योग ने न केवल देश के बाज़ार में ही अपने आप को स्थिर कर लिया है बल्कि निर्यात बाज़ार में भी अपनी हालत बड़ी सुधार ली है । १९५१ में हम ने ६१६४, १९५२ में ८११९ और १९५३ में १०८६३ मशीनों का निर्यात किया गया था । देश में बनाई जाने वाली मशीनों का कारखाने से निकलते ही मूल्य (१०५ रु०) सस्ते से सस्ते स्थान (जापान) से आयात की गई मशीनों के, शुल्क को छोड़, तटागत मूल्य, अर्थात् १४६ रु०, से कम है । उद्योग की अवस्था अब यह है कि इसे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है । यह अपने पांव पर खड़ा हो सकता है । आयोग ने सिफारिश की है कि प्रथम जनवरी १९५५ से संरक्षण वापस ले लिया जाये और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है और विधेयक में आवश्यक व्यवस्था भी कर दी गई है । अगले वर्ष के आरम्भ से सिलाई की मशीनों पर केवल राजस्व शुल्क लिया जायेगा ।

पिकर्ज़ उद्योग के बारे में आयोग की जांच से पता चलता है कि देशीय पिकर्ज़ के कारखाने से निकलते समय का उचित मूल्य, शुल्क को छोड़ कर तटागत मूल्य से कम है । आयोग की राय है कि यदि भारतीय मानक संस्था के ब्यौरे का पालन करते हुए यह उद्योग अपने उत्पादन के गुण-प्रकार के उच्च स्तर को बनाये रखे तो मूल्यों की इस अनुकूल स्थिति से देशीय उद्योग को निर्यात बाज़ार के विकास में बड़ी सहायता मिलनी चाहिये । आयोग ने सिफारिश की है कि प्रथम जनवरी १९५५ से इस उद्योग को संरक्षण देना बन्द कर दिया जाये और सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है । शुरू शुरू में अप्रैल १९४९ में संरक्षण दिया गया था इसलिये इस उद्योग ने पांच वर्ष और नौ मास तक संरक्षण प्राप्त किया ।

अब मैं ज़िप उद्योग के बारे में कहूंगा । मुझे खेद है कि इस की हालत अधिक सन्तोषजनक नहीं है । आयोग इस परिणाम पर पहुंचा है कि ज़िप के देशीय उत्पादकों ने उस संरक्षण से उचित लाभ नहीं उठाया जो उन्हें दिया गया था । उन के उत्पादन की गुण-प्रकार का स्तर सन्तोषजनक नहीं हो सका । स्थानीय वस्तु के कारखाने से निकलते समय के उचित मूल्य की सस्ते से सस्ते स्थान से आयात किये गये ज़िपों के बिना शुल्क के तटागत मूल्य से, तुलना की गई है और उस से पता चलता है कि

[श्री कानूनगो]

संरक्षणात्मक शुल्क लगभग १६५ प्रतिशत मूल्यानुसार है । आयोग ने विचार किया कि उपभोक्ताओं पर इतना भारी बोझ लादना उचित नहीं है और उस ने सिफारिश की है कि प्रथम जनवरी १९५५ से इस उद्योग पर से संरक्षण हटा लिया जाये । क्योंकि संरक्षण देने में उपभोक्ताओं को कुछ बलिदान देना पड़ता है इसलिये संरक्षित उद्योग का जनता के प्रति यह कर्तव्य होता है कि वह संरक्षण को अच्छे से अच्छे ढंग में प्रयोग करे । स्वतंत्र अधिकरण द्वारा यह निर्णय दिये जाने के पश्चात् कि संरक्षण प्राप्त करने के दौरान में ज़िप उद्योग ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, यह उद्योग सरकार की सहानुभूति का पात्र नहीं है । अतः इस उद्योग को संरक्षण देना बन्द कर दिया जायेगा परन्तु विद्यमान ६६ २/३ प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क राजस्व शुल्क के रूप में जारी रहेगा । यदि भविष्य में ज़िप उद्योग की हालत अधिक सन्तोषजनक हो जाये और वह संरक्षण के लिये आवेदन पत्र दे तो सरकार इस पर विचार करने को तैयार होगी ।

अब मैं मोटर गाड़ियों के लीफ स्प्रिंग उद्योग के बारे में कहूंगा जिसे प्रथम बार संरक्षण दिया जायेगा । सभा को विदित है कि मोटर गाड़ियों के उद्योग को संरक्षण देने के विषय में सिफारिशें करते समय प्रशुल्क आयोग ने विचार किया कि पृथक पृथक प्रत्येक सहायक उद्योग का परीक्षण करना आवश्यक है । वे इन उद्योगों के मामलों को एक एक कर के ले रहे हैं और उस ने लीफ स्प्रिंग उद्योग के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है । प्रतिवेदन और उन पर सरकार के संकल्पों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी गई हैं ।

लीफ़ स्प्रिंग मोटर गाड़ी का एक महत्वपूर्ण पुर्जा होता है और सारी गाड़ी का बोझ अगला और पिछला स्प्रिंग ही झेलता है । आयोग ने ध्यानपूर्वक जांच करने के पश्चात् सिफारिश की है कि लीफ स्प्रिंग और उस के पुर्जों पर विद्यमान ५० प्रतिशत मूल्यानुसार राजस्व शुल्क को ३१ दिसम्बर, १९५६ तक उसी के समान संरक्षणात्मक शुल्क में परिवर्तित कर दिया जाये । सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और यह विधेयक इसे लागू करना चाहता है । मैं बताता हूं कि इस सिफारिश को स्वीकार करने से उपभोक्ता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा ।

अब मैं उन उद्योगों पर आता हूं कि जिन का संरक्षण ३१ दिसम्बर १९५४ को समाप्त हो जायेगा पर आयोग ने अभी उन का पुनरीक्षण नहीं किया है । यह उद्योग मांड़, ग्लूकोस, सोडा ऐश, केल्सियम क्लोराइड, टीटानियम आक्साइड, नकली सिल्क और सूत और नकली रेशम, मिली धातु के औजार, विशेष इस्पात, लोहे तथा इस्पात के पेंच और लोहे तथा इस्पात की बनी चक्की और गट्टर बांधने की चद्दर आदि हैं । इन सभी मामलों में आयोग ने सिफारिश की है कि संरक्षण अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया जाय जब तक कि वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न करे । अतः यह विधेयक इन उद्योगों के संरक्षण की कालावधि एक वर्ष के लिये अर्थात् दिसम्बर १९५५ तक बढ़ाने की मांग करता है । इन उद्योगों के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पण सदस्यों को बांटे जा चुके हैं । मैं उन के बारे में इस समय कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझता क्योंकि जब इन उद्योगों का प्रतिवेदन पेश होगा और सरकार अपने निश्चयों को कार्यान्वित करने के लिये विधान बनाना चाहेगी उस समय हमें पूर्ण चर्चा का अवसर मिलेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

सर्वप्रथम मैं श्री वी० पी० नायर को पुकारता हूं क्योंकि उन्हों ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है । प्रत्येक सदस्य के लिये १० मिनट का समय रहेगा ।

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : मैं केवल उन एक दो वस्तुओं के बारे में ही कहूंगा जिन्हें ३१ दिसम्बर १९५५ तक संरक्षण देने का प्रस्ताव किया गया है । प्रशुल्क आयोग की जांच से पता चलता है कि सागो, टेपियोका के दाने, मांड और टेपियोका की अन्य वस्तुओं को संरक्षण प्राप्त है । इस विधेयक का आशय मांड, माड़ी (फरीना) और सागो के आटे को संरक्षण प्रदान करना है ।

इन वस्तुओं की जांच करते समय प्रशुल्क आयोग ने ठीक ढंग से कार्य नहीं किया है । आयोग इस बात को स्वीकार करता है कि त्रावनकोर-कोचीन में १५.० लाख टन टेपियोका का दाना पैदा किया जाता है परन्तु इस की सार्वजनिक जांच बम्बई में की गई जहां त्रावनकोर-कोचीन और मालाबर के टेपियोका उत्पादकों का पहुंचना इतना सरल न था । आयात के आंकड़े देखने से पता चलेगा कि अब भी मांड का आयात किया जाता है और टेपियोका का मूल्य भी बहुत गिर गया है ।

पिछली बार जब इसी प्रकार के एक विधेयक पर विचार किया जा रहा था तो हम ने इस बात पर आग्रह किया था कि भारत सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि मूल्य अधिक कम न हों ।

त्रावनकोर-कोचीन सरकार द्वारा जांच की गई और यह सिफारिश की गई कि टेपियोका का मूल्य ९ और १२ पाई प्रति पाऊंड होना चाहिये परन्तु इस समय इस का मूल्य ३ पाई प्रति पाऊंड है ।

२४ अगस्त, १९५४ को डा० पंजाबराव देशमुख ने विश्वास दिलाया कि यदि इस का मूल्य लाभप्रद स्तर से गिर गया तो केन्द्रीय सरकार उपयुक्त कार्यवाही करेगी । इस के मूल्य में अभूतपूर्व कमी हो जाने पर सरकार केवल इस के कुछ भाग का संरक्षण कर रही है । सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है मुझे पता चला है कि टेपियोका की मांड और मक्का की मांड के रेल भाड़े में भी अन्तर रखा गया है । त्रावनकोर-कोचीन के उत्पादकों के कुछ प्रतिनिधि अभ्यावेदन करने दिल्ली आये हुए हैं । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे उन लोगों से बातचीत कर के वास्तविक स्थिति का पता लगायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या टेपियोका लाने और ले जाने के लिये अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं होती ?

श्री वी० पी० नायर : बिल्कुल नहीं । यह तथ्य है कि मकई, सागूदाना और अन्य चीजें २ रुपये १३ आने १ पाई प्रति मन के हिसाब से रेलवे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती हैं, जबकि टेपियोका मांड के लिये ३ रुपये ११ आने १ पाई प्रति मन देना पड़ता है । माननीय मंत्री कृपया इस की ओर ध्यान दें ।

युद्ध के दिनों में सूती वस्त्र बनाने वाले मिलों को अनिवार्य रूप से इमली की मांड लेनी पड़ती थी ताकि खाद्य सामग्री बचाई जा सके । इसी प्रकार अब भी उन मिलों को कम से कम कुछ मात्रा में टेपियोका मांड का अभ्यंश निश्चित करने के लिये कहा जा सकता है ।

श्री ए० एम० थामस : अब औद्योगिक मांड का बिल्कुल आयात नहीं किया जाता ।

श्री वी० पी० नायर : मद्रास में अभी भी कुमकुम बनाने के लिये मांड का आयात किया जाता है । यदि मांड के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तो यह विधान विशेष व्यर्थ है, क्योंकि उस अवस्था में वर्तमान अवधि को ३१ दिसम्बर, १९५५ तक बढ़ाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है ।

हम योजना आयोग पर इतना अधिक धन खर्च रहे हैं, परन्तु मलबार ज़िले में, जहां अत्यधिक टेपियोका पैदा होता है, क्या सरकार का विचार कोई कारखाना स्थापित करने का है, ताकि टेपियोका उत्पादक अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें । हमें कई प्रकार के ग्लूकोज़ की आवश्यकता है और इस के लिये इस भूमि के कुछ भाग में अन्य प्रकार की खेती करनी पड़ेगी ।

औषधि-निर्माण उद्योग के लिये और मिष्ठान्न उद्योग के लिये भी यह उपयोगी है । फिर सरकार देशी साधनों का उपयोग करने के लिये कारखाना क्यों स्थापित नहीं करती ?

टेपियोका संकट काल में खाद्यान्न के रूप में प्रयोग में आता है और इस की फसल से धन भी प्राप्त होता है, इसलिये हमारे प्रदेश में टेपियोका की बड़ी खेती होती है । अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि साधारण स्थिति आने तक टेपियोका उत्पादकों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये । जब तक सरकार टेपियोका उत्पादकों को अच्छे मूल्य दिलाने के हेतु उद्योग स्थापित नहीं करती, सरकार को टेपियोका उत्पादकों की सहायता करनी चाहिये, क्योंकि त्रावन-कोर-कोचीन सरकार ने इस दिशा में कुछ सारभूत काम किया है । खाद्य मंत्री ने यह विश्वास दिलाया था कि जब मूल्य आर्थिक सीमा से कम होंगे तब भारत सरकार कार्य-वाही करेगी । अब वह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और मूल्य आर्थिक सीमा से बहुत कम हो चुके हैं, अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उस प्रदेश के प्रतिनिधियों और टेपियोका उत्पादकों के प्रतिनिधियों के परामर्श के साथ इस मामले में उचित कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि टेपियोका उत्पादकों की कठिनाइयां दूर हो सकें ।

श्री तुलसीदास (मेहसाना—पश्चिम): इस छोटे विधेयक में १३ उद्योगों को संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के प्रस्तुत न होने की अवस्था में ऐसा करना अवांछनीय होगा ।

जब प्रशुल्क आयोग को किसी उद्योग को संरक्षण देने का मामला सौंपा जाता है तो इसे शीघ्रातिशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिये । बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रशुल्क आयोग सरकार को अतिशीघ्र प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । अतः सरकार को इस आयोग के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर ५ के स्थान पर ७ कर देनी चाहिये, और इस आशय का संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये ।

अल्पकालीन संरक्षण से उद्योगों को विशेष लाभ नहीं होता इसलिये उद्योग यह जानने को उत्सुक हैं कि दीर्घकालीन संरक्षण क्या है ।

प्रशुल्क आयोग केवल प्रशुल्क बढ़ाने की ही सिफारिश नहीं करता, अपितु कुछ अन्य सुझाव भी दिया करता है जिन की सरकार द्वारा सदा अवहेलना की जाती है । उदाहरणार्थ कई मामलों में उस ने करारोपण या भाड़ा की दरों में कमी करने की सिफा-

रिशें की हैं, परन्तु उन की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया गया है ।

दूसरी बात यह है कि तीन महीनों के अन्दर प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन संसद् के सामने प्रस्तुत नहीं किये जाते, और विलम्ब करने में परन्तुक का दुरुपयोग किया जाता है । प्रतिवेदन बहुत देर के बाद प्रस्तुत किये जाते हैं, अतः मेरा निवेदन है कि धारा १६(२) के अनुसार सरकार को नियत अवधि के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिये । यदि सरकार इस परीक्षण के लिये प्रशुल्क आयोग को अधिक समय देना चाहती है, तो कार्यपालिका को आयात शुल्क बढ़ाने या घटाने की शक्ति दी जानी चाहिये । अन्यथा उद्योग प्रगति नहीं कर सकता ।

उद्योग को दो दृष्टिकोणों से देखना पड़ता है; एक उसी उद्योग के लिये ; दूसरे उस से उत्पादित कंच्चे माल के लिये जो अन्य उद्योगों के काम में आता है । इन दोनों दृष्टिकोणों से इस पर विचार करना पड़ता है । इस से सम्बन्धित और भी कई बातों पर विचार करना पड़ता है । अतः आयात नीति संबंधी प्रतिबंध का मामला सरकार के हाथों में होना चाहिये । व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार के प्रतिबन्धों के बावजूद हमारे अविकसित देश में, विशेषतया हमारे भुगतान सन्तुलन की दृष्टि से, प्रतिबन्धों का मामला सरकार के हाथ में रहना अनिवार्य है, और यदि प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत नहीं हो सकता, तो इसी उपाय को अपनाना चाहिये ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखपटनम्) : सभा को स्मरण होगा कि जब श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने प्रशुल्क विधेयक के सम्बन्ध में प्रथम संशोधन प्रस्तुत किया, तो मैं ने प्रशुल्क आयोग की रचना, शक्तियों और क्षमताओं आदि के विषय में प्रश्न उठाया था । मैं अतिशीघ्र जांच के पक्ष में नहीं हूं । मेरे इस सुझाव को वाणिज्य मंत्री ने स्वीकार कर लिया था कि इस आयोग के सदस्य बढ़ा दिये जायें और शीघ्र जांच करने के लिये इसे तदर्थ वर्गों में विभक्त कर दिया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि प्रशुल्क बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

प्रशुल्क आयोग के सदस्यों को अन्यत्र नौकरी स्वीकार करने की अनुमति दी जाती है, यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकार अनुभवी व्यक्ति इस आयोग से निकल जाते हैं । प्रोफेसरों की बजाये प्रशासनिक पदाधिकारी इस आयोग में अच्छा काम कर सकते हैं । इस समय आयोग के सदस्यों में वह अनुभव और विशेष ज्ञान नहीं है जो सरकारी निर्णयों के लिये उचित मार्ग-दर्शन कर सके । दूसरी बात यह है कि उन्हें एक वर्ष में अनेक मामले सौंप दिये जाते हैं, भला वे उन सब का कैसे निपटारा कर सकते हैं ? यदि आवश्यक हो, तो उन को प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है । मेरा यह भी सुझाव है कि जैसा अन्य निगमों के मामले में किया गया है, इस मामले में भी व्यापार प्रबन्धकों को इस आयोग में लिया जा सकता है ।

इस के अतिरिक्त, प्रशुल्क आयोग के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिये, क्योंकि वर्तमान संख्या से आयोग का सारा काम कुशलतापूर्वक नहीं चल सकता । मंत्री महोदय ने दो वर्ष पूर्व सदस्यों की संख्या बढ़ाने का आश्वासन भी दिया था ।

इस विधेयक में दस उद्योगों को संरक्षण देने का विचार किया जा रहा है । इस प्रकार का विधान संविधान के प्रतिकूल है । मैं उपमंत्री महोदय की विवशता का अनुभव करता हूं । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि

[डा० लंकासुन्दरम्]

प्रशुल्क आयोग को छः महीने में अपना प्रतिवेदन पूरा करने के लिये कहा जाय और इस विधेयक को स्थगित कर दिया जाय। संरक्षण का औचित्य जाने बिना उपभोक्ता के ऊपर बोझ डालना सर्वथा अनुचित है। इन सब उद्योगों को संरक्षण देने और संरक्षण की अवधि बढ़ाने के मामले में पृथक् पृथक् विचार करना होगा। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार प्रशुल्क आयोग के सदस्यों को बढ़ाने और कतिपय उद्योगों के मामले में प्रशुल्क संरक्षण समाप्त होने पर पर्याप्त पूर्वसूचना देने और संरक्षण वृद्धि के लिये सभा से निवेदन करने से पूर्व संरक्षण की आवश्यकताओं का औचित्य जानने के लिये पर्याप्त जांच पड़ताल करेगी।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर—मध्य) : यद्यपि वे सभी बातें, जो मैं कहना चाहता हूं, पहले ही कही जा चुकी हैं, तथापि, मैं उन्हें अपने ही दृष्टिकोण से सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं। प्रति वर्ष सरकार उद्योगों को संरक्षण देने के विषय में, सभा में आ कर कहती है "अमुक अमुक उद्योगों को संरक्षण देना चाहिये, और अमुक अमुक को नहीं देना चाहिये।" परन्तु अब प्रश्न यह है कि बिना प्रशुल्क-आयोग के प्रतिवेदन के, किसी उद्योग को संरक्षण देने अथवा न देने के विषय में विनिश्चय ही कैसे किया जा सकता है। इस का भयानक परिणाम यह होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्योग को पूर्ण उत्साहपूर्वक नहीं चला सकता, क्योंकि वह निर्णय नहीं कर सकता कि उस विशेष उद्योग को कितने समय तक सरकार का संरक्षण मिलता रहेगा। अतः इस प्रकार के विधेयक को सभा के सम्मुख प्रस्तुत करने से पूर्व, सरकार को, उस उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त कर लेना चाहिये ; अथवा सरकार को अपने एक विभाग के द्वारा उस उद्योग को संरक्षण देने अथवा न देने की समस्या का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लेना चाहिये।

हम पंचवर्षीय योजना के अधीन अनेकानेक नये उद्योग चलाने वाले हैं। अतः प्रशुल्क आयोग को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये। परन्तु आजकल अधिक कार्यव्यस्त होने के कारण प्रशुल्क आयोग, उद्योगों को संरक्षण देने अथवा न देने के बारे में ठीक ठीक सिफ़ारिश नहीं दे सकता, अतः उन्हें पर्याप्त कर्मचारी देने चाहियें ताकि वे अपना कार्य उचित प्रकार से निभा सकें।

हम 'व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य करार' के अधीन किसी भी वस्तु का प्रशुल्क संरक्षण शुल्क नहीं बढ़ा सकते। अतः यदि प्रशुल्क आयोग, अपना प्रतिवेदन समय पर नहीं देगा, तो हमें विदेशीय मुद्रा की हानि होगी और हम अपने उद्योगों का विकास नहीं कर सकेंगे। इसलिये यदि आयोग इस मामले पर विचार नहीं कर पाता है तो सरकार को इसी कार्य के लिये बनाये गये एक विभाग के द्वारा इन बातों पर विचार करना चाहिये।

मेरे राज्य के एक गांव, चम्पारन में बटनों के उद्योग को पहले संरक्षण दिया गया था, परन्तु अब संरक्षण समाप्त कर दिया गया है। इस से यह भय है कि कहीं वह उद्योग समाप्त ही न हो जाये। अतः सरकार को इन ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की ओर ध्यान देना चाहिये और इन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिये।

श्री ए० एम० थामस : प्रस्तुत विधेयक के एक उपबन्ध के अनुसार दस उद्योगों के संरक्षण की कालावधि ३१ दिसम्बर, १९५५ तक बढ़ा दी गई है। उन उद्योगों के विषय में प्रशुल्क आयोग जांच कर रहा

है । किसी भी उद्योग को संरक्षण देते समय उस उद्योग के विकसित होने की संभावनाओं पर अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिये और यह भी देखना चाहिये कि उसे विदेशों में निर्यात करने की कोई संभावना भी है या नहीं । परन्तु टेपियोका उद्योग के बारे में, उस की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । इस के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग की दी गई सिफ़ारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुमानानुसार इस समय देश में मांड की मांग ५५,००० टन प्रति वर्ष है । इस का वास्तविक उत्पादन १९५१ में लगभग ८७९३ टन, १९५२ में ७७६२ टन, १९५३ में १७,१९३ टन था, और १९५४ में अगस्त तक २६,३४९ टन हो चुका है । तो इस का अर्थ है कि इस उद्योग को विकसित करने की पूरी संभावना है, परन्तु इसे विकसित करने का पूरा प्रयत्न नहीं किया गया ।

टेपियोका जांच समिति के प्रतिवेदन की ओर मैं केन्द्रीय सरकार का, ध्यान दिलाना चाहता हूं । इस प्रतिवेदन में दी गई सिपारिशें वास्तव में बहुमूल्य हैं, और हमें उन पर अवश्य विचार करना चाहिये । सरकारी आंकड़ों के अनुसार त्रावनकोर-कोचीन में टेपियोका का उत्पादन ५,४०,६४९.७ एकड़ में होता है, परन्तु सांख्यिकी बोर्ड के आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि इस का उत्पादन १४,२५,९१७ एकड़ तक भूमि में हो सकता है । तो इस का अर्थ यह है कि इस उद्योग के द्वारा देश का अन्न और धन दोनों बढ़ाये जा सकते हैं । इस की बनी हुई वस्तुओं को विदेशों में भी भेजा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में तो इस की अत्यधिक मांग है, अतः वहां इस माल को बेचना तो बड़ा ही सुगम है । यह तो एक बहुमूल्य वस्तु है, जोकि कपड़ा छापने, कागज़ बनाने, चमड़ा रंगने आदि अनेकानेक उद्योगों में प्रयुक्त की जा सकती है ।

आज, इस का मूल्य, गिर कर तीन पैसे प्रति पौंड हो गया है । अतः यदि हम एक पर्याप्त मात्रा में इस का विदेशों में निर्यात करें, तभी हम इस की, दुर्दशा से रक्षा कर सकते हैं । अतः मेरा यह सुझाव है कि सरकार इस के निर्यात की अनुमति प्रदान करे ताकि इस का उचित मूल्य प्राप्त हो सके । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार इस की ओर अवश्य ध्यान देगी ।

उद्योगों के विकसित न होने का एक और भी कारण है और वह यह है कि दोनों मंत्रालयों अर्थात् खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, में उचित सहयोग नहीं है । एक मंत्रालय के द्वारा भेजी हुई सिफ़ारिशें तथा प्रस्थापनायें दूसरे मंत्रालय के पास पर्याप्त समय तक निलम्बित रूप में ही पड़ी रहती हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । अतः इन दोनों मंत्रालयों में सहयोग तथा एक सूत्रता उत्पन्न करना अत्यावश्यक है ।

अन्त में, मैं इस विधेयक का स्वागत तो अवश्य करता हूं परन्तु इस के साथ ही साथ आशा करता हूं कि सरकार मेरी इन बातों की ओर अवश्य ध्यान देगी ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : यह विधेयक दस उद्योगों को संरक्षण देना चाहता है । इन में से कई एक उद्योगों के बारे में गत वर्ष भी चर्चा हुई थी, और आज मैं फिर से इन उद्योगों की वास्तविक क्षमता के विषय में प्रश्न उठाता हूं । इन दस उद्योगों में से सात उद्योग, अपनी वास्तविक क्षमता में बहुत कम उत्पादन करते हैं और इस के परिणामस्वरूप हमें एक बहुत बड़ी मात्रा में माल, विदेशों से आयात करना पड़ता है । उदाहरणार्थ मांडी उद्योग को ही लीजिये ।

[श्री कासलीवाल]

देश में इस की वार्षिक मांग ५५,००० टन है, परन्तु वास्तविक उत्पादन १७,००० टन है, जबकि इस समय केवल आठ चालू इकाइयों की ही वास्तविक क्षमता ४३,००० टन है । अन्य उद्योगों की भी यही स्थिति है । ये उद्योग अपनी वास्तविक क्षमतानुसार उत्पादन क्यों नहीं करते । तो अपनी क्षमता से कम उत्पादन करने वाले इन उद्योगों की पूरी जांच की जाये, और वास्तविक कारण की खोज की जाय ।

ऐसे उद्योगों को संरक्षण ही क्यों दिया जाये, जो अपनी वास्तविक क्षमता से कम उत्पादन करते हैं । और ऐसे उद्योगों को अवश्यमेव संरक्षण दिया जाय, जो अपनी क्षमतानुसार उत्पादन करते हैं ।

सोडा ऐश के बारे में, योजना आयोग ने, अपने औद्योगिक विकास-कार्यक्रम के प्रतिवेदन में, कहा था, कि इस उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये । परन्तु इस के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया । कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं की गई जिस से यह उद्योग विकसित किया जा सके ।

सान-पत्थर उद्योग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की सारी मांग को पूरा करने के लिये एक इकाई की वास्तविक क्षमता ही पर्याप्त है, तो दो और इकाइयां लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं ।

श्री वी० बी० गांधी (बम्बई नगर —उत्तर) : हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं । इस के तीन भाग हैं । प्रथम भाग का सम्बन्ध लीफ़ स्प्रिंग उद्योग को संरक्षण देने से है, दूसरा भाग कुछेक अन्य उद्योगों के संरक्षण की कालावधि को एक वर्ष तक और अधिक बढ़ा देने के सम्बन्ध में है, और तीसरा भाग तीन उद्योगों का संरक्षण हटा लेने के सम्बन्ध में है ।

जहां तक लीफ़ स्प्रिंग उद्योग को संरक्षण देने का सम्बन्ध है, इस का हम पूर्णरूपेण समर्थन करते हैं । इस उद्योग का विकास देश के हित में होगा ।

जहां तक द्वितीय भाग का सम्बन्ध है, प्रति वर्ष सभा के सम्मुख एक लम्बी सी सूची ले कर आना और संरक्षण को जारी रखने के लिये अनुमति मांगना, कोई उचित नहीं दीखता । इस कार्य के लिये तो प्रशुल्क आयोग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना अत्यावश्यक है । वैसे तो उद्योग द्वारा भेजे गये ये औद्योगिक प्रतिवेदन बड़े मूल्य के हैं, परन्तु कठिनाई का वास्तविक कारण कर्मचारियों की कमी है । अतः कठिनाई को दूर करने के लिये आयोग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाय । यद्यपि कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में खर्च तो अवश्य होगा, परन्तु मुझे विश्वास है कि सरकार केवल थोड़े से खर्च को बचाने के लिये देश के उद्योग को इतनी भारी हानि नहीं होने देगी । यह एक अत्यावश्यक गंभीर समस्या है जिस की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री कानूनगो : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्हों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है क्योंकि सम्पूर्णतः इस विधेयक के प्रयोजन का समर्थन किया गया है ।

इस विधेयक के तीन भाग हैं । पहले भाग, अर्थात् लीफ़ स्प्रिंग उद्योग, को दिये गये संरक्षण के बारे में सर्वसम्मति है ।

तीन उद्योगों के संरक्षण के हटाये जाने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में जो प्रतिवेदन और संकल्प सभा के समक्ष रखे गये हैं उन से सभा को सभी तथ्यों का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अतः मैं समझता हूं कि इस कार्यवाही को समस्त सभा का समर्थन प्राप्त है ।

तीसरे भाग, अर्थात् उन दस उद्योगों को संरक्षण दिये जाने के बारे में जिन्हें इस समय संरक्षण मिला हुआ है, मुझे मानना पड़ता है कि इस के पक्ष में दिये गये तर्कों म बहुत कुछ बल है। किन्तु सभा को याद रखना चाहिये कि हमारी समस्याओं में अत्यधिक जटिलतायें हैं। सम्भवतः उस समय जब यह विशेष प्रक्रिया अपनाई गई थी इन बातों का ध्यान नहीं आया था। संसद ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए यह निश्चय किया है कि वह इन विषयों पर एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण के परामर्श के उपरान्त विचार किया करेगी। यह न्यायाधिकरण पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त यह एक ऐसा विषय है जिस पर निर्णय होना है। इस तर्क में पर्याप्त बल है कि जब दस प्रतिवेदन शेष रह रहे हैं तो इस प्रश्न की जांच होनी ही चाहिये।

किन्तु मैं समझता हूं कि केवल एक वर्ष के लिये इस संरक्षण को बढ़ाने में यह सभा न तो अपने प्रति और न उद्योगों के प्रति किसी प्रकार का अन्याय करेगी। आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ही तो सभा ने विचार के पश्चात् उन्हें कुछ वर्षों के लिये संरक्षण प्रदान किया था। यदि निश्चित कालावधि के अन्दर प्रतिवेदन मिल जाता तो यह विषय सभा के सम्मुख आ गया होता कि संरक्षण चालू रखा जाय या हटा दिया जाये। किन्तु मैं समझता हूं कि उस संरक्षण को एक वर्ष के लिये बढ़ाना अधिकांश प्रकरणों में अनुचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा करना पूर्वस्थिति को बनाये रखना ही तो होगा। यदि किसी विशेष उद्योग की स्थिति बहुत ही खराब रही हो---किन्तु मैं नहीं समझता कि इन दस में कोई उद्योग इस प्रकार का है, या अधिक से अधिक दो एक हो भी सकते हैं---तो इस से किसी सीमा तक उपभोक्ता को क्षति अवश्य पहुंचेगी। इस से यही पता चलता है कि संरक्षण दिया जाना हो तो काफी लम्बे समय के लिये होना चाहिये, क्योंकि तभी उस के परिणामों को जांचा जा सकता है, अन्यथा एक निरन्तर जांच की व्यवस्था करनी होगी ---एक प्रकार के प्रशुल्क आयोग की व्यवस्था करनी होगी जो दो अथवा तीन पारियों में काम कर सके। यही दो विकल्प हैं। और सरकार को इन सब बातों पर विचार करना होगा। निश्चय ही सरकार अथवा इस सभा के दृष्टिकोण से यह संतोषजनक नहीं है। परन्तु, निस्सन्देह इस से उतनी अनिश्चितता नहीं आ जाती जितनी कुछ माननीय सदस्यों ने बताई है। किन लोगों की इस में अधिकतः अभिरुचि है। उपभोक्ता के अतिरिक्त--- मैं समझता हूं कि इस में उपभोक्ता की अत्यधिक अभिरुचि है, क्योंकि उसे इस के लिये कम या अधिक मूल्य देना पड़ता है ---अन्य जिन दो पक्षों को इस में अभिरुचि है वे उत्पादक और आयातकर्ता हैं। संरक्षण देने अथवा संरक्षण हटाने के लिये किसी विधान को लाने और उस के लागू करने के बीच का समय पर्याप्त रूप से इतना होता है जिस में वे अपनी उत्पादन अथवा आयात नीति की योजना बना सकते हैं। आयात के विषय में, मैं समझता हूं कि आयात मंत्रणा समिति द्वारा व्यक्त की गई रायों से यह पता लगता है कि स्थिति संतोषजनक है और प्रायः सभी आयातकर्ताओं ने इस का अनुमोदन किया है। अधिकतर अनुज्ञप्तियां छमाही दी जाती हैं। अतएव स्थिति निरन्तर सुधर रही है।

जहां तक डा० लंका सुन्दरम् के इस विचार का सम्बन्ध है कि संविधान पर प्रहार किया गया है, मैं इस सम्बन्ध में कोई राय व्यक्त नहीं करता, परन्तु मैं कुछ सीमा तक इस बात से सहमत हूं कि यदि प्रतिवेदन समय पर दिये जा सकते तो अधिक

[श्री कानूनगो]

अच्छा होता । तो भी वक्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि आयोग पर जो कार्य भार डाला गया है वह ऐसा है कि उन के लिये इतना कार्य कर सकना संभव नहीं जितना उन से आशा की जाती है । निस्सन्देह, सभा को विदित है कि गत पांच वर्ष के स्तर के आधार पर आयोग की सहायता करने के लिये कुछ विशेषज्ञ कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं, परन्तु जैसा मैं ने पहले कहा है स्थिति के पुनरीक्षण और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है ।

एक और बात जो श्री कासलीवाल ने कही थी वह जिस उद्योग की अनुमानित क्षमता और वास्तविक उत्पादन के सम्बन्ध में थी, जिस उद्योग से इस विधेयक द्वारा संरक्षण हटाया जा रहा है । प्रतिवेदन के अध्ययन से पता लगेगा कि इस उद्योग में उत्पादन की अनुमानित क्षमता पर्याप्त है, परन्तु यह उद्योग कुछ उत्पादन नहीं कर सका । इस के कई कारण हैं । मांग सम्बन्धी कारण, उपभोक्ता के विरोध का कारण और ऐसे सैंकड़ों कारण हैं और एक महत्व-पूर्ण बात है मिलों के प्रबन्ध का नवीकरण । यदि प्रबन्ध का नवीकरण न किया जाये —और मैं इस का आग्रह करता हूं— तो क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सकता । अतएव यह वांछनीय है कि उत्पादन-क्षमता कुछ भी हो उस का पूर्ण उपयोग होना चाहिये, क्योंकि पूंजी की दृष्टि से उस में लगाई गई पूंजी का आर्थिक लाभ तभी प्राप्त हो सकता है । मैं समझता हूं कि हम इस दिशा में बहुत प्रगति कर रहे हैं ।

सभा मांड के उत्पादन के आंकड़ों से देखेगी कि यह उत्पादन वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रहा है और अन्य कई उद्योगों में भी ऐसी ही बात देखी गई है ।

श्री कासलीवाल : ग्लूकोज़ का उत्पादन कम हो रहा है ।

श्री कानूनगो : इस के कई कारण हो सकते हैं । जब जांच की जायेगी तो प्रशुल्क आयोग बता सकेगा कि क्या कारण हैं, ऐसा क्यों हुआ है और क्या इन कारणों को दूर किया जा सकता है, अथवा नहीं ।

डा० लंका सून्दरम् : क्या सरकार प्रशुल्क आयोग को यह निदेश करने के लिये तैयार है कि वह ध्यान रखे कि उद्योग इस लाभ के लिये अर्हता प्राप्त करने के लिये उत्पादन कम न करे और आयात न करवाये ।

श्री कानूनगो : ऐसा निदेश देने की आवश्यकता नहीं । मैं समझता हूं कि उन्हें सारी परिस्थितियों को देख कर सरकार से सिफारिश करनी होती है कि संरक्षण आवश्यक है अथवा नहीं ।

डा० लंका सुन्दरम् : परन्तु इस सम्बन्ध में श्री कासलीवाल के आंकड़े स्पष्ट हैं । किसी विशेष उद्योग ने कम से कम अपनी अनुमानित क्षमता के अनुपात से उत्पादन नहीं बढ़ाया है ।

श्री कानूनगो : यह बहुत संभव है कि कुछ परिस्थितियों में वास्तविक उत्पादन अनुमानित क्षमता से बहुत कम है । उस से अधिक हानि नहीं होती । यह सब "स्थान-कालपात्र" आदि पर निर्भर करता है ।

परन्तु मैं कह सकता हूं कि अधिकतर उद्योगों ने, जिन्हें संरक्षण दिया जा रहा है अथवा जिन का संरक्षण हटाया जा रहा है और उन में बहुत से ऐसे उद्योगों ने जिन्हें एक वर्ष के लिये अस्थायी संरक्षण दिया गया है अथवा जिन्हें संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण से पूरा पूरा लाभ उठाया है ।

डा० लंका सुन्दरम् और श्री वी० पी० नायर ने जो यह बात कही है कि संरक्षण एक वर्ष के लिये क्यों दिया जाये, उस के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि यह अत्यधिक सावधानी के लिये है । आप के पास भूतकाल का उदाहरण है कि जब कभी सूचनायें मिलती हैं सरकार ने तुरन्त एक वर्ष की विहित कालावधि से बहुत पूर्व निश्चय किये हैं और वे विधान सम्बन्धी प्रस्थापनाओं के लिये सभा के समक्ष लाये गये हैं । अतएव इस विशेष मामले में ज्यों ही सूचना मिलेगी, सरकार तुरन्त कार्य-वाही करेगी । यह चाहे तीन मास, छः मास या नौ मास में किया जाये । अतएव एक वर्ष की कालावधि केवल अत्यधिक सावधानी के लिये मांगी गई है और हम सभा को एक ऐसे विषय पर समय व्यय करने के लिये नहीं कह रहे हैं जो इस समय बहुत महत्व का नहीं है । यद्यपि हम ने यह समय मांगा है, परन्तु हम आशा करते हैं कि हम इसे थोड़े समय में कर सकेंगे ।

टेपियोका के मूल्य और उपयोग के सम्बन्ध में चर्चा पर त्रावनकोर-कोचीन के सदस्यों ने बहुत कुछ कहा है । यों कहा जा सकता है कि कई वर्षों से टेपियोका बहुत उपयोगी रहा है । जब हमारे पास खाद्यान्न कम था तो लोग सोचा करते थे कि हमारा काम टेपियोका से चल सकता है और हम ने कहना आरम्भ कर दिया कि टेपियोका का निर्यात न किया जाये । इस का प्रयोग उद्योग में नहीं करना चाहिये और इसे खाद्य प्रयोजनों आदि के लिये सुरक्षित रखना चाहिये । परन्तु आज—जैसा मैं समझता हूं, और मेरा विचार है कि यह ठीक ही है—और जैसा सदस्यों ने बताया है इस के मूल्य गिर रहे हैं और टेपियोका के उत्पादक या कृषक को हानि हो रही है । मैं कहना चाहता हूं कि यह ऐसी समस्या है जो कृषि मूल्य की बड़ी समस्या का एक भाग है । यदि टेपियोका के संसाधनों से देश में मांड की सारी आवश्यकतायें भी पूरी हो जायें तो वह मूल्यों को बढ़ाने में पर्याप्त नहीं होगी । टेपियोका का मूल्य गिर रहा है, चावल का मूल्य गिर रहा है—यह सारी अर्थ व्यवस्था के लिये शुभ है अथवा अशुभ यह और विषय है—और यदि हम टेपियोका का मूल्य बढ़ाना चाहते हैं तो उस दिशा में एक छोटा सा प्रयत्न इस का मांड निर्माण में उपयोग होगा । इसे कृषि मूल्यों के संरक्षण के आधार पर सुलझाना पड़ेगा । और वस्तुतः हम देश में मांड निर्माण में जो प्रगति कर रहे हैं उस के आधार पर मैं विश्वास करता हूं कि बहुत थोड़े समय में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पूर्ण उत्पादन कर सकेंगे ।

श्री झुनझुनवाला ने बटन उद्योग का उल्लेख किया है । मैं उन का और सभा का सरकार के २८ नवम्बर १९५३ के संकल्प की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर बटन उद्योग के संरक्षण का कुछ भाग हटा दिया गया था, परन्तु शेष संरक्षण रहने दिया गया था ।

ग्लूकोज़ के सम्बन्ध में श्री कासलीवाल ने अपने इस मत का समर्थन किया था कि संरक्षण जारी नहीं रहना चाहिये । सरकार ने अपने संकल्प में बताया है कि ग्लूकोज़ का उत्पादन घट गया है, सरकार ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि स्थिति न सुधरी तो ग्लूकोज़ पर संरक्षण जारी रखना संभव नहीं होगा, क्योंकि आखिर सरकार का उपभोक्ताओं के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व है । राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था महत्वपूर्ण बातों में से एक है, परन्तु सारे उपभोक्ताओं के हित के साथ साथ इस का सन्तुलन होना चाहिये । यदि संरक्षण से ठीक प्रोत्साहन न

[श्री कानूनगो]

मिले और लोगों में इस से लाभ उठाने का प्रोत्साहन न हो तो सरकार को बाध्य हो कर उपभोक्ताओं के हित का ध्यान करना होगा और संरक्षण हटाना होगा ।

जैसा मैं ने आरम्भ में ही कहा है, विधेयक के प्रयोजनों के सम्बन्ध में लगभग एकमत है।

मेरा निवेदन है कि सभा को यह विधेयक स्वीकार करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ और २

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्डश: विचार होगा । श्री वी० पी० नायर ने खण्ड २ का एक संशोधन प्रस्तुत किया था, परन्तु वे उपस्थित नही हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २, खण्ड १ विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २, खण्ड १, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री कानूनगो : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

डा० लंका सुन्दरम् : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस चर्चा के विवादास्पद होने की आवश्यकता नहीं और हम में से कोई भी इस विधेयक की गति में रोड़ा अटकाना नहीं चाहता ।

मैं दो बातों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री से आश्वासन लेना चाहता हूं । एक यह कि प्रशुल्क आयोग के सदस्य बढ़ाये जायें ।

दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है । अनुमानित क्षमता के सम्बन्ध में सभा में कई बार प्रश्न उठाया जा चुका है । संरक्षण प्राप्त उद्योग अपना संरक्षण जारी रखने के लिये उत्पादन कम करते हैं । इस प्रश्न की जांच की आवश्यकता है । यदि ऐसा हो तो उन उद्योगों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिये ।

इस के लिये जब मैं ने प्रशुल्क आयोग को निदेश देने के लिये कहा था तो मेरे माननीय मित्र उपमंत्री ने नकारात्मक उत्तर दिया था ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : क्या प्रशुल्क बोर्ड को निदेश दिया जाय ?

डा० लंका सुन्दरम् : माननीय उपमंत्री ने उत्तर दिया था कि इस की आवश्यकता नहीं । अब माननीय मंत्री उपस्थित हैं, वे इस का उत्तर दें । उस प्रत्येक उद्योग के सम्बन्ध में जो संरक्षण जारी रखने के लिये

कहता है क्या सरकार का समाधान हो गया है कि अनुमानित क्षमता तक उत्पादन किया जायेगा । यदि नहीं, तो उपभोक्ता के बचाव के लिये क्या किया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पहली चर्चा के समय यहां उपस्थित न होने के कारण आप से क्षमा चाहता हूं । मैं समझता हूं कि माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् की दोनों बातों का उत्तर मैं दे सकूंगा ।

जहां तक प्रशुल्क आयोग के कर्मचारि-वृंद बढ़ाने का प्रश्न है, हम इसका प्रयत्न कर रहे है । आयोग के कर्मचारिवृन्द का प्रश्न ऐसा प्रश्न है जिस पर मैं स्वयं ध्यान दे रहा हूं । जांचों का सर्वेक्षण करने के बाद हमें पता चला है कि नई जांचों में कमी हुई है । मैं सभा को इस के कारण बताऊंगा । दो तरीकों से उद्योगों को आकस्मिक संरक्षण दिया जाता है । एक तो क्यू० आर० द्वारा आयात का विनियमन होता है । दूसरा सीमा-शुल्कों में अधिक वृद्धि है जिसे हम ने गत दो वर्षों से राजस्व प्राप्ति के लिये लगाया है । उस से बहुत से उद्योग संरक्षण मांगने के लिये तैयार नहीं होते । माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि जिन उद्योगों को संरक्षण दिया जा रहा है, उन में से कुछ मामलों में सिफारिश किये गये संरक्षण शुल्क से भी, राजस्व शुल्क अधिक है । उदाहरणतः प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की है कि ज़िप फासनर उद्योग पर से संरक्षण हटा दिया जाये । किन्तु हम ने ६६ २।३ प्रतिशत शुल्क राजस्व के लिये लगा रखा है ; क्योंकि यह वस्तु आधी विलास की वस्तु है ।

हम विभिन्न प्रयोजनों के लिये ज़िप उद्योग को पसन्द अवश्य करते हैं, किन्तु मेरा विचार है कि राज्य की आय बढ़ाने के लिये हम इन के लिये तनिक अधिक मूल्य भी दे सकते हैं ।

ऐसा होने पर, नई जांचों के द्वारा जो काम बढ़ता है उस से हम बच जाते हैं । उद्योगों को उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध संरक्षण देने का बड़ा उत्तरदायित्व प्रशुल्क आयोग का निस्सन्देह है और इस के लिये मुझे बार बार इस सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का ध्यान दिलाना पड़ता है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यथासंभव मैं प्रशुल्क आयोग से उन की स्वायत्तता का उल्लंघन किये बिना उन से सम्पर्क बनाये रखता हूं ।

हाल ही में, जी० ए० टी० टी० को एक प्रतिनिधिमंडल भेजने से पूर्व, प्रशुल्क आयोग के सदस्य और योजना आयोग के सदस्य यहां थे और जी० ए० टी० टी० को जाने वाला प्रतिनिधिमंडल भी था और सम्बद्ध विभागों के कर्मचारी भी—और हम ने यहां पर पूर्ण रूप से चर्चा की थी । इसलिये मैं अपनी योग्यता के अनुसार सरकार द्वारा अनुसरण की जा रही नीतियों तथा प्रशुल्क आयोग के सुझावों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा हूं । किन्तु इस में समय अवश्य लगेगा । यह कठिन काम है । मैं यह स्वीकार करते हुए हिच-किचाता नहीं कि जो कार्य मैं ने आज से दो वर्ष पूर्व आरम्भ किया था अब उस का स्वरूप तैयार होने लगा है ।

जहां तक आयोग के कर्मचारिवृन्द का प्रश्न है, यह तो आयोग के सदस्यों के प्रश्न से भी महत्वपूर्ण है । हमें टेक्निकल कर्मचारी प्राप्त करने में पर्याप्त कठिनाई अनुभव हो रही है । हम उन्हें उतना वेतन नहीं दे सकते जितना कि गैर-सरकारी सेवायें उन्हें दे सकती हैं । इन सभी कठिनाइयों से निबटना पड़ता है । आप को भर्ती करने की सामान्य प्रणाली का भी पता है । हम संघ लोक सेवा आयोग के बिना भर्ती नहीं कर सकते ।

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

संघ लोक सेवा आयोग के पास इतना अधिक काम है कि यदि हम दो कॉस्ट अकाउंटेंटों और प्रशुल्क आयोग को सहायता देने के लिये दो टेक्निकल कर्मचारियों को भर्ती करने के लिये कहें तो इसी में एक वर्ष लग जाता है ।

ये बातें हैं जो काम की प्रगति में रुकावट डालती हैं । जब तक हम उन्हें नये निर्देश भेजते रहते हैं अर्थात् मूल्य की जांच आदि के सम्बन्ध में । मैं प्रशुल्क आयोग से निकट सम्पर्क बनाये रखता हूं । कुछ प्रशासनिक परिवर्तन भी हैं जिन के किये जाने के सम्बन्ध में, मैं ने सिफारिश की थी ; मैं यह नहीं कहता कि वहां की व्यवस्था दोषरहित है किन्तु हम इसे यथासंभव दोषरहित बनाने का प्रयास कर रहे हैं ।

दूसरे मामले के सम्बन्ध में जोकि उन्हों ने उठाया है, कि क्या संरक्षण प्राप्त करने वाले उद्योग अनुमानित उत्पादन करते हैं या नहीं, मैं यह कहूंगा कि इस मामले में भी मन्द प्रगति हुई है । मैं इसे स्वीकार करता हूं । प्रगति इस कारण से धीमी है, कि एक तो हमारे पास कर्मचारियों की कमी है और दूसरे हम इस समस्या पर अपना ध्यान उतना केन्द्रित भी नहीं कर सकते । उद्योगों को बताने की एक बात तो यह है, कि "आप गलत कर रहे हैं" और दूसरी यह कि अमुक् कार्य करने के लिये जानकारी एकत्रित की जाये । हम उस की ओर पूर्ण ध्यान दे रहे हैं । एक बड़ी मात्रा तक प्रशुल्क आयोग और सरकार विकास-शाखा पर निर्भर करते हैं । मैं यह अवश्य स्वीकार करूंगा कि मेरे पास जो विकास शाखा है वह बिल्कुल अपर्याप्त है और देश म औद्योगिक प्रगति की महान् आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तो यह बिल्कुल ही अपर्याप्त है । किन्तु जहां तक अनुमानित क्षमता का प्रश्न है, मैं ने कई बार सभा में यह बताया है कि "अनुमानित क्षमता" शब्द स्वयं ही कई बार द्विविधा में डालने वाला होता है । एक विशेष उद्योग के सम्बन्ध में अर्थात् विद्युत् बल्बों के बारे में ही, जहां कुछ कमज़ोर इकाइयों को संरक्षण देने के कारणों से, अधिकांशतया स्ट्रीमलाइन्ड उत्पादन किया गया था, हमें सरकारी स्तर पर जा कर अनुमानित क्षमता निर्धारित करनी पड़ी और हम ने उद्योग की बातें स्वीकार नहीं कीं । हमें पता है कि कई मामलों में हमें अनुमानित क्षमता को कम करना पड़ा है । इसीलिये मैं कहता हूं कि यह शब्द कुछ द्विविधाजनक है ।

डा० लंका सुन्दरम् : उद्योग में वास्तविक उत्पादन स्थिति का अनुसन्धान करने के लिये माननीय मंत्री के पास क्या व्यवस्था है ताकि उस के प्रशुल्क आयोग के सामने आने के पूर्व यह संतोष किया जा सके कि जानकारी सही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने कहा, हम विकास शाखा द्वारा दिये गये आंकड़ों पर ही निर्भर करते हैं । एक विकास शाखा है जो वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से संलग्न है । हमारे यहां औद्योगिक सलाहकार भी हैं । उन के अधीन विकास पदाधिकारी हैं जिन के अधीन उद्योगों के समूह हैं । इन के बाद उप-विकास पदाधिकारी हैं जो कतिपय अन्य उद्योगों की ओर ध्यान देते हैं । मैं इन लोगों से दो महीनों में और कभी कभी महीने में एक बार अवश्य मिलता हूं । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिनचर्या का ब्यौरा लाने को कहा जाता है ताकि वह बता सके कि कौन कौन से स्थानों पर गया, और किसी विशेष उद्योग में उत्पादन

का स्वरूप बतायें । यह सब कुछ प्रशासनिक रूप में किया जाता है । किन्तु मैं यह समझता हूं कि विकास शाखा को तिगुना करना पड़ेगा यदि हमें देश की भविष्य में औद्योगिक प्रगति की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना है । बहुत हद तक प्रशुल्क आयोग भी विकास शाखा द्वारा दी जाने वाली जानकारी पर ही निर्भर करता है । मैं प्रशुल्क आयोग में समानान्तर कोई संगठन नहीं चला सकता, क्योंकि सरकार के पास इतना धन नहीं है । जहां तक संभव है, हम विभिन्न मंत्रालयों के औद्योगिक संगठनों को एकत्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । मेरे पास एक योजना है, जिस के अधीन रक्षा मंत्रालय के लोग युद्धास्त्र कारखाने के ८।९ व्यक्ति हमारी विकास शाखा में भेजते हैं, जिस से कि विचार-विनिमय हो सके और हम युद्धास्त्र कारखानों के कार्य के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर सकें । हम ने इन व्यक्तियों की सेवायें संभरण विभाग को उपलब्ध कराई हैं । जो काम इन लोगों को करना पड़ता है और जो वास्तव में वे ईमानदारी से कर रहे हैं—वह बहुत अधिक है ।

पहला प्रश्न तो संगठन को बनाने का है । प्रत्येक अवस्था में कठिनाई यह है कि वेतन पर्याप्त नहीं हैं और लोग इधर आकर्षित नहीं होते । मुझे यह कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि हाल ही में हमें लोक सेवा आयोग के सभापति ने लिखा है कि हमें उस समय तक व्यक्ति नहीं मिल सकते जब तक सरकार वेतन अधिक नहीं कर देती । हम अन्य मंत्रालयों को हमारी कुछ सहायता करने के बारे में तैयार कर रहे हैं । । किन्तु बात केवल तभी पूरी हो सकती है जबकि सरकार इस पर सजग एवं रुचिपूर्ण ध्यान दे, केवल सरकार ही नहीं, अपितु इस सभा के माननीय सदस्य भी यह समझें कि देश का औद्योगीकरण आवश्यक है और इस के लिये कोई भी किसी प्रकार का बलिदान अधिक नहीं होगा । मेरे मंत्रालय के विरुद्ध जो भी आलोचना होती है मैं उस का स्वागत करता हूं, यदि वह आलोचना सरकारी व्यवस्था को शक्ति देती हो और हमें आगे बढ़ाती हो ।

डा० लंका सुन्दरम् : सभा ने निधि के लिये आप को कभी इन्कार नहीं किया ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में दुर्भाग्य से धन की प्रस्थापना सभा में आने से पूर्व कहीं और जाती है ।

किन्तु मैं इस आलोचना का स्वागत करता हूं क्योंकि मैं अपने मित्रों से जा कर यह कह सकता हूं कि देखिये, इस प्रकार की आलोचनायें हो रही हैं और मुझे इन का सामना करना पड़ रहा है । मेरी यह महत्वाकांक्षायें हैं जिन के बारे में मैं समझता हूं कि सभा हमें कुछ बतायेगी जब हम आर्थिक नीति पर चर्चा करेंगे । मैं पूर्णतया स्वीकार करता हूं कि जो डा० लंका सुन्दरम् कह रहे हैं उसे अवश्य ही पूरा किया जाये । यंत्रीकरण भी हो और उपभोक्ता का संरक्षण भी किया जाये । उपभोक्ता के संरक्षण के लिये जितना अधिक मैं चिल्लाता हूं उतना यहां पर कोई नहीं कहता । इस का परिणाम अधिकांशतः कुछ नहीं होता । यह हो सकता है किन्तु मुझे खेद है कि इस में कमज़ोरी है क्योंकि हमें आवश्यक कर्मचारी नहीं मिलते । किन्तु हमें माननीय सदस्यों के कथनों का ध्यान रखना चाहिये और आशा है कि अगले वर्ष इस समय मैं प्रशुल्क आयोग तथा वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के इस के सम्बन्ध में कार्यों में अधिक प्रगति को बता सकूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई): मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

> "औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

यह एक छोटा सा विधेयक है और मुझे इस की व्याख्या करने के लिये अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है । निस्सन्देह, सभा को यह विदित है कि जब औद्योगिक विवाद अधिनियम में सभा के नवम्बर के सत्र में हम ने संशोधन पारित किया था, तो सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि बागान मजदूरों को भी, जोकि विधेयक के बाहर रखे गये थे, यथासंभव शीघ्र अधिनियम के अन्तर्गत लाया जायेगा, क्योंकि उस समय जबकि यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया था वह त्रिपक्षीय सम्मेलन की सलाह से पुरःस्थापित किया गया था, जिसे बागान का प्रश्न निर्दिष्ट नहीं किया गया था । संशोधन के विधि बन जाने के तुरन्त पश्चात् ही सरकार ने ३१ दिसम्बर, १९५३ को बागान समिति की एक बैठक बुलाई और समिति ने एकमत हो कर यह सिफारिश की कि बागान मजदूरों को भी कार्य-मुक्ति योजना में लिया जाये ।

श्री अमजद अली (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां) : यह बैठक किस स्थान पर हुई थी ?

श्री के० के० देसाई : कलकत्ता में । जब समिति ने अपनी सर्व-सम्मत अनुमति दे दी तो सरकार ने एक विधेयक राज्य-सभा में आय-व्ययक सत्र के दौरान पुरः स्थापित किया था और वह पारित हो गया था । किन्तु यहां काम के आधिक्य के कारण हम यहां उस को पहले सत्र में पुरःस्थापित न कर सके और इसीलिये अब हम इसे पुरःस्थापित कर रहे हैं ।

विधेयक यह उपबन्ध करता है कि अधिनियम को १ अप्रैल, १९५४ से ही लागू किया जाये, और जब इस अधिनियम को किसी ऐसे बागान में लागू किया जाये, जहां मजदूर इस अधिनियम में उपबन्धित न्यूनतम अवस्था से अधिक लाभप्रद स्थिति में हों तथा अधिक लाभ उठा रहे हों, वहां इस अधिनियम के उपबन्ध हानिकारक रूप में नहीं लागू होंगे और मज़दूरों को उतना ही लाभ मिलेगा ।

मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना है । यदि कोई आलोचनायें हुईं तो मैं समाप्ति के समय उन का उत्तर दे दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

श्री अमजद अली : बागान उद्योग भारत का सब से अधिक महत्वपूर्ण और प्रमुख उद्योग है । जबकि कारखाना अधिनियम, १९४८ और खान अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत मजदूरों को अस्थायी कार्यमुक्ति से मिलने वाला लाभ दिया जा सकता है

तो बागानों के मज़दूरों को इस लाभ से क्यों वंचित रखा जाय । औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि छंटनी और अस्थायी कार्य-मुक्ति सम्बन्धी उपबन्ध ३१ अक्तूबर, १९५३ से लागू होंगे । यदि सरकार इस सुझाव को स्वीकार करती है तो वास्तव में बागानों के गरीब मज़दूरों का कुछ लाभ होगा ।

इस अधिनियम के केवल पारित हो जाने से कुछ लाभ नहीं जब तक कि इस को कार्यान्वित न किया जाये, क्योंकि बागानों के मालिक इस अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने से बचने का प्रयत्न करते हैं । उन का कहना है कि अधिनियम में तो नये मकान बनाने का उल्लेख किया गया है फिर हम उन की मरम्मत क्यों करायें ? अतः इस को लागू करने की अत्यधिक आवश्यकता है । पता नहीं कि ऊटकमण्ड में हुई त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों को लागू कब किया जायेगा ? क्या मैं इन को लागू न किये जाने के कारण पूछ सकता हूं ? जहां कहीं मज़दूर संघ नहीं होते हैं, मज़दूरों का अहित होता है । यही दशा बागानों के मज़दूरों की भी आज है । अतः भिन्न भिन्न उद्योगों की एक उद्योग के स्तर पर प्रवर समिति बननी चाहिये जिस में मालिक और मज़दूर दोनों पक्ष के प्रतिनिधि हों, तो आपसी विवादों का निबटारा किया जा सकता है । अतः मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री विमलाप्रसाद चालिहा (शिवसागर—उत्तर लखीमपुर) : इस विधान के लिये हम सरकार को बधाई देते हैं । औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रतिकर सम्बन्धी उपबन्ध के क्षेत्र में बागान उद्योग को न रखना बड़ा गलत था । बागान उद्योग से भारत में बहुत बड़ी संख्या में मज़दूरों को रोटी मिलती है । इन मज़दूरों की दशा बहुत असन्तोषजनक है इस कारण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें इस स्थिति में सुधार करने के लिये प्रयत्नशील हैं । मज़दूरों की दूसरी कठिनाई है उन की कम आय और बहुत से मज़दूरों को केवल वर्ष के कुछ ही मासों में काम मिलता है । अतः इस प्रकार के विधान का बड़ा स्वागत किया जायेगा ।

केवल विधान बनने से ही उन की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाय और कहवा आदि का मूल्य गिर गया है । बहुत से मज़दूरों को ऐसी दशा में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के रहते हुए भी निश्चित से कम मज़दूरी दी जाती है और यह सब देखते और जानते हुए भी हमें इस कारण शान्त रहना पड़ता है कि कहीं ऐसा न हो सारा उद्योग ही बन्द कर दिया जाय । ऐसा कर देने से तो स्थिति और भी शोचनीय हो सकती है । ऐसी दशा में सरकार को एक "मूल्य स्थायीकरण निधि" बनानी चाहिये जिस से कुसमय में इस निधि का उपयोग किया जा सके । ऐसा किये बिना सरकार अनेक प्रयत्न करने पर भी उन को सुविधायें नहीं प्रदान कर सकती ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पि) : मैं माननीय श्रम मंत्री को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिये बधाई नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हों ने ही यद्यपि साधारण माननीय सदस्य की हैसियत से बागानों के मज़दूरों को सम्मिलित करने का विरोध किया था । मैं त्रिपक्षीय सम्मेलन को अथवा द्विपक्षीय करारों के पक्ष में हूं क्योंकि इन से श्रमिकों के विवाद के समय सहायता मिलती है, किन्तु क्या भारत सरकार श्रमिकों के उच्च स्तर सम्बन्धी जो विधान बनाती है उन पर नियोजकों से परामर्श अथवा उन की स्वीकृति लेती है ?

[श्री पुन्नूस]

मैं नहीं समझता कि इस स्वाभाविक अधिकार के लिये भी नियोजकों से परामर्श करने की कोई आवश्यकता है ।

यह संशोधन अब इस कारण प्रस्तुत किया गया है कि नियोजकों ने इस के लिये स्वीकृति दे दी है । मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि सरकार की स्थिति स्पष्ट करें । क्या इस को २४ अक्तूबर, १९५३ से लागू नहीं किया जा सकता ? यही तो बड़ी कमी है कि श्रम सम्बन्धी विधान नियोजकों की स्वीकृति पर ही लागू किये जाते हैं । दूसरी बात यह है कि पता नहीं इन को लागू किस प्रकार किया जाये, क्योंकि जैसाकि कुछ घंटों पूर्व कहा गया था कि बागान श्रम अधिनियम में कुछ उपबन्ध बड़े अच्छे हैं किन्तु वास्तव में मज़दूर को उस से कोई लाभ नहीं लेने दिया गया है । त्रावनकोर-कोचीन राज्य में भी मेरा विचार है कि अभी यह पूर्णरूपेण कार्यान्वित नहीं किया गया है । वहां भी बहुत से अस्थायी मज़दूर रख लिये जाते हैं जो स्थायी सूची से अलग समझे जाते हैं । काफी असन्तोष चल रहा है, किन्तु कोई निर्णय अभी तक इस सम्बन्ध में नहीं किया गया है ।

रबड़ के बागानों में स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार के मज़दूर काम करते हैं । न्यूनतम मजूरी अधिनियम के कार्यान्वित हो जाने से समान कार्य करने पर भी स्त्री मज़दूर को १ रु० ३ आ० प्रति दिन तथा पुरुष मज़दूर को १ रु० ९ आ० दैनिक मजदूरी मिलती है । रबड़ के बागानों में स्त्री मज़दूरों को प्रसूति लाभ देने से बचने के लिये स्त्री मज़दूरों को काम से हटाने का प्रयत्न मालिक लोग कर रहे हैं ।

[**श्रीमती खोंगमेन** पीठासीन हुईं]

त्रावनकोर-कोचीन राज्य के बागानों की स्थिति और भी शोचनीय होती जा रही है । उदाहरणस्वरूप वहां एक मलयालम प्लान्टेशन्स नाम की कम्पनी है जिस के मालिक अंग्रेज़ हैं । १९५३ और १९५४ में लाभ होने पर भी कम्पनी वाले मज़दूरों को न तो न्यूनतम सुविधायें ही देना चाहते हैं और न उन की सामान्य मांगों की पूर्ति ही करना चाहते हैं । उदाहरण के लिये वहां यह प्रथा पीढ़ियों से चली आ रही है कि मज़दूरों के खाने का प्रबन्ध प्रबन्धक की ओर से किया जाता है यद्यपि उतना मूल्य उन की मज़दूरी में से काट लिया जाता है । मलयालम प्लान्टेशन्स ने भोजन का प्रबन्ध करने से इन्कार कर दिया है इस कारण झगड़ा चल रहा है । इस प्रकार के विधान को केवल पारित कर देने से ही काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक कि इस को कार्यान्वित भी न किया जाय । मैं माननीय श्रम मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह श्रम सम्बन्धी विधान के विषय में ऐसी नीति अपनायें कि उस पर नियोजक की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की परवाह किये बिना उन को कार्यान्वित कर दें । मज़दूरों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा हो तथा उन का हित हो सके । ऐसी नीति अपनाने से ही उन का वास्तविक हित हो सकेगा, अन्यथा नहीं ।

श्री बी० एस मूर्ति (एलूरू) : अन्य मंत्रालयों ने इतनी उन्नति की है जबकि खेद है कि यह मंत्रालय अधिक उन्नति नहीं कर सका । जब सरकार बागानों के मज़दूरों को उस अध्यादेश में सम्मिलित न कर सकी तो मज़दूरों में असन्तोष फैला था । फिर भी जहां तक मज़दूरों के मामलों का सम्बन्ध है, भारत सरकार पर बहुत धीरे-

धीरे प्रभाव पड़ता है । मैं चाहता हूं कि मंत्रालय इस बात पर भी विचार करे कि क्या १ अप्रैल, १९५४ की बजाय यह तिथि २४ अक्तूबर, १९५३ नहीं रखी जा सकती है ।

आज बागानों के मालिक तमाम लाभ कमा रहे हैं, किन्तु मज़दूरों की प्रारम्भिक आवश्यकताओं की ओर तनिक ध्यान नहीं देते । उन के पास न मकान हैं, न कपड़े हैं और न आने-जाने का ही कोई साधन है । इस से उन का स्वास्थ्य गिरता जाता है ।

यद्यपि देर से ही सही, फिर भी मैं इस प्रकार कार्य-मुक्ति के लाभ को मज़दूरों को देने का प्रस्ताव करने के लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं । बागानों के मालिक अभी भी इस लाभ को मज़दूरों को न देने का प्रयत्न कर सकते हैं । इसलिये मंत्रालय को इस के प्रति सजग रहना चाहिये कि इस बिधान से उन का वास्तव में हित हो सके । अल्प-काल के लिये भी जो मज़दूर रखे जाते हैं उन के हित का भी हमें ध्यान रखना चाहिये । अतः मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि १९५३ में औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन हुआ था । यदि ऐसा था तो कार्य-मुक्ति को इस में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि उस वर्ष विशेष कर त्रावनकोर-कोचीन में न केवल छंटनी ही वरन् बहुत बड़ी मात्रा में कार्य-मुक्ति भी की गई थी । अधिनियम में यह त्रुटि होने के कारण श्रमिकों की सुरक्षा का कोई उपचार नहीं किया जा सका था । १९५३ तथा १९५४ तक में कुछ नहीं हो सका अब जबकि १९५५ आ रहा है, तो जा कर यह सिफारिश की गई कि कार्य-मुक्ति के लिये मज़दूरों को प्रतिकर मिलना चाहिये । इस बीच त्रावनकोर-कोचीन राज्य के रबड़,चाय और कहवा के बागानों में न जाने कितनी छंटनी तथा कार्य-मुक्ति की गई । हम ने सदैव वहां जा कर यही शिकायत सुनी कि १९५३ के संशोधनकारी अधिनियम में इस कमी के कारण मालिक लोग लाभ उठा रहे हैं जबकि मज़दूरों को हानि सहनी पड़ रही है ।

यदि १९५० का श्रम सम्बन्धी विधेयक और औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक ही उस समय पारित हो गये होते तो न तो इतनी छंटनी तथा कार्य-मुक्ति होती और न करोड़ों मज़दूरों का ही अहित होता । ये दोनों विधेयक भी जगजीवन राम जी द्वारा प्रस्तुत किये गये थे । इन को लागू न करने से न जाने कितने मज़दूरों का अहित हो चुका है । मैं साथ ही यह भी चाहूंगा कि इन विधेयकों का भूतलक्षी प्रभाव हो क्योंकि ऐसा करने से सारे देश के लाखों-करोड़ों मज़दूरों का हित होगा ।

श्री केशवैयंगार (बंगलौर—उत्तर) : यह विधेयक विवादरहित है, अतः मैं इस का स्वागत करता हूं । सब से प्रसन्नता की बात तो यह है कि सरकार ने बागानों की औद्योगिक समिति की सिफारिशों पर ही आंखें खोली हैं । यह विधेयक तो बहुत पहले ही रखा जाना चाहिये था ।

बागान के श्रमिकों की सब से अधिक उपेक्षा की गई है । इस प्रकार के मज़दूरों की अवस्था बड़ी शोचनीय है और यह वर्ग संगठित भी नहीं है । यद्यपि इस ओर बहुत विलम्ब के पश्चात् ध्यान दिया गया है फिर भी मैं इस के लिये सरकार का आभारी

[श्री केशवैयंगार]

हूं । अभी भी मेरे राज्य में कार्य-मुक्ति के शिकार बहुत बड़ी संख्या में हैं और बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं । इस विधेयक के लागू हो जाने से उन की स्थिति में कुछ सुधार हो जायगा । इस कारण मैं इस विधान का स्वागत करता हूं।

श्री पी० सी० बोस (मानभूम--उत्तर) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं श्रम मंत्री को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूं । बागान श्रमिकों को बहुत कष्ट और कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । अतः सरकार और हमारे श्रम मंत्री को उन की दशा सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक आज रखा गया है । सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि यह विधेयक ठीक प्रकार से लागू किया जाय ।

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । गत सत्र में सरकार ने जो वचन दिये थे उन्हें इस विधेयक में पूरा किया गया है । कलकत्ता सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह निश्चित किया गया था कि बागानों को भी अन्य उद्योगों की भांति माना जाय । उस सम्मेलन में यह भी निश्चित किया गया कि बागान श्रमिकों को एक महीने में केवल २६ दिन काम दिया जाय और उन के वेतन को पूरा संरक्षण प्रदान किया जाय ।

मुझे प्रसन्नता है कि त्रावनकोर-कोचीन की न्यूनतम मजूरी समिति ने निश्चय किया है कि न्यूनतम वेतन काम के २६ दिनों के आधार पर तय किया जायेगा और श्रमिक को यदि कुछ काम नहीं दिया जायेगा तो भी उन को वेतन दिया जायेगा । १९५३ आसाम सरकार को भी इसी प्रकार का एक आदेश न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत जारी करना पड़ा ।

एक सरकारी समिति ने बागान श्रमिकों के वेतन के सम्बन्ध में खोज कर के बताया था कि उन के वतन का ७२ और किन्हीं किन्हीं परिवारों में ९० प्रतिशत तक केवल भोजन पर व्यय हो जाता है । आप कल्पना कर सकते हैं कि उन के अन्य खर्चे किस प्रकार चल पाते होंगे । लायड जोन्स प्रतिवेदन में बताया गया है कि बागान श्रमिकों को अधिकतर रक्तहीनता की बीमारी रहती है ।

बागान श्रमिकों की आय इस आधार पर निश्चित की गई है कि उन के परिवार का प्रत्येक सदस्य कार्य करेगा । पर बच्चे के बीमार होने पर मां काम करने नहीं जा सकती । पत्नी की बीमारी पर पति काम पर नहीं जा सकता तो भला कैसे खर्च चलेगा । इस कारण बनडोंग सम्मेलन में हम ने तय किया था कि इन श्रमिकों को पूरा संरक्षण दिया जाय ।

१९५२ में बहुत से बागान उद्योग बन्द हो गये । हम लोगों ने नियोजकों से बातें कीं और उन्हों ने अपने पूंजी लगाने वालों से बात की और उन्हें यह पता लगा कि काम बन्द करने की किसी भी अन्य स्थिति की अपेक्षा अधिक हानि हो रही है । और उन्हों ने काम फिर प्रारम्भ कर दिया ; श्रमिक काम पर बुला लिये गये । यदि यह विधि उस समय रही होती तो शायद उक्त परिस्थिति उत्पन्न न होती ।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस विधि को संविधि-पुस्तक में रखा जा रहा है इस से तालाबन्दी नहीं हुआ करेगी । हमारे श्रम मंत्री से लोगों को बड़ी आशायें हैं । आशा है वह शीघ्र ही इसे पारित करेंगे

और अन्य श्रमिकों से सम्बन्धित मामलों पर भी विचार करेंगे ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सैलम) : अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में कुछ बातें आई थीं जो इस विधेयक में नहीं ली गई हैं । संसद् अधिकारी वेतन तथा भत्ता अधिनियम की धारा ११ उपधारा (२) का सा उपबन्ध इस में भी होना चाहिये । मेरा मतलब है कि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की सिफारिशों को ध्यान में रखना चाहिये था ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर —उत्तर-पश्चिम) : सभानेत्री महोदया, मैं श्रम मंत्रालय को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्हों ने इस प्रकार का बिल ला कर प्लैन्टेशन लेबल को हर्जाने की सूची में दाखिल किया है । यद्यपि यह बिल बहुत पहले आना चाहिये था, फिर भी अगर सुबह का भूला शाम को घर पहुंच जाता है तो वह भूला हुआ नहीं कहलाता है । इसलिये मैं श्रम मंत्री को बधाई देता हूं ।

साथ ही मैं यह कह देना चाहता हूं कि यहां के अलावा कई रंगमंचों से, लेबर मिनिस्टर की ओर से, यानी इन के भूतपूर्व लेबर मिनिस्टर की ओर से, यह आश्वासन दिया गया था कि जब कभी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के एमेन्डमेन्ट का सवाल होगा और वह इस हाउस के सामने आवेगा तब उस में वर्किंग जर्नलिस्ट्स, जिन के सम्बन्ध में इस हाउस में एक प्रस्ताव आया भी था, के लिये भी कुछ न कुछ किया जायेगा । इसी तरह से जब 'ले आफ़' के सिलसिले में बात-चीत चलती थी तो उस में सीजनल एम्प्लायीज जोकि शुगर फैक्टरीज़ में काम करने वाले होते हैं, उन का सवाल भी साथ बन्धा हुआ कहा गया था । लेकिन उन के सवाल पर विचार नहीं किया गया और उन को इस बिल में रखने की कोशिश नहीं की गई । मैं समझता हूं कि इन फैक्टरियों में काम करने वाले जो मज़दूर हैं उन के सम्बन्ध में इस तरह का सवाल रोज़मर्रा उठता रहता है । अगर हम इस बात पर भरोसा कर के ही कानून बनावें कि जिस बात में इंडस्ट्री के लोग राजी होते हैं, मिल मालिक राजी होते हैं, उसी को हम कानून के रूप में रक्खें, तो यह सम्भव नहीं हो सकता है । मजदूरों के हित में जो कानून मुनासिब तरीके से होना चाहिये वह ही सम्भव होगा । मैं यह मानता हूं कि 'ले आफ़' के सिलसिले में या प्लान्टेशन्स के सिलसिले में जो भी फैसला एक मत से हो उस को कानून के रूप में उन को जल्द से जल्द लाना चाहिये, लेकिन साथ ही में यह भी कह देना चाहता हूं कि हमारे श्रम मंत्रालय के इसी पर भरोसा कर के काम करने से मजदूरों का हित नहीं हो सकेगा । इसलिये जो भी मज़दूर छूट गये हैं, जो इस के दायरे में नहीं आते हैं, वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आते हैं या जो सीजनल एम्प्लायीज होने के नाते 'ले आफ़' के हकदार नहीं होते हैं उन सब को भी इस बिल में शामिल कर लेना चाहिये । तभी मेरा ख्याल है कि हम अपना फर्ज अदा कर सकेंगे ।

श्री के० के० देसाई : जहां तक इस छोटे से विवादहीन विधेयक का सम्बन्ध है, इस विधेयक को व्यापक समर्थन प्राप्त है । पर कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिन का उत्तर देना आवश्यक है ।

ऐसा कहा गया है कि विधेयक को लाने में विलम्ब किया गया है । पर जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि कोई विलम्ब नहीं हुआ है । जब मूल विधेयक नवम्बर, १९५३ में पारित किया गया था, उस समय एक आश्वासन दिया गया था कि सरकार तुरन्त ही इस विधेयक को पेश करेगी । जनवरी से हम ने दोनों

[श्री के० के० देसाई]

दलों से परामर्श किया और अप्रैल १९५४ में राज्य-सभा ने विधेयक को पारित किया। आय-व्ययक सत्र या उस के बाद वाले सत्र में यह विधेयक विधि बन गया होता पर इस सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने इस पर विचार नहीं किया और इसी कारण इस विधेयक को इस सत्र में लाना पड़ा। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विलम्ब हुआ ; सरकार ने इस मामले में बड़ी शीघ्रता से कार्य किया है।

और मैं समझता हूं कि सरकार अपने दिये गये आश्वासनों को सहा रूप में पूरा कर रही है। यदि आज भी यह विधेयक पारित हो जाता है तो कोई हानि नहीं है क्योंकि इसे १ अप्रैल, १९५४ से लागू मान लिया जायेगा।

श्री अमजद अली : ३१ अक्तूबर १९५३ से क्यों न लागू किया जाय ?

श्री के० के० देसाई : यह एक बात उठाई गई है कि इसे २४ अक्तूबर, १९५३ से क्यों न लागू किया जाय। हमारे वह मित्र जिन्हों ने यह सुझाव रखा है नहीं जानते कि इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि यह विधि बागान श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों पर लागू होगी। यह अधिनियम १ अप्रैल, १९५४ से लागू होता है अतः बागान श्रमिक सम्बन्धी मंत्रणा समिति ने कहा है कि जिस अधिनियम को इस विधेयक के द्वारा संशोधित किया जा रहा है, वह भी १ अप्रैल, १९५४ से ही लागू किया जाय।

मकानों की व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ आलोचनायें की गईं। इस में कोई सन्देह नहीं कि इस सम्बन्ध में अधिकतर बागानों की दशा संतोषजनक नहीं है। बागान श्रमिक अधिनियम में यह उपबन्ध है कि श्रमिकों के लिये मकान बनवाये जायें। सरकार ने नियम और विनियम बनाये हैं कि राज्य सरकारों को अधिकार है कि वह मकानों के बनाने का स्वरूप निश्चित करें मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बागान श्रमिक अधिनियम को पूरा पूरा कार्यान्वित किया जायेगा। त्रिदल समिति जिस की बैठक जनवरी में हुई थी और एक और समिति जिस की बैठक ऊटाकमण्ड में हुई थी, सर्वसम्मति से सहमत है कि इस अधिनियम को स्वरूपबद्ध किया जाय। बागान श्रमिक अधिनियम के सब से अधिक महत्वपूर्ण उपबन्धों को लागू कर दिया गया है और कैन्टीन तथा औषधीय सहायता आदि सम्बन्धी उपबन्धों को भी स्वरूपबद्ध कर लिया गया है। मुझे आशा है कि अन्य उपबन्ध भी शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित कर दिये जायेंगे। विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रख कर कि चाय उद्योग में खूब लाभ हो रहा है, चाय उद्योग वाले इस उपबन्ध को कार्यान्वित करने में आनाकानी नहीं कर सकते।

श्री बी० एस० मूर्ति ने यह आलोचना की है कि पिछले सात वर्षों में कोई प्रगति नहीं हुई है।

श्री बी० एस० मूर्ति : पिछले तीन वर्षों में।

श्री के० के० देसाई : बागान श्रमिक की दशा ६ या ७ वर्ष पूर्व बहुत खराब थी। पिछले कुछ वर्षों में इन उद्योगों के साथ उचित व्यवहार किया गया है ; सभी राज्यों में न्यूनतम मजूरी समितियां नियुक्त कर दी गई हैं और न्यूनतम मजूरी अधिनियम सभी स्थानों पर लागू हो गया है। पर पिछले वर्षों में कुछ स्पष्ट कारणों से कोई प्रगति नहीं हो सकी।

जैसा कि हम लोग जानते हैं, चाय उद्योग एक निर्यात उद्योग है, हमें इस बात की योजना बनानी है कि क्या हम इस बात को पसन्द करते हैं या नहीं कि हमारी वस्तु विदेशी बाजार में बिके । और इसी कारण बागान श्रमिक अधिनियम को कार्यान्वित करने में विलम्ब हुआ । १९५२-५३ में चाय उद्योग की दशा ठीक नहीं थी और उतनी प्रगति नहीं हो पाई जितने की बागान श्रमिक अधिनियम में आशा की गई थी; इस के लिये हमें खेद है । वास्तव में, अधिनियम को लागू तो करना ही है । अतः ज्यों ही उद्योग में कुछ प्रगति हुई, सरकार ने यह विधेयक पेश किया है और सरकार ने इस बागान श्रमिक अधिनियम को १ अप्रैल, १९५४ से लागू करने का निश्चय कर लिया है । यद्यपि बागानों के मजदूरों की दशा अन्य मजदूरों की तुलना में कुछ गिरी हुई है किन्तु इस सभा के सहयोग से शीघ्र ही अन्य मजदूरों के समान हो जायेगी । इस विधेयक में चाहे कार्य-मुक्ति की व्यवस्था न भी की गई होती तो भी इस विधान के सम्बन्ध म जो भी नियम बनाये जायेंगे उन्हें सभा पटल पर रखने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है । अतः में इस विधेयक को निर्धारित समय के अन्दर पारित करने का निवेदन करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ तथा ३

सभापति महोदय : खण्ड २ और ३ में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है कि :

"खण्ड २ और ३ विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ)

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया जो अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री के० के० देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस के पश्चात् लोक-सभा, बुधवार १५ दिसम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—569 LSD—20 6 55—240